CONTENTS

Sixteenth Series, Vol. XXVI, Twelfth Session, 2017/1939 (Saka) No. 11, Monday, July 31, 2017/ Shravana 9, 1939 (Saka)

<u>SUBJECT</u>	<u>PAGES</u>
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 201 to 204	11-51
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 205 to 220	52-129
Unstarred Question Nos. 2301 to 2530	130-549

 $^{^{*}}$ The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	551-566
MESSAGE FROM RAJYA SABHA	567
STANDING COMMITTEE ON ENERGY 28 th Report	567
MOTION RE: 45 TH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE	568
GOVERNMENT BILLS -Introduced	
(i) Punjab Municipal Corporation Law (Extension to Chandigarh) Amendment Bill, 2017	569
(ii) Central Goods and Services Tax (Extension to Jammu and Kashmir) Bill, 2017	570
(iii) Integrated Goods and Services Tax (Extension to Jammu and Kashmir) Bill, 2017	571
(iv) Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill, 2017	572
STATEMENT RE: PUNJAB MUNICIPAL	
CORPORATION LAW (EXTENSION TO CHANDIGARH) ORDINANCE, 2017	569
STATEMENT RE: CENTRAL GOODS AND SERVICES TAX (EXTENSION TO JAMMU AND KASHMIR) ORDINANCE, 2017	570
STATEMENT RE: INTEGRATED GOODS AND SERVICES TAX (EXTENSION TO JAMMU AND KASHMIR) ORDINANCE, 2017	571

MATT	ERS UNDER RULE 377	573-599
(i)	Need to set up desalination plants in coastal areas of Maharashtra	
	Shri Harishchandra Chavan	574
(ii)	Need to permit Members of Parliament to recommend more number of patients seeking help from Prime Minister's National Relief Fund	
	Shri Laxmi Narayan Yadav	575
(iii)	Need to undertake flood control measures to prevent havoc caused by rivers originating from Nepal in areas under Kheri Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh	
	Shri Ajay Misra Teni	576
(iv)	Need to amend the rules and regulations regarding sale of packaged drinking water in the country	
	Shrimati Rakshatai Khadse	577
(v)	Regarding alleged violation of UGC norms fixed for recruitment to the post of Assistant Professors in Karnataka	
	Shrimati Meenakashi Lekhi	578
(vi)	Need to ensure safety of people living in border areas of Jammu	
	Shri Jugal Kishore	579
(vii)	Need to provide funds for construction of cross country natural gas pipelines in the country	
	Shrimati Javshreeben Patel	580

(viii)	Need to extend Metro Rail service in Jaipur, Rajasthan	
	Shri Ramcharan Bohra	581
(ix)	Regarding construction of an under-bridge at level crossing No. 340 and under-bridge/over-bridge at level crossing No. 345 in Janjgir-Champa Parliamentary Constituency, Chhattisgarh	
	Shrimati Kamla Paatle	582
(x)	Regarding uncertainty concerning Shiksha Mitras in Uttar Pradesh	
	Shri Harishchandra alias Harish Dwivedi	583
(xi)	Need to construct a Road Over Bridge at level crossing No. 385B in Rampur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh	
	Dr. Nepal Singh	584
(xii)	Need to ensure safety of people facing threat of life and property due to communal violence in West Bengal	
	Prof. Chintamani Malviya	585
(xiii)	Need to set up an office of General Manager, BSNL in Palghar district of Maharashtra	
	Shri Chintaman Navasha Wanga	586
(xiv)	Need to set up a Passport Seva Kendra in Hamirpur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh	
	Kunwar Pushpendra Singh Chandel	587

(xv)	Need to permit farmers to undertake cultivation in their agricultural land in Mauja Hundru under Ranchi Parliamentary Constituency, Jharkhand	
	Shri Ram Tahal Choudhary	588
(xvi)	Need to insert Section 153C and 509A in Indian Penal Code as recommended by M. K. Bezbaruah Committee	
	Shri Vincent H. Pala	589
(xvii)	Regarding a new railway line from Tellichery in Kerala to Mysore in Karnataka	
	Shri Mullappally Ramachandran	590
(xviii)	Regarding agitation against two ONGC wells in Mayiladuthurai Parliamentary Constituency of Tamil Nadu	
	Shri R.K. Bharathi Mohan	591
(xix)	Regarding construction of two dams in Perambulur Parliamentary Constituency of Tamil Nadu	
	Shri R. P. Marutharajaa	592
(xx)	Regarding a law for welfare of domestic helps	
	Shrimati Mamata Thakur	593-594
(xxi)	Need to promote organic-farming in Arambagh Parliamentary Constituency in West Bengal	
	Shrimati Aparupa Poddar	595
(xxii)	Need to adhere to Annual Credit Plan and RBI credit norms by Nationalised banks	
	Shri Rabindra Kumar Jena	596

(xxiii)	Need to set up a Department of Sports Education in Nagarjuna University in Andhra Pradesh	
	Shri Jayadev Galla	597
(xxiv)	Need to accord permission to conduct a survey for new railway line from Thalassery to Mysore	
	Shrimati P. K. Shreemathi Teacher	598
(xxv)	Need to fill up backlog vacancies of other Backward Classes (OBC) in various Ministries	
	Shri Tej Pratap Singh Yadav	599
Situ	USSION UNDER RULE 193 nation arising out of reported incidents of atrocities lynching in mob violence in the country	600-764
	Shri Mallikarjun Kharge	600-619
	Shri Hukmdeo Narayan Yadav	620-637
	Prof. Saugata Roy	638-648
	Shri Ramvilas Paswan	649-655
	Dr. K. Gopal	657-665
	Shri Tathagata Satpathy	666-675
	Shri Mulayam Singh Yadav	676-681
	Shri Arvind Sawant	682-687
	Shri Jayadev Galla	688-691
	Shri Mohammad Salim	692-699
	Shri Konda Visheshwar Reddy	700-702
	Shrimati Kothapalli Geetha	703-705
	Shrimati Supriya Sule	706-712
	Shri Pralhad Joshi	713-723
	Shri Jai Prakash Narayan Yadav	724-726

Shri Mohammad Asrarul Haque	727-731
Shri Bhagwant Mann	732-733
Shri Badaruddin Ajmal	734-736
Shri P.K. Kunhalikutty	737-740
Prof. Richard Hay	741-743
Shri Asaduddin Owaisi	744-747
Shri Kiren Rijiju	749-764
ANNEXURE – I	
Member-wise Index to Starred Questions	766
Member-wise Index to Unstarred Questions	767-772
ANNEXURE – II	
Ministry-wise Index to Starred Questions	773
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	774-775

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi
Shri Hukmdeo Narayan Yadav
Shri Anandrao Adsul
Shri Pralhad Joshi
Dr. Ratna De (Nag)
Shri Ramen Deka
Shri Konakalla Narayana Rao
Shri Hukum Singh
Shri K.H. Muniyappa
Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, July 31, 2017/ Shravana 9, 1939 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER in the Chair]

HON. SPEAKER: Now, Question Hour. Q. No. 201.

... (Interruptions)

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे केवल एक इम्पोर्टेंट इश्यू उठाना है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्या है इम्पोर्टेंट इश्यू?

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, गुजरात में एमएलएज के ऊपर दबाव डाला जा रहा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह स्टेट का मैटर है। अभी नहीं, क्वेश्चन आवर के बाद उठाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अभी चर्चा करें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ऐसे नहीं होता, खड़गे जी।

11.01 hours

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Q. No. 201, Shri Dhananjay Mahadik.

(Q.201)

श्री धनंजय महाडीक : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने सवाल का बहुत विस्तार से जवाब दिया है, इसकें लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

अध्यक्ष जी, हमारे देश में 30 करोड़ से ज्यादा लोग अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। इस सेक्टर में जो मालिक होते हैं, उनका काम ठीक नहीं होता है। इन वर्कर्स के काम को इज्जत नहीं दी जाती है और उनका ह्रासमेंट किया जाता है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, रोज-रोज हाउस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अभी नहीं। आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान)

श्री धनंजय महाडीक: अध्यक्ष जी, बहुत खराब स्थितियों में इन लोगों को काम करना पड़ता है। इन लोगों को कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है। अगर काम के वक्त कोई अनहोनी होती है या कोई दुर्घटना घटती है तो उस वक्त मालिक इन लोगों को मदद का वादा करता है, लेकिन बाद में मुकर जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई ऐसा कदम उठा रही है, जिसमें अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोगों को भी सुरक्षा दी जाए? उनको मजबूती देने के लिए, सोशल सिक्योरिटी देने के लिए क्या हम कोई प्रावधान कर रहे हैं, जिससे भारत के निर्माण में ये लोग पूरी तरह अपना सहयोग दे सकें? मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यही जानना चाहता हूं।

SHRI BANDARU DATTATREYA: Madam, the issue is concerning the safety of the workers. For the first time, the ESIC have entered into an MoU with the DGFASLI for prevention of occupational health diseases. The question is on this matter. A very good question has been raised by the hon. Member. Many occupational diseases like silicosis and pneumoconiosis are prevalent among workers. बीड़ी वर्कर्स या माइन वर्कर्स या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में ऐसी उस्ट रिलेटेड डिजीजेज होती हैं। मोदी जी की सरकार बनने के बाद, जो हम लोगों ने सबका साथ सबका विकास कहा, उसमें पहली बार हम लोगों ने ऑक्यूपेशनल रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाकर, ईएसआई एवं अन्य प्रोफेशनलस को लगाकर, उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं।

हम पहली बार चार अगस्त को फरीदाबाद में रिसर्च यूनिट का उद्घाटन भी करने वाले हैं। दूसरा, हम एक यूनिट मुंबई में भी खोलने वाले हैं, यह सेफ्टी के बारे में है। आपने सोशल सिक्योरिटी और अनऑर्गनाइज्ड वर्कर्स के बारे में भी पूछा है, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने कहा है कि अनऑर्गनाइज्ड वर्कर्स 43 प्रतिशत हैं, हम लोगों ने उनको फेज्ड मैनर में, जैसे देश में कंसट्रक्शन वर्कर्स 4,70,00,000 हैं, मोदी जी सरकार आने के बाद पहली बार उनको ईपीएफओ और ईएसआईसी में लाया गया है। सेकेण्ड फेज में बाकी लोगों और अनऑर्गनाइज्ड वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी देने का हमारा विचार है। उसमें उनके वेतन के बराबर प्राप्त होने के लिए हमने मिनिमम वेजेज को भी इंक्रीज किया है। हम लोग आगे बढ़ते हुए आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स और मीड-डे मील वर्कर्स को भी ईपीएफओ और ईएसआईसी में कैसे ला सकते हैं, उस बारे में विचार कर रहे हैं।

श्री धनंजय महाडीक: अध्यक्ष महोदया, में मंत्री जी के जवाब से बहुत संतुष्ट हूं। केन्द्र सरकार हर जिलों में वर्कर्स के लिए ईएसआई अस्पताल शुरू करती है। मेरे क्षेत्र कोल्हापुर में भी एक अस्पताल वर्ष 1997 में बना था। नौ एकड़ जमीन में 10 करोड़ रुपया खर्च करके यह अस्पताल वर्ष 1997 में बना था, जिसमें 120 कर्मचारी नियुक्त हैं। इससे 1210 कंपनियां जुड़ी हुई हैं, तकरीबन 17,000 कर्मचारी इससे जुड़े हैं। आपने जो अभी नया कानून बनाया है, उससे 50 हजार फैमलीज, तकरीबन 2,50,000 लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। हर महीने, हर साल इनकी सैलरी से कंट्रीब्यूशन भी जाता है, लेकिन मुझे खेद से कहना पड़ रहा है कि यह अस्पताल अब तक शुरू नहीं हुआ है। सेन्द्रल गवर्नमेंट का 10 करोड़ रुपया इंवेस्ट हुआ है, पूरा हॉस्पिटल बना हुआ है, लेकिन अभी तक वह शुरू नहीं हुआ है। हमारे कमेटी के अध्यक्ष खेरे जी खुद मार्च महीने में कोल्हापुर आये थे, उन्होंने बताया था कि मई महीने तक यह अस्पताल शुरू किया जायेगा। केवल कम्पलिशन सर्टिफिकैट का कोई इश्यू है। मैंने हाउस में भी दो बार यह प्रश्न उठाया था, मंत्री जी को यह जानकारी होनी चाहिए। सर, मैंने आपको भी लेटर लिखा है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि यह अस्पताल कब तक शुरू होगा, क्योंकि गवर्नमेंट परिमशन देने वाली भी है और परिमशन लेने वाली भी गवर्नमेंट है तो यह क्यों शुरू नहीं हो रहा है? सर, आज इसका वैल्यूएशन तकरीबन 100 करोड़ रुपये से ज्यादा है, कृपया आप इस पर ध्यान दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि अस्पताल जल्द से जल्द शुरू किया जाये ताकि मेरे कोल्हापुर जिले के 2,50,000 लोगों को इसकी सुविधा मिले।

श्री बंडारू दत्तात्रेय: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने कोल्हापुर अस्पताल के बारे में पूछा है। हमने राज्य सरकार से बातचीत की है, राज्य सरकार का वह ईएसआई हॉस्पिटल है। अभी बहुत खुशी की बात है कि राज्य सरकार ने वह ईएसआईसी को हैंड ओवर किया है। हम वहां पर 100 बेडेड अस्पताल कंस्ट्रक्शन करवायेंगे। इतना ही नहीं बल्कि उसके लिए 100 करोड़ रुपया खर्च भी करेंगे और मैं आपको विश्वास

दिलाना चाहता हूं कि अभी अस्पताल शुरू हो जायेगा, लेकिन जो नया अस्पताल बनेगा, हम दो साल बाद आपके साथ मिल कर उसका उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम करेंगे।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. हिना विजयकुमार गावीत।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब तो आप खुश हो जाइए।

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT: Thank you Madam Speaker for allowing me to ask a supplementary on a very important issue related to labourers. First of all, I would like to congratulate the Ministry of Labour and Employment for showing their commitment by bringing in the Maternity Benefit (Amendment) Bill, 2017 increasing the wage ceiling up to Rs.21,000. I would like to tell, through you, the hon. Minister that there are precarious working conditions seen in both formal and informal sector. Many accidents are taking place in these sectors every day. What steps is the Government taking to improve the working condition in both formal and informal sectors?

श्री बंडारू दत्तात्रेय: अध्यक्ष महोदया, फार्मल और इनफार्मल सैक्टर के बारे में प्रश्न पूछा गया है। डीजीएफएएसएली सारे प्रिवेंशन की डिसेजिज का समाचार ईएसआई से मिलकर डाक्टरों को, मेडिकल आफिसर्स को, सुपरवाइजर्स को ट्रेनिंग देंगे और इनफार्मल और फार्मल सैक्टर में भी करेंगे। इनफार्मल सैक्टर में सोशल सिक्योरिटी ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, बीड़ी वर्कर्स और डोमेस्टिक वर्कर्स को भी लिया गया है। एक्सीडेंट के केस में डायरेक्टर जनरल, माइन सेफ्टी (डीजीएमएस) अगर किसी माइन में या फैक्ट्री में कोई एक्सीडेंट होता है, हमारा डीजीएफएएसएली और एडवाइजरी बॉडी तथा डीजी, एमएस यह एक्ट भी बहुत मजबूत एक्ट है। किसी का रिहेब्लिटेशन, एम्प्लायमेंट और अनएम्पलायमेंट स्कीम्स हैं, ऐसी स्कीम्स बनाकर भी हमने उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया है। आज जो एमओयू बना हुआ है, अच्छी हैल्थ सर्विसेज देने के लिए है, ऑर्गनाइज्ड और अन-ऑर्गनाइज्ड सैक्टर्स में कर रहे हैं। हम मुम्बई में भी एक रिजनल ऑफिस खोलेंगे and in Kolkata and Kanpur, we are going to open another regional office. Our top priorities are safety and working conditions of the workers.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Madam, the intention of the hon. Minister is absolutely pro-poor and very fair. I do appreciate that. But, unfortunately, when it

comes to practice in the ESI Corporation as well as in the EPF Organisation, the intention of the Minister is not coming into practice.

I would like to cite a latest example. Recently, an order has been issued that if you want to get a super-specialty treatment for the insured persons under the ESI Corporation, from the date by which the disease is diagnosed, you have to complete 156 days of attendance just before two years. Only those insured persons who are having 156 days of attendance will be entitled to get super-specialty treatment under the ESI Corporation.

Further too, out of the four contributions, during two years period, one contribution should not have less than 78 days of attendance and for two consecutive periods, you should have 78 days of attendance. Madam Speaker, the poor downtrodden coir workers and cashew factory workers are denied the opportunity to get better treatment. Super-specialty treatment is being denied to them.

So, I would like to urge upon the hon. Minister to kindly review the latest order which was issued by the ESI Corporation by which the poor workers are denied the right to have super-specialty treatment. The cashew workers and the downtrodden marginal sections of the society are being denied because they are not having that much of attendance of two years. These are all seasonal workers and industries are facing so many crises in such a situation. Kindly review the order and all insured persons should be facilitated with the super specialty treatment.

HON. SPEAKER: This was a question with suggestion.

श्री बंडारू दत्तात्रेय: अध्यक्ष महोदया, ईएसआईसी ने 2.0 रिफार्म्स शुरू किए हैं। हम इसमें काफी परिवर्तन लाए हैं। जितने भी हमारे इंश्योर्ड परसन्स हैं, देश में तीन करोड़ दस लाख इंश्योर्ड परसन्स हैं और परिवार के सदस्य मिलाने के बाद इनकी संख्या करीब सात करोड़ है। हमने सभी लोगों को नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आने के बाद पहली बार कैंसर के लिए, कार्डियोलॉजी के लिए, डायलिसिस की सुविधा देने के लिए पीपीपी मॉडल की तरफ जा रहे हैं। बहुत से अस्पतालों में ऐसा करने जा रहे हैं। हम हमेशा वर्कर्स के हित के लिए काम करते हैं। कोई भी आर्डर चाहे सीज़नल हो या अनसीज़नल हो, कुछ बातें बताई हैं

EPFO and ESIC are social security organisations. We are committed to increasing this network for the benefit of workers. That is why we have to stop the misuse also. I can examine the issue mentioned by the hon. Member and if anything is there, I will definitely relax the order.

श्री जगदम्बिका पाल: माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे आर्गेनाइज्ड और अन-आर्गेनाइज्ड सेक्टर के मजदूरों के संबंध में प्रश्न पूछने की अनुमित दी है, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ।

माननीय मंत्री जी ने काफी विस्तार से उत्तर दिया है। मैं उनको बधाई देता हूँ कि 11.07.2017 को ईएसआइसी और डीजी, एफएएसएलआइ के बीच जो एमओयू हुआ, उससे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत निश्चित रूप से मजदूरों को लाभ होगा। लेकिन माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि ईएसआइसी का 393 जिलों में और कलस्टर्स में विस्तार करेंगें, जिनमें 325 जिलों को कवर कर लिया गया है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा था कि आँगनबाड़ी और आशा बहू में काम करने वाली जो कार्यकत्री बहनें हैं, जिनको मानदेय पर काम करना पड़ रहा है, उनके संबंध में विचार कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या इस संबंध में विचार करने के लिए सरकार ने किसी कमेटी का गठन किया है, उसकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी और कब तक उसको लागू कर दिया जाएगा?

माननीय अध्यक्ष : कृपया एक प्रश्न ही पूछें।

श्री जगदम्बिका पाल: लखनऊ और कानपुर में ईएसआइसी के अस्पताल हैं, उनमें डॉक्टर्स और पैरा-मेडिकल स्टाफ की कमी है, जिसके कारण श्रमिकों को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके बारे में, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

SHRI BANDARU DATTATREYA: Madam Speaker, regarding increasing of coverage to the entire nation, मोदी जी की सरकार आने के बाद देश भर के सभी मजदूरों को नेटवर्क में लाने के लिए 325 कलस्टर्स में इसका विस्तार किया गया है। पहले जहाँ इंडस्ट्रीज़ होती थीं, वहीं पर ईएसआइसी के अस्पताल होते थे। लेकिन हमने डिसाइड किया कि सभी जिलों में होना चाहिए। हमने अभी 325 कलस्टर्स में 100 पर्सेंट कवरेज़ पूरा किया है। जैसा कि मैंने कहा, 393 जिलों में इसे अभी पूरा किया जाना है। देश के शेष 313 जिलों के डिस्ट्रिक्ट सेन्टर में ईएसआइसी और ईपीएफओ हम कवर करेंगे। इतना ही नहीं, आपने लखनऊ और कानपुर के ईएसआईसी अस्पतालों में डॉक्टर्स के बारे में जो कहा था, वहाँ हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम डिमांडेशन पिरीयड में किया है।

मैं सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि इसमें स्प्री वर्कर्स भी हैं। यानी लेफ्ट आउट वर्कर्स हैं। आपने अच्छा प्रश्न पूछा था। इसलिए मैं इसका अलग से जवाब दे रहा हूँ। यह स्कीम नये वर्कर्स के लिए है।

अभी तक जो वर्कर्स ईएसआइसी में नहीं थे और जो लेफ्ट आउट वर्कर्स हैं, दोनों को इसमें लाने के लिए यह स्कीम लायी गयी है। इस स्कीम के द्वारा काफी संख्या में वर्कर्स इसमें आये हैं।

मैंने 8000 डॉक्टर्स और पैरा-मेडिकल स्टाफ भर्ती करने का आदेश दिया है। इसके लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा है। लखनऊ और कानपुर के ईएसआइसी अस्पतालों में कोई कमी है, तो उसे पूरा किया जाएगा।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि बिहार में मेरे संसदीय क्षेत्र बांका और मुंगेर में बड़ी संख्या में बीड़ी मजदूर और पत्थर तोड़ने वाले श्रमिक हैं, उनके बच्चे परेशानी में रहते हैं। वे स्वस्थ एवं प्रदूषण रहित वातावरण में कार्य कर सकें तथा उनके बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें, इसके लिए क्या व्यवस्था है? क्या मंत्री जी बाँका में एक बड़ा स्वास्थ्य केन्द्र या अस्पताल खोलने का विचार रखते हैं? इस पर माननीय मंत्री जी से कई बार चर्चा भी हुई है। मैं आग्रह करूँगा कि क्या इस पर विचार किया जाएगा?

SHRI BANDARU DATTATREYA: The ESIC is going ahead and definitely when we are expanding the coverage of social security network, we will also include all related things. As far as education is concerned, we are giving scholarships and providing skill development also. We are also giving further directions for upgrading the welfare of workers.

माननीय अध्यक्ष : आप अपना क्वेश्चन शॉर्ट में पूछिए। आज बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं।

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER: Hon. Speaker Madam, there is an ESI hospital named Thottada ESI Hospital in my constituency. Lakhs of weavers and *bidi* workers are living in my constituency and they are very poor. This hospital is a very good one but it has only primary facilities. I have already requested the hon. Minister twice to upgrade the hospital and provide superspecialty facility there. The hospital has 25 acres of land and it is very near to the national highway also.

So, I would again request the hon. Minister to take immediate action in this regard. The Government of Kerala has also requested the hon. Minister.

HON. SPEAKER: Hon. Minister, you can take note of her request.

SHRI BANDARU DATTATREYA: Hon. Speaker Madam, all the hospitals for bidi workers were earlier running under DGLW. Now we have taken over these hospitals. Hon. Member has already mentioned that an 80-bedded hospital is functioning at Thottada. When such a big infrastructure is there, we will definitely examine it and see what best we can do.

(Q.202)

SHRI K. ASHOK KUMAR: Hon. Speaker Madam, in reply to my question, the hon. Minister said that the Government has come out with a preference policy for domestic manufacturers of iron and steel products. It is a good move to safeguard the domestic steel industry. But the real problem being faced by the domestic steel industry is the dumping and cheap import of steel from China. My question is what steps are being taken by the Government to curtail the invasion of Chinese steel in the country that is badly affecting the domestic steel sector.

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: Hon. Speaker Madam, it is a fact that in 2013-14, 2014-15 and 2015-16, there was a lot of dumping of steel, specially by China. Because of that, prices crashed and some of our integrated steel plants were facing financial crisis also. But we started with imposing MIP way back in February 2016 and the MIP was revised thrice. When we could see that in some of the items import has gone done to zero, we did away with the MIP. But the anti-dumping duty is still continuing and because of that our imports have gone down to 39 per cent last year. As compared to that, our exports have gone up by 100.2 per cent which means that for the first time India has become a net export country.

SHRI K. ASHOK KUMAR: My second supplementary is not only concerning the steel industry but it is also concerning the State of Tamil Nadu.

The trade union of the Salem Steel Plant as well as the State Government of Tamil Nadu have been protesting against the disinvestment or privatisation of the Salem Steel Plant. Therefore, I would like to know from the hon. Minister whether the Government has taken any final decision to privatise or make disinvestment in the Salem Steel Plant.

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: Speaker Madam, the Salem Steel Plant is incurring losses for the last five or six years. Therefore, the Ministry took a decision that there should be strategic disinvestment as far as the Salem Plant is concerned.

There are many factors which made the Salem Plant incur such type of losses. One major reason was the power tariff in Tamil Nadu. When we calculated our losses last year, we found that the single item of power tariff caused 46 per cent of the losses. So, we made a lot of efforts to see that the State Government had some understanding with the Plant and could give some concessional supply to our Plant but it did not pay. Ultimately, the strategic disinvestment decision, particularly I would say this is a Cabinet decision, has already been taken where if somebody comes forward, 51 per cent or more than 50 per cent of the shares would be disinvested; he would have management and also run the plant but 49 per cent of the shares would remain with the Salem Plant as it is already there.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी: अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार और मंत्री जी को बधाई देता हूं कि हमारे देश में स्टील का उत्पादन वर्ष 2014-15 में 89 मिलियन टन था आज वह बढ़कर वर्ष 2016-17 में 97.44 मिलियन टन पर पहुंच गया है। कुछ ही समय में भारत जापान को पीछे छोड़कर चीन के बाद दूसरे पायदान पर आने वाला है और हमारी सरकार ने नेशनल स्टील पॉलिसी, 2017 घोषित की है। इसके हिसाब से जीडीपी में स्टील उत्पादन का कंट्रीब्यूशन दो प्रतिशत हो गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसकी वजह से रोजगार सृजन में भी भारी बढ़ोतरी होने वाली हैं। यदि हां, तो इससे कितना रोजगार सृजन होगा?

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: Madam Speaker, about three months ago, the National Policy on Steel was approved by the Cabinet under the leadership of the hon. Prime Minister. There was a clear indication that we are going to have 30 million metric tonnes of capacity in the future, by 2030-31. Out of that capacity, we would be in a position to produce 240 million tonnes of steel in the next 13 to 14 years.

The hon. Member has asked what the scenario of employment would be. It is clear that there would be opportunities when we achieve this target about 11 lakh individuals would get direct employment. Of course, there would be a lot of activity when this kind of target is achieved and indirect employment will also flourish.

DR. M. THAMBIDURAI: Hon. Minister has just now replied to the hon. Member's question regarding the Salem Steel Plant. Madam, it is a very prestigious plant of Tamil Nadu. The Central Government has taken steps to improve the condition of this steel plant. The hon. Member has asked whether the Government is going to allow disinvestment of the Salem Steel Plant. The hon. Minister has replied to it saying that it can be hived off, in the ratio of 49:51, into a joint venture with private players. This shows that the intention of the Government is to let it go to the private sector.

I took a delegation of some of the employees of the Plant and met the hon. Minister to request him to revive the Salem Steel Plant and let it be under the control of the Central Government. Our hon. Chief Minister has also recently written a letter to the hon. Minister to see that the disinvestment of SSP does not take place. Also, our hon. former Chief Minister, Amma had written a number of letters not to disinvest the Salem Steel Plant.

I would, therefore, request the hon. Minister to see that there is no disinvestment of the Salem Steel Plant. He has talked about the power tariff and the cost of electricity as the main factor for its running into loss. The State Government is purchasing power from the Central Government units like the Neyveli. I would like to know from the Minister whether the Central Government will come forward to give subsidized electricity to SSP. I would request the hon. Minister to consider this kind of suggestion and see to it that the disinvestment of the plant does not take place.

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: Madam, the hon. Deputy Speaker has rightly said that a delegation from Salem led by the hon. Deputy Speaker met me; rather I went to his Office. At least, I should take care of the fact that he is the Deputy Speaker of the House.

The Salem Steel Plant is in Salem district of Tamil Nadu. Its total capacity is 3,39,000 Metric tonne per annum. I would admit that this is one of the best

plants which produce stainless steel rather this is the only plant which has the best quality steel. It is being recognized not by any agency but by the end consumer.

I would give you a very dismal picture of the performance or the functioning of this Plant. For the last five years, from 2011 to 2015-16 the total losses in the net block is to the tune of Rs.1855 crore and on the other hand SAIL has invested in this Plant up to the tune of Rs.2200 crore. As I had explained to the hon. Deputy Speaker also, the major factor which causes loss is the power tariff. He was kind enough to tell me that he would get in touch with the State Government. I had explained to him that 46 per cent of our loss is because of high power tariff. He has assured us and we are also in touch with the State Government in this regard.

As I have already explained, this is a plant where land is also one of the factors. Out of total 4000 acres of land, 2900 acres of land is for the plant, 415 acres of the land is for the township and the rest of 1549 acres of land is earmarked for further installations.

The Government has already taken a decision for, not total but, strategic-disinvestment of this plant. Madam, up till now, we have appointed transaction advisor, legal advisor and asset valuer. If they complete their work and submit any report, then I will be in a position to tell you the clear picture of future.

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA: Madam, the hon. Minister has given details of the growth of India's steel capacity and indeed it is true that we in Odisha have also experienced this growth. There has also been discussion about dumping of steel by countries like China, which have affected the Indian industry and the steps taken. But, Madam, a part of the problem has been self-created. Over many decades, our poor policies and poor infrastructure have affected our steel industry. For example, the cost and time of moving raw-materials and finished products from one State to another State, was more than the cost and time of moving raw materials to China, getting it converted to steel and bringing it back to India. So, we were causing self-harm. Part of this is going to be resolved because of GST,

which has been implemented. As per Part-B, he has said that he is confident about the growth projections over the next several years. My question to the hon. Minister is this. Has there been any study done on the impact of GST on the steel industry? It is because understanding this would be crucial to attracting investments and raising capacity. If no study has been done, will he commit to having a study done on the impact of GST on the future of the steel industry for the benefit of the nation?

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: The hon. Member has asked a very relevant question in the present scenario. We have received reactions about the GST from the industry as well as from our joint team of steel.

So, after the implementation of GST, there are three-four important features, which go in favour of steel industry. One is that raw-material is placed under the category of five percent. The steel products are placed under the 18 per cent category. Earlier, some of the raw-material items were on the higher scale of taxation, that is, VAT, excise, etc. Earlier, it was used to be about 18.34 per cent and now it is 18 per cent. Now, naturally there is a reduction of 3.4 per cent. This also goes in favour. It is because raw material and products would be cheaper.

But, two-three things are still haunting and we want to find out some solutions to those. One is the exclusion of natural gas and clean energy cess, which is 400 per tonne. Madam, exclusion of natural gas, clean energy cess and electricity is a cause of concern for us because these things have been kept out of the GST. The hon. Finance Minister has explained that this is not the end of things. He would go on finding out as to which are the best solutions.

(Q. 203)

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में सिकटों को बढ़ाकर वास्तव में पर्यटन के बारे में एक बड़ा काम किया है। लेकिन मेरे प्रश्न का जो जवाब दिया गया है, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर इनकार किया है कि प्रौद्योगिकी आधारित आतिथ्य सेवा प्रदान के साथ राजस्व साझेदारी समझौता करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने की कोई योजना नहीं है। महाराष्ट्र सिहत अनेक राज्य ऐसे हैं, जो इस प्रौद्योगिकी का पर्यटन के मामले में उपयोग कर रहे हैं, वे उसके बारे में लगातार काम भी कर रहे हैं और उसके परिणाम भी देखने को मिलते हैं।

में आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चाहे आवास का मामला हो, टिकटिंग का मामला हो, भोजन का मामला हो, शुल्क का मामला हो या मौसम आदि की जानकारियां, जो खासकर सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पर्यटकों को लुभाने का काम करती हैं, जो सस्ती भी हैं और ज्यादा तेज गति से काम करती हैं और उसी कारण से राज्य सरकारें उसका उपयोग कर रही हैं। फिर ऐसी क्या वजह है कि जिस कारण से अगर राज्य इस सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से काम करने वाली संस्थाओं के साथ में काम कर सकता है तो केन्द्र उस बात को रोकने के पीछे क्या कारण मानता है, मैं यही जानना चाहता हूं?

डॉ. महेश शर्मा: महोदया, मैं माननीय सांसद की पर्यटन से संबंधित इस विषय की चिंता को धन्यवाद देता हूँ। पर्यटन के क्षेत्र में भारत ने जो ऊँची छलांग लगाई है कि हम 65वें स्थान से 40वें स्थान पर पहुंच गए हैं। पिछले वर्षां में भारतीय पर्यटन ने हमारे प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में इस गित को प्राप्त किया है। पर्यटन को नई ऊँचाइयों तक ले जाने का जो उनका सपना है कि पर्यटन देश का आधार बने, विदेशी मुद्रा बढ़ाने के लिए, रोज़गार सृजन के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए और उसके लिए डिजिटल टैक्नोलॉजी का माननीय सांसद ने जो विषय उठाया है, यह बात सच है कि अभी तक हम जितने ये प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वह एक्सपीडिया हो, चाहे मेक माइ ट्रिप हो, इनको किसी भी तरह से रैग्युलेशन की कोई प्रक्रिया, भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय नहीं करता है। राज्य सरकारें इसको करने के लिए, किसी भी तरह से उन पर कोई रैग्युलेशन नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने अपनी नई पॉलिसी और इनवेस्टर इण्डिया मीट के अंदर यह फैसला किया है। मैं माननीय सांसद को सूचना दे दूँ कि भारत सरकार अब इनके साथ भी एक योजना बना रही है कि किस तरह से इन संस्थाओं के साथ टाइ-अप किया जाए और पर्यटन को नई ऊँचाइयों तक ले जाया जाए और इसमें भी कोई शक नहीं है कि लगभग 40 प्रतिशत पर्यटन के क्षेत्र के अंदर सुविधाएं इन संस्थाओं के माध्यम से मिलती है। भारत सरकार ने अब यह फैसला इन प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से किया है। हालांकि, डिजिटल क्षेत्र में पर्यटन का उपयोग ई-वीज़ा के माध्यम से, मोबाइल एप के माध्यम से, हमारी ट्रिस्ट इनफो लाइन-1363, जो विश्व के अंदर पहला ऐसा प्रयोग है, जो 12 विदेशी

भाषाओं के अंदर हमारे पर्यटकों को सूचना प्रोवाइड करता है। यह एक ऐसा प्रयोग है, जो कि बहुत सफल प्रयोग है। लेकिन मैं माननीय सांसद की इस चिंता को देखते हुए कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार इसके लिए संकल्पबद्ध है। हमारी पॉलिसी, जल्द ही जारी होने जा रही है, जिसमें हम इन संस्थानों के साथ भी अपना टाइ-अप रखेंगे। रेवन्यु शेयरिंग अभी तक नहीं है, लेकिन आगे इस विषय पर कैसे बढ़ा जाएगा, उस बारे में विचार किया जाएगा। लेकिन यह तय किया गया है कि इन संस्थानों के साथ भारत सरकार कंधे से कंधा मिला कर पर्यटन क्षेत्र को नई ऊँचाओं तक ले जाने का प्रयास करेगी।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: महोदया, अध्यक्ष जी, मैं सरकार और मंत्री जी को बधाई देता हूँ। इस बात को भी मैं स्वीकार करता हूँ कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उनसे निश्चित रूप से हमारा स्थान दुनिया में बहुत ऊपर गया है। साथ में जो तकनीकी रास्ता मंत्री जी ने सदन को बताया है, वह निश्चित रूप से कारगर साबित हुआ है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जो हमारी सरकारी तकनीक है, चाहे वह राज्य की हो, चाहे केंद्र की हो, उसकी तुलना में ये प्रौद्योगिकी, जो निजी तौर पर नौजवान अपने बूते पर चला रहे हैं, उसने हमसे ज्यादा परिणाम दिया है। मैं दूसरी बात यह भी कहूंगा कि आपने सर्किट बनाए, आपने तकनीक को बढ़ाया, लेकिन उकसे बाद भी देश में अभी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, जो हमारे सरकारी तंत्र से अछूते हैं। जहां से मैं आता हूँ, 1842 की गदर का केंद्र वह मेरा संसदीय क्षेत्र दमोह था। आज भी वहां पर 9वीं और 10वीं शताब्दी के छोटे-छोटे स्थान है। वह गदर चूंकि 175 वर्ष पहले शुरू हुआ था, इसलिए उसको नेस्तनाबूत करने में उस समय के शासकों ने कोई कमी नहीं रखी है। लेकिन उनका मूल्य आज के बड़े स्ट्रक्चर से ज्यादा है। ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन वे अछूते हैं और इसलिए कोई नौजवान ऐसी तकनीक के आधार पर इन चीज़ों को रखता है, वहां तो होटल्स नहीं है, हमारे राज्य में तो राज्य सरकारों ने होटल बेच दिए, तो ऐसी स्थिति में कोई कहता है कि मेरे मकान में एक कमरा व्यवस्थित है, अगर वह उस साइट पर डाल कर, उसका उपयोग करना चाहे तो मैं यह मानता हूँ कि वास्तव में पर्यटन बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में इन सर्किटों से बाहर जो ऐसे क्षेत्र हैं, उसमें सरकार क्या इनिशिएट करेगी?

डॉ. महेश शर्मा : महोदया, माननीय सांसद जी का यह विषय भी बहुत प्रशंसात्मक है। वास्तव में भारत सरकार ने स्कीम्स शुरू की हैं जैसे - बेड एण्ड ब्रेकफास्ट, किसी तरह के टेंट की सुविधा, इस तरह की पर्यटन से जुड़ी हुई व्यवस्थाओं को भी रिकॉग्नाइज़ करने की सुविधा, जहां एक तरफ हम पांच सितारा और तीन सितारा होटलों को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, हम टूअर ऑपरेटर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। उसके साथ-साथ इस स्कीम को भी हम लोगों ने रिकॉग्नाइज़ किया है। भारत सरकार इनको मान्यता प्रदान करती है। यह भी सच है कि भारत एक विशाल देश होने के नाते, अभी पर्यटन के जो सभी प्रकल्प हैं, उन तक हम नहीं पहुंचे हैं। अभी बहुत कुछ करना बाकी है और हम लोग इस दिशा के अन्दर माननीय सांसदों से भी आमंत्रण प्राप्त करते हैं। हम राज्य सरकारों से भी आमंत्रण प्राप्त करते हैं कि अगर कोई ऐसा नया सुझाव

हो तो वह हमें दें, बल्कि हम लोगों ने एक विशेष योजना शुरू की है, जो नये टूरिस्ट सर्किट्स हैं, जो नये टूरिस्ट डिस्टिनेशंस हैं, उनके लिए अगर कोई भी सुझाव किसी भी सांसद से या राज्य सरकार से आता है, तो हम उसे तुरन्त एग्जामिन करके नयी योजना के अन्दर लेने का प्रयास करते हैं। मैं माननीय सांसदों से भी प्रार्थना करूँगा अगर ऐसी कोई अछूती जगह आपके राज्य में है, तो उसे हमारे संज्ञान में लायें। मध्य प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से एक प्रगतिशील राज्य है और उसकी ओवरऑल प्रगति के साथ-साथ पर्यटन की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के अन्दर तीन पर्यटन सर्किट लगभग 267 करोड़ रुपये की लागत से जारी किये हैं। हेरिटेज सर्किट के माध्यम से, बुद्धिस्ट पर्यटन के क्षेत्र के माध्यम से और Wild Life सर्किट के माध्यम से भी हम लोगों ने मध्य प्रदेश के अन्दर कुछ नये प्रयास किये हैं, लगभग 267 करोड़ रुपये की राशि मध्य प्रदेश को दी है। होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम को भारत सरकार पहले ही मान्यता दे चुकी है। हम इसके लिए प्रयास करके और भी आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हमारे पास लगभग 1,915 होटल्स हैं, जो रिकग्नाइज्ड कैटेगरी में हैं और एक लाख बारह हजार होटल्स रूम्स की हमारे पास उपलब्धता है। इस संख्या को आने वाले समय के अनुसार बढ़ाने की जरूरत है और भारत सरकार इस दिशा में इन योजनाओं के माध्यम से, जो माननीय सांसद ने सुझायी हैं, इन योजनाओं के माध्यम से आने वाले पर्यटकों को भी ये सुविधाएँ उपलब्ध हों, इस विषय में हम प्रयासरत हैं।

SHRI K.C. VENUGOPAL: The tourism sector is the largest employment generating sector in the country. I do not know whether the hon. Minister is aware of the fact that the implementation of GST has created a negative impact on the tourism sector.

As far as the State of Kerala is concerned, it is the gateway to backwaters. Under the new GST regime, the houseboats are now taxed and the hotel food also has become very expensive. I would like to know whether the Ministry of Tourism has approached the Ministry of Finance or the GST Council for waiving off the GST rates. The Government has to save the tourism sector because it is the largest employment generating sector in the country. I would like to know if the Tourism Ministry has approached the Finance Ministry for waiving off the GST rate for houseboats and hotels. Hotel food has become expensive and India has greater number of poor tourists than rich tourists.

DR. MAHESH SHARMA: Madam Speaker, in response to the question raised by the hon. Member I would like to mention that I think it is a very short time to 31.07.2017 26

understand the impact of GST on the tourism sector. It has been introduced very recently. Primarily, while preparing the GST list we discussed it threadbare. Earlier, this 18 per cent tax was for hotel rooms with a tariff rate of Rs. 5000 and less. But on our suggestion and on the suggestion of the hon. Members, the GST Council had been kind enough to raise this limit to Rs. 7500 for which 95 per cent of room capacities of the hotels... (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: What about the houseboats?

DR. MAHESH SHARMA: I am coming to the question of houseboats also. Like in restaurants and in all other services, the taxation structure has come down. What we have assessed at our level along with the financial experts, overall taxation structure on tourism has not gone up, rather has come down and at some places it has stabilized. On the question of the houseboats which the hon. Member has brought to my knowledge, I will discuss the matter with the GST Council and definitely we will ensure that it does not affect the tourism potential of this country. No doubt, tourism of Kerala matters a lot, especially the houseboat tourism in taking care of the issue of employment and also revenue generation.

श्रीमती अर्पिता घोष: महोदया, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मंत्री जी का जो उत्तर आया है, उसे हमने अभी देखा है, वे माननीय सांसद के प्रश्न का जवाब दे रहे थे, उनके उत्तर में कुछ नहीं है। मुझे दो छोटी-छोटी चीजें पूछनी हैं। एक तो यह है कि क्या गवर्नमेंट डोमेस्टिक ट्रैवलर्स के बारे में भी कुछ सोच रही है या नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए तो काफी बात की है? जीएसटी जो 28 परसेंट लग रहा है, उसके बारे में भी कहा गया, वह तो ठीक है, लेकिन डोमेस्टिक ट्रैवलर्स के बारे में सरकार क्या सोच रही हैं। जैसे बंगाली और गुजराती बहुत घूमते हैं, वे घूमने के लिए काफी मशहूर हैं। इनके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या आप ऐसे एक एप के बारे में सोच रहे हैं तािक उससे लिंक करके सुविधानुसार, जो कहीं भी होटल आदि आप प्रोवाइड कर रहे हैं, होम स्टे हो या कैसे वहाँ जाना है, की बुकिंग कर सकें, जैसे हम लोग मेक माई ट्रिप या ट्रीवेगो आदि से कर लेते हैं। क्या गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की तरफ से ऐसा कोई एप लाने की आपकी सोच है? ऐसा एप होने से लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा और घूमने जाने पर उन्हें आसानी होगी। धन्यवाद।

DR. MAHESH SHARMA: Madam, we are equally concerned about domestic tourism also and the initiative that has been taken in all the States as regards GST is for One Nation – One Market –One Tax. Definitely it is towards the direction of seeing that the country is one. There is no doubt about not taking care of domestic tourism of our country. Rather, domestic tourism has increased. The taxation structures and other benefits that have been laid down are equally good for domestic tourists. There are facilities existing for them and within two months, we are coming up with a website which will be of international status providing information about all domestic and international tourist destinations. It will provide information equally to all people.

So, we are equally concerned about the people of Gujarat and Bengal. I have visited Bengal about seven days back to see the situation there. I also visit all parts of the country to ensure that domestic tourism is not hampered in any way.

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश: अध्यक्ष महोदया, वैसे तो मंत्री जी ने टूरिस्ट डिपार्टमैंट जो काम करता है, उसकी एक पुस्तिका भी बहुत अच्छी तरीके से दी है। जब हम आउट ऑफ कंट्री कहीं भी जाते हैं तो वहाँ शहरों में हॉप ऑन हॉप ऑफ बस होती है जो पूरा शहर घूमने के लिए होती है। उसमें टूरिस्ट कहीं से भी एक ही टिकट से चढ़ सकते हैं और उतर सकते हैं। भारत में भी कई बड़े शहर हैं। क्या दिल्ली से शुरुआत करके गवर्नमैंट ने ऐसे बड़े शहरों के लिए 'हॉप ऑन हॉप ऑफ' वाला आइडिया सोचा है?

DR. MAHESH SHARMA: This facility has been initiated by some of the states. छत्तीसगढ़ और दिल्ली में भी इसकी शुरुआत हुई है, कुछ अन्य राज्यों में भी इस 'हॉप ऑन हॉप ऑफ' बस सर्विस की शुरुआत हुई है। भारत सरकार इस सर्विस के लिए समर्थन भी देती है। छत्तीसगढ़ में जो एक योजना शुरू हुई है, हम इसको भी समर्थन देते हैं। इस तरह की सुविधा के लिए राज्य सरकार या प्राइवेट पार्टनर इस विषय में आगे बढ़ते हैं तो हम इस विषय में उनका समर्थन करेंगे। यह एक अच्छा सुझाव है और अच्छी व्यवस्था है जो आगे और बढ़नी चाहिए।

(Q.204)

डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराज: अध्यक्ष जी, धन्यवाद। माननीय प्रधान मंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में साक्षरता मिशन अपनी ऊँचाइयों को छू रहा है। राष्ट्र इसके लिए गौरवान्वित है।

मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का बड़े विस्तार से उत्तर दिया है। फिर भी मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि साक्षरता विभाग के एस ई एंड एल, शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लाकों को ईबीबी चिह्नित किए हैं जिसमें कुल 3073 ब्लाक चिह्नित किए गए हैं। मैं जो सारणी देख रहा हूँ, उसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति बड़ी खराब है। मैं जानना चाहता हूँ कि 3073 ब्लाकों में उत्तर प्रदेश की संख्या कितनी है और पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में जिलावार साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई है तथा इसमें राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की क्या भूमिका रही है?

श्री उपेन्द्र कुशवाहा: महोदया, पूरे देश में *ईबीबी* ब्लाक्स की संख्या 3479 है। इसमें अलग-अलग स्टेटवाइज़ आँकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं। अगर माननीय सदस्यगण चाहेंगे तो सभी के लिए पूरा डाटा हम वितरित करा देंगे। ... (व्यवधान) मेरे पास स्टेटवाइज़ पूरा डाटा है कि किस स्टेट में कितना है। इसको हम सभी माननीय सदस्यों को भिजवा देंगे।

मैडम, इन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में जानना चाहा है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 56.27 प्रतिशत थी और वर्ष 2011 में यह बढ़ कर 67.68 प्रतिशत हो गयी। इस तरह से उत्तर प्रदेश में भी हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराज: अध्यक्ष जी, उत्तर विस्तार में दिया गया है। मैं तालिका को देख रहा हूं। वर्ष 2014-15 में साक्षरता मिशन में भाग लेने वाले लोग थे 22,92,253, जिसमें सफल हुए लगभग 17,47,000। वर्ष 2015-16 में भी संख्या अच्छी है। इसमें लगभग 45,82,000 लोगों ने भाग लिया और लगभग 34,18,000 सफल हुए। परन्तु, यह जो वर्तमान सत्र 2016-17 है, इसमें इनकी संख्या घट कर लगभग 26,31,000 हो गयी है और इसमें लगभग 20,84,000 लोग सफल हुए हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों के दौरान 'राष्ट्रीय साक्षरता मिशन' हेतु उत्तर प्रदेश सहित राज्यवार कितनी निधियां संस्वीकृत हुईं और खर्च की गयीं? देश में साक्षरता दर में तीव्र वृद्धि के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

श्री उपेन्द्र कुशवाहा: महोदया, विभिन्न राज्यों को विभिन्न कॉम्पोनेंट्स में जो निधि उपलब्ध करायी गयी है, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 52.09 करोड़ रुपये राशि उपलब्ध करायी गयी है।

पूरे देश भर का जो आंकड़ा है, उसके हिसाब से कुल 2,168.68 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायी गयी है।

श्री धर्मेन्द्र यादव: अध्यक्ष जी, धन्यवाद। जहां तक साक्षरता का सवाल है, यू.पी.ए. सरकार ने ई.बी. ब्लॉक्स के लिए मॉडल स्कूल्स घोषित किए थे। मुझे यह कहने में संकोच भी हो रहा है क्योंकि हमारे लोक सभा क्षेत्र बदायूँ के 18 के 18 ब्लॉक्स ई.बी.बी. थे।...(व्यवधान)

जहां तक ई.बी. ब्लॉक्स का सवाल है, उस समय मॉडल स्कूल एलॉट हुए थे। यू.पी.ए. सरकार के जाने के बाद और एन.डी.ए. सरकार आने के बाद उस योजना को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। योजनाएं समाप्त करना, योजनाएं परिवर्तित करना, यह सरकारों के अधिकार-क्षेत्र की बात है। लेकिन, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा सीधा सवाल है कि जो आपने ई.बी. ब्लॉक्स में मॉडल स्कूल की योजना को खत्म किया है, क्या आपने उसका कोई वैकल्पिक इंतज़ाम किया है? अगर नहीं किया है, तो जो ई.बी. ब्लॉक्स हैं, जहां साक्षरता कम है, जहां पढ़ाई का प्रतिशत कम है, उसके लिए आपके पास क्या योजना हैं। अगर नहीं है तो माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप एक तरफ योजनाएं खत्म कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपनी पीठ ठोकना चाह रहे हैं, ये दोनों चीज़ें नहीं चल सकती हैं।...(व्यवधान) देश के सामने इसकी सच्चाई आएगी।...(व्यवधान) हमारे बदायूँ के अन्दर सभी ई.बी. ब्लॉक्स के सभी मॉडल स्कूल्स बंद हो गए और उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमने बहुत साक्षरता बढ़ा दी।...(व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है, इस बात का जवाब दीजिए।...(व्यवधान) HON. SPEAKER: Shri Dharmendra Yadav, this is not the way to ask questions.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: धर्मेन्द्र जी, बैठिए। आपने प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर सुनिए।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

...(Interruptions)... *

श्री उपेन्द्र कुशवाहा: मैडम, हमने किसी स्टेट को मना नहीं किया है कि आप अपने यहां मॉडल स्कूल नहीं चलाइए। मॉडल स्कूल चलाने के लिए सभी स्टेट्स फ्री हैं। फाइनैंस कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार हमने जब से सेन्ट्रल शेयर में से स्टेट शेयर बढ़ाया है, तब से यह स्टेट के ऊपर है।...(व्यवधान) अगर स्टेट चाहें तो वे अपने यहां मॉडल स्कूल चला सकते हैं।...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव: अध्यक्ष जी, यह गलत जवाब है।...(व्यवधान) यह स्वीकार नहीं है।...(व्यवधान) ये सदन को गुमराह कर रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए।

-

^{*} Not recorded

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

...(Interruptions)...*

SHRI K.H. MUNIYAPPA: Madam Speaker, thank you for giving me this opportunity. ... (*Interruptions*)

श्री अजय मिश्रा टेनी: अध्यक्ष जी, मुझे इस प्रश्न के बारे में बोलने का मौका दीजिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठिए, आपको उत्तर देने के लिए नहीं बोला है।

...(व्यवधान)

श्री अजय मिश्रा टेनी: अध्यक्ष जी, मैं इनका पूरा कच्चा चिट्ठा जानता हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: This is not the way.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

...(Interruptions)... *

HON. SPEAKER: This is not the way. Please take your seat.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

...(Interruptions)... *

SHRI K.H. MUNIYAPPA: Madam, the Consultative Committee of the Ministry of Social Justice and Empowerment has submitted a Report in 1991 stating that female literacy of the Scheduled Castes in Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan was below three per cent. This figure has not crossed 10 per cent in the last 20 years. cent. But the Minister is saying that the percentage has increased. So, I would like to know categorically from the hon. Minister as to what steps the Government has taken to improve the female literacy among the Scheduled Castes.

-

^{*} Not recorded

श्री उपेन्द्र कुशवाहा: अध्यक्ष महोदया, बड़े राज्यों में एस.सी./एस.टी. की साक्षरता दर ज्यादा हो, इसके लिए हमने एक जेनरल टारगेट निर्धारित किया है। 'साक्षर भारत' सेंट्रली स्पोंसर्ड प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत वर्ष 2009 में सात करोड़ जो नॉन लिट्रेट्स थे, उसमें एस.सी. 14 मिलियन, एस.टी. 8 मिलियन, मुस्लिम 12 मिलियन और अन्य 36 मिलियन हैं। इस आधार पर एस.सी. तथा एस.टी. पर हमारा विशेष फोकस है। जिन राज्यों में साक्षरता दर अभी नेशनल एवरेज तक नहीं पहुंच पाई है। वहां भी हम विशेष रूप से देख रहे हैं।

12.00 hours

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of Adjournment Motion from some Members on different issues. I have disallowed all the notices of Adjournment Motion.

12.0½ hours

PAPERS LAID ON THE TABLE

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the V.
 V. Giri National Labour Institute, Noida, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the V. V. Giri National Labour Institute, Noida, for the year 2015-2016.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7244/16/17]

(3) A copy of the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. Notification No. G.S.R.294(E) in Gazette of India dated 28th March, 2017 under sub-section (3) of Section 35 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, sub-section (3) of Section 62 of the Building and Other construction Workers' (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1998 and sub-section (3) of Section 35 of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1980.

[Placed in Library, See No. LT 7245/16/17]

(4) A copy of the Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Rules, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.543(E) in Gazette of India dated 2nd June, 2017 under sub-section (1) of Section 19 of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986.

[Placed in Library, See No. LT 7246/16/17]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TOURISM (DR. MAHESH SHARMA): Madam, on behalf of Shri Dharmendra Pradhan, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Annual Statement of Accounts and Records) Rules, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.173(E) in Gazette of India dated 28th February, 2017 under Section 62 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006.

[Placed in Library, See No. LT 7247/16/17]

(2) A copy of Notification No. J-25021/3/2015-Gen. (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 25th April, 2017, regarding Rules and Regulations of Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology issued under subsection (2) of Section 40 of the Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology Act, 2007.

[Placed in Library, See No. LT 7248/16/17]

- (3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-
 - (i) Memorandum of Understanding between the Hindustan Petroleum Corporation Limited and the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7249/16/17]

(ii) Memorandum of Understanding between the Bharat Petroleum Corporation Limited and the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7250/16/17]

(iii) Memorandum of Understanding between the Indian Oil Corporation Limited and the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7251/16/17]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TOURISM (DR. MAHESH SHARMA): Madam, on behalf of Shrimati Nirmala Sitharaman, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 2016 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.1109(E) in Gazette of India dated 1st December, 2016 under sub-section (8) of Section 18 of the Explosives Act, 1884.

[Placed in Library, See No. LT 7252/16/17]

(2) A copy of Notification No. S.O.1415(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 4th May, 2017, establishing a Development Council for Pulp, Paper and Allied Industries under Section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

[Placed in Library, See No. LT 7253/16/17]

- (3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 18G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951:-
 - (i) S.O.1718(E) published in Gazette of India dated 30th May, 2017, making certain amendments in the Newsprint Control Order, 2004.

(ii) S.O.1861(E) published in Gazette of India dated 9th June, 2017, making certain amendments in the Newsprint Control Order, 2004.

[Placed in Library, See No. LT 7254/16/17]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TOURISM (DR. MAHESH SHARMA): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the North Central Zone Cultural Centre, Allahabad, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the North Central Zone Cultural Centre, Allahabad, for the year 2015-2016.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7255/16/17]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Museum Institute of History of Art, Conservation and Museology, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Museum Institute of History of Art, Conservation and Museology, New Delhi, for the year 2015-2016.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 7256/16/17]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हिरिभाई चौधरी): महोदया, मैं नेशनल रमॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 7257/16/17]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) (एक) दि मिजोरम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, आईजोल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) दि मिजोरम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, आईजोल के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7258/16/17]

- (3) (एक) दि मिजोरम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, आईजोल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) दि मिजोरम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, आईजोल के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7259/16/17]

(5) (एक) सर्व शिक्षा अभियान त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7260/16/17]

- (7) (एक) सर्व शिक्षा अभियान मध्य प्रदेश, भोपाल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) सर्व शिक्षा अभियान मध्य प्रदेश, भोपाल के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7261/16/17]

- (9) (एक) सर्व शिक्षा अभियान मध्य प्रदेश, भोपाल के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) सर्व शिक्षा अभियान मध्य प्रदेश, भोपाल के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7262/16/17]

- (11) (एक) सर्व शिक्षा अभियान त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) सर्व शिक्षा अभियान त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7263/16/17]

(13) (एक) मेघालय सर्व शिक्षा अभियान, शिलांग के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) मेघालय सर्व शिक्षा अभियान, शिलांग के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7264/16/17]

- (15) (एक) ओडिशा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण, भुवनेश्वर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) ओडिशा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण, भुवनेश्वर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7265/16/17]

- (17) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7266/16/17]

- (19) (एक) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान, लखनऊ के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान, लखनऊ के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7267/16/17]

- (21) (एक) दि यू.पी. एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (सर्व शिक्षा अभियान), लखनऊ के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) दि यू.पी. एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (सर्व शिक्षा अभियान), लखनऊ के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7268/16/17]

- (23) (एक) दि पश्चिम बंगाल सर्व शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) दि पश्चिम बंगाल सर्व शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7269/16/17]

- (25) (एक) सर्व शिक्षा अभियान आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) सर्व शिक्षा अभियान आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7270/16/17]

(27) (एक) दि सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) दि सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7271/16/17]

- (29) (एक) सर्व शिक्षा अभियान नागालैण्ड, कोहिमा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) सर्व शिक्षा अभियान नागालैण्ड, कोहिमा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7272/16/17]

- (31) (एक) एक्सॉम सर्व शिक्षा अभियान, गुवाहाटी के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) एक्सॉम सर्व शिक्षा अभियान, गुवाहाटी के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7273/16/17]

- (33) (एक) ओडिशा माध्यमिक शिक्षा मिशन, भुवनेश्वर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) ओडिशा माध्यमिक शिक्षा मिशन, भुवनेश्वर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7274/16/17]

- (35) (एक) जम्मू-कश्मीर सर्व शिक्षा अभियान, जम्मू के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) जम्मू-कश्मीर सर्व शिक्षा अभियान, जम्मू के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7275/16/17]

- (37) (एक) बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7276/16/17]

- (39) (एक) झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7277/16/17]

(41) (एक) दि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अथॉरिटी, अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अथॉरिटी, अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7278/16/17]

- (43) (एक) दि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अथॉरिटी पंजाब, एस.एस. नगर के वर्ष 2014-2015के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) दि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अथॉरिटी पंजाब, एस.एस. नगर के वर्ष 2014-2015के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7279/16/17]

- (45) (एक) सर्व शिक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) सर्व शिक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7280/16/17]

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय): महोदया, मैं मेकॉन लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 7281/16/17]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा): महोदया, मैं डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हं:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) ईडीसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।
 - (दो) ईडीसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7282/16/17]

- (3) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मिजोरम, आईजोल के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मिजोरम, आईजोल के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7283/16/17]

- (5) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान वारंगल, वारंगल के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान वारंगल, वारंगल के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7284/16/17]

(7) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7285/16/17]

- (9) (एक) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7286/16/17]

- (11) (एक) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंघर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7287/16/17]

- (13) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर, हजरतबल के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर, हजरतबल के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7288/16/17]

- (15) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान कोझिकोड, कोझिकोड के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) भारतीय प्रबंध संस्थान कोझिकोड, कोझिकोड के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7289/16/17]

- (17) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर, उदयपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर, उदयपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7290/16/17]

- (19) केंद्रीय विश्वविद्याल अधिनियम, 2009 की धारा 43 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) अधिसूचना संख्या 11-1-/एमजीसीयूबी/जीए/2016/1131 जो 12 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के अध्यादेश सं. 2, 3, 4, 16 और 17 में संशोधन किया गया है।
 - (दो) अधिसूचना संख्या आर/2017/5/2017 जो 28 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय के अध्यादेश सं. में संशोधन किया गया है।

(तीन) अधिसूचना संख्या आर/2017/5/2017 जो 26 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित केन्द्रीय केरल विश्वविद्यालय के अध्यादेश सं. में संशोधन किया गया है।

- (चार) अधिसूचना संख्या 1072/एकेडिमक/2017 जो 31 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के अध्यादेश सं. में संशोधन किया गया है।
- (पाँच) अधिसूचना संख्या सीयूकेएमआर/एडिमन/एफ.सं. 385/14/3522 जो 24 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा परिनियम सं. 10 (5) एवं उसमें उल्लिखित केन्द्रीय कश्मीर विश्वविद्यालय के अध्यादेश सं. में संशोधन किया गया है।
- (छह) अधिसूचना संख्या 11-1/एमजीसीयूबी/जीए/2016/1187 जो 4 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अध्यादेश सं. में संशोधन किया गया है।
- (सात) अधिसूचना संख्या 3-3/सीयूएचपी/जीए/2010/वॉल्यूम ।। जो 24 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित केन्द्रीय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अध्यादेश सं. में संशोधन किया गया है।
- (आठ) अधिसूचना संख्या 2-4/2009-एडिमन/5822 जो 28 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित केन्द्रीय गुजरात विश्वविद्यालय के अध्यादेश सं. में संशोधन किया गया है।
 - (नौ) अधिसूचना संख्या 16 जो 23 अप्रैल, 2010 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय कर्नाटक विश्वविद्यालय के परिनियम सं. 40 में संशोधन किया गया है।
- (दस) अधिसूचना संख्या सीयूके/जीओवी/एफ-101/2016-17/1261 जो 24 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय कर्नाटक विश्वविद्यालय के परिनियम सं. 42 में संशोधन किया गया है।
- (ग्यारह) अधिसूचना संख्या सीयूके/जीओवी/एफ-101/2011-12/1360/1 जो 24 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय कर्नाटक विश्वविद्यालय के परिनियम सं. 43, 44 और 45 में संशोधन किया गया है।
- (बारह) अधिसूचना संख्या एचएनबीजीयू/आरओ/2017-(1) ओआर (2) जो 27 अप्रैल, 2017 के

- भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित केन्द्रीय एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के अध्यादेश सं. में संशोधन किया गया है।
- (तेरह) अधिसूचना संख्या सीयूआरएजे/आर/एफ. 87/2017/4740 जो 3 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित केन्द्रीय राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यादेश सं. में संशोधन किया गया है।
- (चौदह) अधिसूचना संख्या सीयूआरएजे/आर/एफ. 87/2017/4740 जो 3 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित केन्द्रीय राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यादेश सं. में संशोधन किया गया है।
- (पंद्रह) अधिसूचना संख्या वीसीओ/सीवीओ/2017/168 जो 16 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित केन्द्रीय उड़ीसा विश्वविद्यालय के अध्यादेश सं. में संशोधन किया गया है।
- (सौलह) अधिसूचना संख्या सीयूआरएजे/आर/एफ. 35/666 (1) जो 26 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित केन्द्रीय राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यादेश सं. में संशोधन किया गया है।
- (सत्रह) अधिसूचना संख्या 11-1-/एमजीसीयूबी/जीए/2016/1561 जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित केन्द्रीय महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अध्यादेश सं. में संशोधन किया गया है।
- (अठारह) अधिसूचना संख्या सीयूटीएन-10(1)/2012-लीगल जो 29 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित केन्द्रीय तमिलनाडु विश्वविद्यालय के अध्यादेश सं. में संशोधन किया गया है।
- (20) उपर्युक्त (19) के मद सं. (नौ) से (बारह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7291/16/17]

(21) त्रिपुरा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 46 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एफ. 37-3/2009-डेस्क (यू) जो 15 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित त्रिपुरा विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्याओं में संशोधन के बारे में हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7292/16/17]

(22) सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 45 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एसयू/2007/आरईजी-03/जीएन-025/923/1728 जो 6 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित सिक्किम विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्याओं में संशोधन के बारे में हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7293/16/17]

(23) राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 31 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एडीएम-01/एसबी/2000-01 जो 6 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजीव गांधी विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्याओं में संशोधन के बारे में हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7294/16/17]

- (24) राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 31 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) अधिसूचना संख्या एडीएम-12/एसबी/2000-11 जो 28 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 23 और 24 के अधीन विजिटर द्वारा अनुमोदित परिनियमों का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।
 - (दो) अधिसूचना संख्या 23 जो 10 जून, 2011 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो राजीव गांधी विश्वविद्यालय के परिनियम सं. 11 और 13 में संशोधन के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 7295/16/17]

- (25) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2007 की धारा 49 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) अधिसूचना संख्या आईजीएनटीयू/2017/आरईजी/243 जो 28 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित इंदिरा गांधी गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के अध्यादेश सं. में संशोधन किया गया है।
 - (दो) अधिसूचना संख्या आईजीएनटीयू/2017/336 जो 2 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित इंदिरा गांधी गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के अध्यादेश सं. में संशोधन किया गया है।

(तीन) अधिसूचना संख्या आईजीएनटीयू/2017/416 जो 7 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित इंदिरा गांधी गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के अध्यादेश सं. में संशोधन किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 7296/16/17]

- (26) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा सूचना) नियम, 2015 जो 29 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सां.का.नि. 517 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7297/16/17]

(28) अधिसूचना सं. का. आ. 1304 (अ) जो 26 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय विनियम, 2017 के अधीन यूजीसी और एआईसीटीई द्वारा लागू की जा रही विभिन्न छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति स्कीमों के संबंध में आधार के उपयोग के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7298/16/17]

(29) वास्तुविद अधिनियम, 1972 की धारा 45 की उप-धारा (3) के अधीन दि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (मिनिमम स्टेंडर्ड्स ऑफ आर्किटेक्चरल एजुकेशन) (संशोधन) विनियम, 2017 जो 6 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सीए/1/2017/रेगुलेशन्स में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7299/16/17]

12.03 hours

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report a message received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

"In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 27th July, 2017 agreed without any amendment to the Indian Institutes of Information Technology (Public-Private Partnership) Bill, 2017 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 19th July, 2017."

.....

12.03 ½ hours

STANDING COMMITTEE ON ENERGY 28th Report

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : महोदया, मैं 'राष्ट्रीय सौर मिशन - एक मूल्यांकन' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2016-17) का 28वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तृत करता हूं।

12.04 hours

MOTION RE: 45TH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस.अहलुवालिया): महोदया, मैं श्री अनंत कुमार की ओर निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं:-

" कि यह सभा 28 जुलाई, 2017 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 45वें प्रतिवेदन से सहमत है। "

HON. SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with the Forty-fifth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 28th July, 2017."

The motion was adopted.

12.05 hours

GOVERNMENT BILLS -Introduced

(i) Punjab Municipal Corporation Law (Extension to Chandigarh) Amendment Bill, 2017*

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF DEFENCE (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Punjab Municipal Corporation Law (Extension to Chandigarh) Act, 1994.

HON. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Punjab Municipal Corporation Law (Extension to Chandigarh) Act, 1994."

The motion was adopted.

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, I introduce** the Bill.

12.05 ½ hours

STATEMENT RE: PUNJAB MUNICIPAL CORPORATION LAW (EXTENSION TO CHANDIGARH) ORDINANCE , $2017^{@}$

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF DEFENCE (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, I beg to lay on the Table an explanatory statement (Hindi and English versions) showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Punjab Municipal Corporation Law (Extension to Chandigarh) Ordinance, 2017 (No. 2 of 2017)

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 31.07.2017

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

[@] Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 7300/16/17

12.06 hours

GOVERNMENT BILLS -Introduced ...Contd. (ii) Central Goods and Services Tax (Extension to Jammu And Kashmir) Bill, 2017*

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF DEFENCE (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the extension of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 to the State of Jammu and Kashmir.

HON. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the extension of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 to the State of Jammu and Kashmir."

The motion was adopted.

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, I introduce** the Bill.

12.06 ½ hours

STATEMENT RE: CENTRAL GOODS AND SERVICES TAX (EXTENSION TO JAMMU AND KASHMIR) ORDINANCE , $2017^{@}$

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF DEFENCE (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, I beg to lay on the Table an explanatory statement (Hindi and English versions) showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Central Goods and Services Tax (Extension to Jammu and Kashmir) Ordinance, 2017 (No. 3 of 2017).

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 31.07.2017

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

[@] Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 7301/16/17

12.07 hours

GOVERNMENT BILLS -Introduced ...Contd. (iii) Integrated Goods and Services Tax (Extension to Jammu and Kashmir) Bill, 2017*

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF DEFENCE (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the extension of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 to the State of Jammu and Kashmir.

HON. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the extension of the Integrated Goods and Service Tax Act, 2017 to the State of Jammu and Kashmir."

The motion was adopted.

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, I introduce** the Bill.

12.07 ½ hours

STATEMENT RE: INTEGRATED GOODS AND SERVICES TAX (EXTENSION TO JAMMU AND KASHMIR) ORDINANCE, 2017[®]

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF DEFENCE (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, I beg to lay on the Table an explanatory statement (Hindi and English versions) showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Integrated Goods and Services Tax (Extension to Jammu and Kashmir) Ordinance, 2017 (No. 4 of 2017)

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 31.07.2017

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

[@] Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 7302/16/17

12.08 hours

GOVERNMENT BILLS -Introduced ...Contd. (iv) Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill, 2017*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING, AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (RAO INDERJIT SINGH): Madam, on behalf of Shri Narender Singh Tomar, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971.

HON. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 "

The motion was adopted.

RAO INDERJIT SINGH: Madam, I introduce the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 31.07.2017

12.09 hours

MATTERS UNDER RULE 377*

HON. SPEAKER: Hon. Members, there will be no 'Zero Hour' just now. शाम को जीरो ऑवर ले लेंगे।

Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise the matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally handover the text of the matter on the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received in stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

^{*} Treated as laid on the Table.

(i) Need to set up desalination plants in coastal areas of Maharashtra

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण (दिंडोरी) : माननीय सदन भली-भाँति जानता है कि मेरा गृह राज्य महाराष्ट्र विगत कई सालों से सूखे की समस्या को झेल रहा है। सिंचाई से लेकर पेयजल की समस्या प्रतिदिन भयंकर होती जा रही है। खेतों को पानी नहीं मिलना, पशुओं को पानी नहीं मिलना, लोगों को पेयजल नहीं मिलने से पूरे महाराष्ट्र के किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। किसान के खेतों में फसल पानी के अभाव में सूखने से किसान बैंकों से लिए गए ऋणों की अदायगी नहीं कर पाने से महाराष्ट्र के किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र दिंडोरी के आस-पास के क्षेत्रों में स्थित भातसा डैम, वैतरणा डैम, एवं ताणसा डैम हैं, जिनका पानी पूरे मुंबई को जा रहा है। अगर महाराष्ट्र के समुद्री तटों पर समुद्री पानी को पेयजल में परिवर्तित करने के आधुनिक प्लांट लगाए जाए, तो उपरोक्त डैमों का पानी उत्तर महाराष्ट्र के लिए प्रयोग किया सकता है। इससे उत्तरी महाराष्ट्र में सूखे से परेशान किसानों एवं नागरिकों को कुछ राहत दी जा सकती है। इसके लिए प. बंगाल एवं तिमलनाडु के समुद्र तटों पर समुद्री पानी को पेयजल में बदलने के कई प्लांट सफल रूप से चल रहे हैं। इसके लिए मैं स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला था। जैसा कि सदन जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी काफी प्रभावित हुए हैं। इस संबंध में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने कार्यवाही भी की थी, परंतु अभी तक महाराष्ट्र में इस समुद्री पानी से पेयजल बनाने हेतु किसी भी समुद्री तट पर डिसेलिनेशन प्लांट की घोषणा अभी तक नहीं की गई है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वर्तमान समय में महाराष्ट्र में सूखे की समस्याओं के तात्कालिक हल के लिए महाराष्ट्र के समुद्री तटों पर डिसेलिनेशन प्लांट स्थापित किए जाएं, जिससे मुंबई को पानी की आपूर्ति की जा सके और भातसा डैम, वैतरणा डैम एवं वैतरणा डैम से जो पानी मुंबई के लिए जाता है, उस पानी को उत्तरी महाराष्ट्र के सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में दिया जा सके।

(ii) Need to permit Members of Parliament to recommend more number of patients seeking help from Prime Minister's National Relief Fund

श्री लक्ष्मी नारायण यादव (सागर): नियम 377 के माध्यम से सूचना देना चाहता हूँ कि आजकल खान-पान की आदतों से, प्रदूषण तथा रसायनिक खादों के अत्यधिक उपयोग के कारण बड़ी मात्रा में लोगों को कैंसर, हृदय रोग, ट्यूमर जैसी बीमारियां हो रही हैं, जिनके इलाज पर भारी खर्च होता है। आम गरीब आदमी में इस खर्च को वहन करने की क्षमता नहीं रहती है। भारत सरकार ने प्रत्येक संसदीय क्षेत्र से 36 लोगों को इस प्रकार के रोगियों का सांसदों की अनुशंसा पर आर्थिक सहयोग करने का प्रावधान कर रखा है। परन्तु एक वर्ष में एक संसदीय क्षेत्र में इस प्रकार के रोगियों की संख्या इससे कहीं ज्यादा होती है, जिसके कारण अधिकांश गरीब लोग धन के अभाव में अपना इलाज कराने से वंचित रह जाते हैं।

अतः मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि प्रतिवर्ष 60 व्यक्तियों का इलाज करने की अनुशंसा करने का अधिकार माननीय सांसदों को देने की कृपा करें, जिससे अपने-अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को सहयोग कर उनकी सेवा कर सकें।

(iii) Need to undertake flood control measures to prevent havoc caused by rivers originating from Nepal in areas under Kheri Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी): मेरे लोक सभा क्षेत्र लखीमपुर में प्रतिवर्ष शारदा नदी में मुहांव कौडियाला आदि नेपाल की नदियों की वजह से लगातार बाढ़ व कटान की वजह से जनपद के किसानों की स्थिति खराब हो रही है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि-

- 1. शारदा नदी द्वारा कटान व बाढ़ का स्थायी हल निकाला जाए।
- 2. शारदा नदी में समाहित जमीन का मुआवजा, भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 के तहत दिया जाए ।
- 3. शारदा नदी पर पचपेड़ी पुल का निर्माण एवं नदी के दो तरफ बांध का निर्माण कराया जाए।
- 4. गन्ना मूल्य 450/रु. प्रति कुन्तल व समय से भुगतान किया जाए।
- 5. जिन किसानों की जमीन व मकान नदीं में कट चुकी है उसका सही मूल्यांकन, राजस्व अभिलेख खसरा के मुताबिक बनाया जाये और इसकी छायाप्रति धरना स्थल पर उपलब्ध करायी जाये।
- 6. दैवीय आपदा राहत के वितरण में उ.प्र. की पूर्व सरकार के समय बड़े पैमाने पर कथित अनियमिततओं की शिकायत मिल रही है, इसकी जांच करायी जाये तथा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाये।

(iv) Need to amend the rules and regulations regarding sale of packaged drinking water in the country

श्रीमती रक्षाताई खाडसे(रावेर): आजकल पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर या मिनरल वॉटर के नाम से आमतौर पर पानी की ब्रिकी की जाती है। मार्केट में उपलब्ध ज्यादातर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर आई.एस.आई. मार्क होता है जिसके चलते आम आदमी सहज व विश्वासपूर्वक ग्रहण करता है। हाल ही में हुए सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध टोटल पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर में से 65 प्रतिशत पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर जो बाजार में आमतौर पर बेचा जाता है उसकी क्वालिटी के लिए जांच करने के लिए कोई एजेंसी सरकार के पास आज उपलब्ध नहीं, जो कि बहुत जरूरी है। सरकार के पास पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर का मूल स्रोत जांच करने की कोई पद्धित निर्देशित नहीं है। बीमारियों के फैलाव का मूल कारण, खराब या दूषित पानी पीना है। में सरकार से निवेदन करती हूँ कि पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर के सिर्टिफिकेशन हेतु नये या मौजूदा रूल्स व रेग्युलेशन्स में संभाव्य संशोधन तथा आई.एस.आई. मार्क स्पेसिफिकेशन में सुधार की जरूरत है और इसी के साथ पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर की रिटेल काउन्टर पर जांच करने हेतु एजेंसी गठित करने के लिए भी निवेदन करती हूँ जो पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर के मूल स्रोत की भी जांच करने के लिए सक्षम हो।

(iv) Regarding alleged violation of UGC norms fixed for recruitment to the post of Assistant professors in Karnataka

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): The Government of Karnataka constituted Muniyamma Committee to look into equivalence of degrees for recruitment to the post of Assistant Professors.

Not a single member was from Management background, whereas UGC Guidelines clearly state. "The relevance of subjects or inter-disciplinary nature of subject is required to be decided by the concerned Appointing Authority with help of Subject Experts in the concerned/ related field as per its requirement.....". Except one Commerce Professor (not MBA) none were from concerned subject. Keeping out or non representation of Management Professors to decide needs of Management Faculty is erroneous and violative of the UGC guidelines.

They have disregarded UGC Rules and have held that only those who have UG in Commerce or Management with MBA and NET/SLET/Ph.D alone are eligible to teach BBM or BBA students in Government Colleges.

(vi) Need to ensure safety of people living in border areas of Jammu

श्री जुगल किशोर (जम्मू): मैं सरकार का ध्यान जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू की सीमावर्ती क्षेत्र की तरफ दिलाना चाहता हूँ। जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्र में पाकिस्तान की तरफ से रोजाना अचानक गोलाबारी की जाती है, जिसके कारण कई घर ध्वस्त हो जाते हैं और कई तरफ से अचानक हो रही गोलाबारी से अपनी जानें बचाने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है, जिसके कारण कई लोगों की जानें चली जाती हैं।

मैं सरकार का ध्यान जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू की सीमावर्ती क्षेत्र की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्र के हर घर में एक-एक बंकर बनाया जाये, जिससे पाकिस्तान की तरफ से अचानक हो रही गोलाबारी से बचने के लिए लोग बंकरों में शरण ले सकें और अपने और अपने बच्चों की जानें बचा सकें।

(vii) Need to provide funds for construction of cross country natural gas pipelines in country

श्रीमती जयश्रीवेन पटेल (मेहसाणा)ः नेशनल-ऑयल मार्केटिंग कंपनियों IOCL, BPCL, HPCL के साथ PNGRB द्वारा कॉस कंट्री पाइपलाइन परियोजनाओं को लागू कर रहा है। अर्थात् मेहसाना-भिटंडा पाइपलाइन (MBPL) भिटंडा जम्मू श्रीनगर पाइपलाइन (BJSPL) परियोजनाएं और मल्लवारम भोपाल भिलावर विजिपिप (MBBVPL) अतिरिक्त 15000 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन स्थापित करना माननीय प्रधानमंत्री जी के विचार का एक हिस्सा भी है। इन परियोजनाओं में केवल सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने के मामले में अवरोधों का सामना करना पड़ा था और बाजार की स्थितियों में काफी बदलाव होने के कारण इस पर कार्य लगातार नहीं हो पाया था।

5 नवम्बर, 2016 को गुजरात सरकार द्वारा MOPNG को पत्र भी लिखा गया था तथा बाद में 15.3.2017 को माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री, माननीय पैट्रोलियम राज्य मंत्री को भी पत्र भेजा गया है। लेकिन इस अनुमोदन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है तथा GSPL द्वारा विकसित क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों के लिए पूंजी अनुदान नहीं हुआ है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों के लिए पूंजी अनुदान व्यवहायर्ता पर जोर दिया जाए।

(viii) Need to extend Metro Rail service in Jaipur, Rajasthan

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर शहर): जयपुर में जयपुर मैट्रो का विस्तार सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र से सांगानेर, प्रतापनगर, रामबाग, होईकोर्ट एवं सचिवालय होते हुए रेलवे स्टेशन तक किया जाए साथ ही विद्याधरनगर, डहर के बाला जी, चौमू पुलिया, अम्बावाड़ी, पानी पेच एवं कलेक्ट्रेट होते हुए रेलवे स्टेशन तक जोड़ा जाये। इससे जनता को यातायात की बेहतर सुविधा मिलेगी एवं यातायात का दबाव भी कम होगा।

मेरी माननीय शहरी विकास मंत्री जी से मांग है कि अन्य राज्यों की भांति जयपुर शहर में भी मैट्रों का विस्तार किया जाये।

(ix) Regarding construction of an under-bridge at level crossing No. 340 and under-bridge/over bridge at level crossing No. 345 in Janjgir-Champa Parliamentary Constituency, Chhattisgarh

श्रीमती कमला पाटले(जांजगीर-चाम्पा): मेरे संसदीय क्षेत्र के नैला-चाम्पा समपार संख्या 390-340 के बदले 340 पर अण्डर ब्रिज एवं 677/1-3 समपार संख्या 345 नैला यार्ड पश्चिम केबिन समपार पर अण्डर/ओवर ब्रिज की स्वीकृति बजट में की गई है। तदनुसार राज्य शासन ने अपने बजट में राशि प्रावधान कर सेतु निर्माण विभाग से सर्वेक्षण रेलवे को प्रस्तुत की है। लेकिन रेलवे द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। साथ ही चाम्पा यार्ड में निर्माणाधीन ओवर ब्रिज अत्यन्त धीमी गित से चल रहा है, जिसे समय पर कार्य पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की मांग करती हूँ।

(x) Regarding uncertainty concerning Shiksha Mitras in Uttar Pradesh

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी (बस्ती): मैं सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों पर आए संकट की ओर दिलाना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार द्वारा अनियमित समायोजन के कारण लगभग 1 लाख 75 हजार से ज्यादा शिक्षा मित्रों व उनके परिजनों का भविष्य अधर में लटक गया है। यह समायोजन नियम के विरुद्ध होने के कारण माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसे लगभग खारिज कर दिया, किन्तु इसमें इन लाखों शिक्षा मित्र भाई-बहनों का क्या दोष, शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा की रीढ़ हैं। उनका समायोजन रद्द होने से उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था चरमरा जायगी व शिक्षा मित्रों एवं उनके परिजनों के समक्ष भूखमरी, बेरोजगारी का संकट आ जाएगा।

अतः मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूँ कि शिक्षा मित्रों एवं उनके लाखों परिजनों के हित को देखते हुए तत्काल प्रभाव से कोई ठोस व स्थायी कदम उठाये।

(xi) Need to construct a Road Over Bridge at level crossing No. 385B in Rampur Parliamentary Constituency, Utter Pradesh

डॉ. नैपाल सिंह (रामपुर): मैं सरकार को पुनः अवगत कराना चाहता हूँ कि उत्तर रेलवे के मुरादाबाद डिवीजन के अंतर्गत मिलक रेलवे स्टेशन मेरे संसदीय क्षेत्र रामपुर का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। इस स्टेशन के यार्ड में गेट सं. 385 बी होने के कारण प्रतिदिन मालगाड़ी यार्ड में आकर खड़ी हो जाती है और कभी-कभी तो 24 से 72 घंटे तक खड़ी रहती है, जिसके कारण बच्चों का स्कूल जाना, बीमारों को अस्पताल जाना तक बंद हो जाता है। कई बार विद्यार्थी व पैदल यात्री मालगाड़ी के नीचे से निकलते हैं जिससे उनकी जान को खतरा रहता है और हादसे के बवसर बढ़ जाते हैं जिससे जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता हैं यह मार्ग पटवायी शाहबाद बिलारी जाने आने का एकमात्र रास्ता है और यहाँ ट्रैफिक जाम बहुत होता है। तहसील मुख्यालय को जोड़ने के लिए भी लगभग 85 गाँव इस रास्ते को जोड़ते हैं और इस मार्ग पर कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। कभी-कभी तो मृत लोगों को शमशान घाट ले जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है और यहाँ के दुकानदारों व व्यापारियों का फाटक बंद होने के कारण बहुत नुकसान होता है। इस वजह से व्यापार भी आधा रह गया है। रेलवे ब्रिज के निर्माण के लिए कई बार धरने प्रदर्शन भी हो चुके हैं। मेरा अनुरोध है कि जनभावनाओं व आक्रोश को देखते हुए यहां पर आर.ओ.बी. की आवश्यकता है। पुल का निर्माण कराने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें। मैं संबंधित मंत्रालय को कई बार पत्र भी लिख चुका हूँ परन्तु पुल के निर्माण की उपेक्षा होती रही है। सदन में भी इस प्रकरण को उठा चुका हूँ। मैं पुन: सरकार से शीघ्र पुल निर्माण के लिए अनुरोध करता हूँ।

(xii) Need to ensure safety of people facing threat of life and property due to communal violence in West Bengal

प्रो. चिंतामणि मालवीय (उज्जेन) : इन दिनों पश्चिम बंगाल में हो रही साम्प्रदायिक घटनाओं, में हिन्दुओं की हत्याओं व लूटपाट से पूरा देश चिन्तित और स्तब्ध है। राज्य सरकार द्वारा इन हिन्दुओं को उत्पीड़न से बचाने हेतु पर्याप्त प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। जिहादी तत्वों व बंगलादेशी घुसपेठियों के हौंसले बुलंद हैं। राज्य सरकार विपक्षी राजनीतिक दलों को प्रभावित क्षेत्रों में जाने नहीं दे रही हैं। यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी सच दिखाने पर मुकदमें दायर कर दिये। दिल्ली स्थित टीवी पैन लिस्ट को जो कभी बंगाल नहीं गये उन पर भी मुकदमें दायर कर दिये गये हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि लोकतांत्रिक मूल्यों व राज्य में शांति के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को इस संबंध में उचित दिशा-निर्देश दिए जायें।

(xiii) Need to set up an office of General Manager, BSNL in Palghar district of Maharashtra

SHRI CHINTAMAN NAVASHA WANGA (PALGHAR): Thane district in Maharashtra is the biggest district in India and population of the district is more than one crore and twenty five lakh. Now Thane district has been bifurcated and a new Palghar district was established three years back. The population of new Palghar district is more than thirty lakh. There are eight tehsils, three Municipal Councils and one big Municipal Corporation under Palghar district. As per procedure, a post of General Manager and a office of BSNL is necessary for the district but till now no post of General Manager and BSNL office for new district has materialised. I have demanded several times to open General Manager office for Palghar district. I, therefore, request the Government to open General Manager BSNL office for new Palghar district.

(xiv) Need to set up a Passport Seva Kendra in Hamirpur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर (उ.प्र.) में रोजगार के लिए पलायन की गित काफी तेज है। इस हेतु लोग पलायन देश में ही नहीं अपितु विदेश में भी करते हैं। इसके साथ लोगों का विभिन्न कार्यों के लिए विदेश भी आना जाना लगा रहता है। बुंदेलखण्ड की वर्तमान जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है और मेरे संसदीय क्षेत्र में पासपोर्ट तथा वीजा के लिए लम्बी दूरी तय करके लखनऊ जाना पड़ता है। जिसके कारण काफी परेशानी होती है और अधिक समय और धन व्यर्थ में बर्बाद होता है। पासपोर्ट और वीजा की व्यवस्था क्षेत्र में उपलब्ध हो जाने से न सिर्फ समय की बचत होगी, अपितु लोगों को पासपोर्ट और वीजा आसानी से प्राप्त हो सकेंगे।

अतः मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर (उ.प्र.) के हमीरपुर नगर में पी.ओ.पी.एस.के. योजना के तहत पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोलने की कृपा करें।

(xv) Need to permit farmers to undertake cultivation in their agricultural land in Mauja Hundru under Ranchi Parliamentary Constituency, Jharkhand

श्री राम टहल चौधरी (राँची): मेरे संसदीय क्षेत्र रांची में एयरपोर्ट के करीब मौजा हुन्डरू थाना डोरण्डा के गांववासियों के आवागमन हेतु जो सरकारी सड़के हैं, उनको जेवीसी से काटा जा रहा है और नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अभी 11 जुलाई, 2017 को हुन्डरू की सड़क को काट दिया गया जिसके कारण 12 जुलाई, 2017 को एयरपोर्ट की सड़के पूरे दिन जाम रही है। सुगनू गाढी एवं हुन्डरू गांवों के निवासियों की जो रैयती जमीन है इस क्षेत्र में पिछड़े वर्ग के लोग रहते है एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जो बहुत ही गरीब हैं। यहां के लोगों ने मुझे बताया है कि इस रैयती जमीन पर आर्मी के लोग गांव वालों को उनकी पूर्वजों की जमीन पर खेती नहीं करने दे रहे हैं। यह जमीन मौजे के आसपास के गांव वालों की तीन सौ से चार सौ एकड़ जमीन है, जिन पर उनके पूर्वजों के समय से इस जमीन पर खेतीबाड़ी का कार्य होता रहा है और इसकी माल गुजारी भी चुकायी जाती रही है। मेरे जानकारी में आया है कि आर्मी वाले ग्रामवासियों को धमकी देते हैं कि जमीन पर कोई खेतीबाड़ी नहीं करेगा। इस जमीन का मुआवजा आपको मिल जायेगा। यह कैसा विधान है कि बिना मुआवजा के किसानों की जमीन को अधिग्रहित किया जा रहा है। देश के लोगों में आर्मी के प्रति सम्मान का भाव रहता है परन्तु इस क्षेत्र में जो आर्मी है, वह किसानों को तंग कर रही है और उनके मौलिक अधिकार एवं जीविका का अधिकार छीन रही है। यहां के लोग बहुत ही नादान एवं सीधे-सीधे हैं, परन्तु पेट की मार से यहां के लोगों का विवाद आर्मी के साथ हुआ है और कभी भी कोई भीषण हादसा हो सकता है।

इस संबंध में मेरा रक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि हुन्डरू ग्राम की सड़क को काटने के मामले की जांच की जाये और बताया जाये कि किन आधार पर आर्मी यहां के लोगों को सता रही है और उन्हें खेतीबाड़ी करने से रोक रही है। इस संबंध में पाये गये दोषी व्यक्ति को मौजूदा कानून के तहत सजा दी जाये, जिससे निर्भय ढंग से गांववासी अपनी जमीनों पर खेतीबाड़ी कर अपने परिवार का लालन-पालन कर सकें।

(xvi) Need to insert Section 153C and 509A in Indian Penal Code as recommended by M. K. Bezbaruah Committee

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): In 2014 the M.K. Bezbaruah Committee was appointed to suggest measures to tackle racial discrimination against North East people and it recommended severe punishment for such discrimination. For that purpose, the Committee recommended the insertion of Sections 153C and 509A in the Indian Penal Code. Despite a lapse of nearly three years, this recommendation against racial discrimination is lying in cold storage. This has given an impression to the offenders that the Government of India is not serious about this legislation. I, therefore, demand that the law for insertion of 153C and 509A in the IPC may be brought during this monsoon session of Parliament itself and enacted.

31.07.2017 74

(xvii) Regarding a new railway time from Tellichery in Kerala to Mysore in Karnataka

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN (VADAKARA): The Tellichery-Mysore Railway Line is a long cherished demand of the people of Malabar as this project will considerably reduce the distance between Kerala and Northern India. This line will also help development and economic prosperity of the whole area. Several surveys have been conducted by Railways to determine the feasibility of this project. The Government of Kerala has recently entrusted DMRC for a feasibility study of the project. The Government of Kerala and Karnataka have evinced interest in the project on cost sharing basis. I request that this important proposal must receive the attention of Railways and adequate steps may be taken to fulfill the demands of the people of this area.

(xviii) Regarding agitation against two ONGC wells in Mayiladuthurai Parliamentary Constituency of Tamil Nadu

SHRI R.K. BHARATHI MOHAN (MAYILADUTHURAI): ONGC has erected two oil wells in Kathiramangalam Village in Thanjavur District of my Mayiladuthurai Constituency. Natural gas and condensate are being produced from these two wells. Servicing the pipelines of this project started in June 2017. On seeing this, some elements in this village falsely propagated that methane and shale gas are going to be extracted from these wells. People fear that methane and shale are inimical for ground water of this area and other agricultural related activities which provide sustenance to them. So this project met with stiff resistance from them. Further the people started agitation against ONGC and demanded the closure of wells. Conciliatory efforts were made by local government officials. Even the District Collector of this district himself tried to allay their fears but of no avail. The agitation is still going on. Similarly when the ONGC tried to erect a third well in Mathirimangalam Village in Nagapattinam of my Constituency, the people of this area agitated against this on the assumption that methane and shale gas are going to be extracted from the new well. The erection of new well has been stopped now. Hence, I request the government of India to re-assure the people that no methane or Shale project is going to be implemented in Kathiramangalam & Mathirimangalam Villages. I, also request the Government of India to take necessary steps to impress upon the ONGC to provide basic amenities, to these villages and also provide employment opportunities.

31.07.2017 76

(xix) Regarding construction of two dams in Perambulur ParliamentaryConstituency of Tamil Nadu

SHRI R.P. MARUTHARAJAA (PERAMBALUR): My constituency Perambalur is a backward district in Tamil Nadu. During the rainy season, in Perambalur Union at Ladapuram village Panchayat, the rain water flows from Kollimalai and Pachaimalai to Chinna river. There are no check dams to store the water. So, the rain water is wasted and flows into Chinna river. More than 2 lakh agriculturists have been affected. Approximately 10,000 hectare acres are dry.

Likewise in Uppiliapuram Assembly constituency, in Pachaiperumal patty Panchayat union, there is a place called Pullian cholai. It is a tourist place. Tourists from all over southern states visit this place. There is scarcity of water in this place also. The rain water from Pachaimalai and Kollimalai flows through this place and mixes in the Chinna river. This rain water is not useful for anything.

Hence, I urge upon the Government to allot fund to construct 2 Check Dams at two places viz. Perambalur and Puliancholai so as to redress the long pending grievances of the people of my constituency.

(xx) Regarding a law for welfare of domestic helps

SHRIMATI MAMATA THAKUR (BANGAON): A dangerous trend has cropped up in the country since long concerning more than 4 million domestic help, commonly derogatorily termed as *Naukrani* by their employers. Including the recent incident in Noida, the list is long where the domestic helps were subjected to harassment, physical and mental torture and sometimes brutal assault. It is also a fact that male domestic helps have reversed the picture somewhat. But the gravity of the issue remains.

As the domestic helps remain in an unorganized sector, there is no law safeguarding their rights, wages or other benefits and not even job security. Most of the domestic helps are migrants, women and many a time, minors from the lowest income strata. This makes them vulnerable to exploitation, being locked up, starved and tortured. The problem has two dark sides. One is apathy of the Government towards them, another being the political insensivity.

As we all know, Noida incident led to the arrest of several Bengali people who hail from West Bengal and have valid documents. But alleged political interference has led to them being levelled as Bangladeshis. The political insensitivity is deliberate. But, the Government apathy is causing more damage to the domestic helps throughout the country.

India is a signatory to ILO's 189th Convention on Domestic Workers but did nothing to honour the Mandate for daily and weekly rest, minimum wages or protect them from violence because the mandate is not binding. A Bill named 'Domestic Workers Welfare & Social Security Act' was drafted by the National Commission for Women few years back but was not taken care of properly.

I, therefore, urge the Government to make a law to protect the domestic helps.

(xxi) Need to promote organic-farming in Arambagh Parliamentary Constituency in West Bengal

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAG): My Arambagh Constituency is a rich agricultural area. The agricultural economy largely depends on potato, Jute, Vegetables and Orchards products. It is very essential to create awareness among the people about organic farming on large scale.

I urge the Government for training and development of entrepreneurship and creation of employment opportunities based on organic farming in my constituency for the social-economic change.

(xxii) Need to adhere to Annual credit Plan and RBI credit norms by Nationalised banks

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): It is observed that many a time banks do not adhere to the Annual Credit Plans (ACP) and RBI credit norms. In my constituency Balasore, banks have continuously failed to achieve the ACP set for the district. The annual target under ACP for the district for 2015-16 was Rs. 3127.33 crore, while the actual disbursement was Rs. 2751.96. In crucial sectors like education and housing the achievement was only 20% and 54% respectively. The figure was 18% and 46% in 2014-15, which indicates this is not a one year phenomenon. While private banks had a CD ratio of 93%, the number stood at 50% for the Nationalised Banks well below the RBI norms. Therefore, I seek clarity on the framework in place to ensure that the banks adhere to the given targets, thereby providing adequate credit to the needy and urge the government to take action against defaulter banks.

(xxiii) Need to set up a Department of Sports Education in Nagarjuna University in Andhra Pradesh

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Education and sports have to go hand-in-hand, because education gives wisdom and sports build character. So, every university or institution should give special emphasis on sports along with education. The new State of Andhra Pradesh is doing everything possible to reorient all sports facilities and programmes.

Hon. CM of AP who understood the principle that sports and physical education is an important area that has greater impact on health and development of human resources of the State has always been insisting for sports along with education. He is laying a great emphasis on developing sports in the residuary State of AP during the last three years and trying everything possible, albeit the State is passing through financial difficulties.

As a part of his efforts to promote sports and sports education, hon. CM of AP had written a letter to the Minister of Youth Affairs & Sports in February, 2015, for sanctioning a Department of Sports Education in Acharya Nagarjuna University in Guntur district of Andhra Pradesh. I understand that subsequently also he requested the Minister to sanction this department as it helps in overall development of a student. But, so far no concrete action has been taken by the Ministry of Youth Affairs and Sports.

Hence, I request the hon. Minister of Youth Affairs and Sports to kindly sanction Department of Sports Education in Nagarjuna University without any further delay.

(xxiv) Need to accord permission to conduct a survey for new railway line from Thalassery to Mysore

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER (KANNUR): Delhi Metro Rail Corporation has submitted the feasibility report regarding Thalassery-Mysore Railway line passing through Kerala. As per the report, the total length of the line is 206.5 Km, of which 118.1 Km passes through Kerala. Union Ministry of Railway had issued in principle approval to the detailed survey in the forest areas in the state of Kerala and Karnataka to be done by Kerala Rail Development Corporation Ltd, a joint venture with Government of Kerala and Union Ministry of Railways.

A length of 57.04 km of the proposed railway alignment is passing through forests of Kerala coming under the categories of Reserved Forest, vested forest and Wildlife sanctuaries.

In these circumstance as the line passes through Reserved Forest, the Government of India's permission is necessary for conducting survey. Hence the Ministry of Environment, Forest & Climate Change is requested to issue permission for conducting survey in that area.

(xxv) Need to fill up backlog vacancies of other Backward Classes (OBC) in various Ministries

SHRI TEJ PRATAP SINGH YADAV (MAINPURI): Even after 24 years of introduction of reservation for Other Backward Classes (OBCs) in Central Government Services, their representation is still mere 17 percent which is quite less compared to 27 percent reservation for them.

Large number of vacancies are advertised but could not be filled up for several years. Thus candidates of OBCs are deprived of opportunities for employment.

The Government has been conducting special recruitment drives from time to time for filling up backlog vacancies reserved for OBCs. But even after several such drives, Government has not been able to fill up all backlog vacancies.

Most of the Ministries have failed to submit annual progress reports regarding implementation of reservation for OBCs.

I request personal intervention of Hon'ble Prime Minister to ensure filling up of all backlog vacancies of OBCs within a time-frame.

12.10 hours

DISCUSSION UNDER RULE 193

Situation arising out of reported incidents of atrocities and lynching in mob violence in the country

माननीय अध्यक्ष : अब हम आइटम नंबर 25 लेंगे। नियम 193 के तहत 12 बजे चर्चा तय हुई थी।

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम, मैं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहता था कि गुजरात में जो घटना घट रही है ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप आइटम नंबर 25 पर बोलिए। ऐसा नहीं होता है।

...(व्यवधान)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): नियम 193 के बारे में चर्चा करिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप नियम 193 पर बोलिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप विषय पर बोल नहीं रहे हैं। आप विषय पर बोलना शुरू करिए।

...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना): ये शुरूआत से ही खड़े हो गए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठिए। मैंने उनका नाम लिया है। आपने नियम 193 पर चर्चा की मांग की थी और मैंने इसे शुरू किया है।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद क्या करना, चर्चा शुरू करिए।

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे: मैं आपका आदेश स्वीकार करता हूं और बात करने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक समस्या है कि लोकतंत्र में अगर ऐसे एमएलएज की खरीद-फरोख्त होने लगी, एमएलसी की ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह नहीं होता है। आप नियम 193 पर बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: यह बड़ा दुःखद है। ...(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार: कहां खरीद-फरोख्त हुई है? ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: ये विषय से भटक कर दूसरे विषय पर जा रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: यह ऑपरेशन कमल जो हो रहा है, उसको स्टॉप कीजिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आज का जो विषय है, आप सबने ही एट्रोसिटीज, मॉब वायलेंस पर चर्चा की आवश्यकता पर बोला था। आप इसी पर बात करिए।

...(व्यवधान)

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे: मैडम, हम आपके आदेश से चलेंगे, ... * मैं एक ही पार्टी में पचास साल से हूं। मैडम स्पीकर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे रूल 193 के तहत अपनी बात रखने और खासकर मौब लिंचिंग इश्यू पर अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए समय दिया, मैं उसके लिए आभारी हूं। इस देश में किसी की भी हत्या हो या किसी का मर्डर हो, या किसी का खून हो या मॉब लिंचिंग हो, वह खंडनीय है, चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान हो, चाहे वह सिख हो, चाहे ईसाई हो, या किसी कम्युनिटी का हो, चाहे वह दलित हो, चाहे महिला हो, किसी भी व्यक्ति का मॉब लिंचिंग करना और कानून अपने हाथ में लेना और उसको मारना खंडनीय है। इसीलिए मैं कंडेम करता हूं, किसी भी व्यक्ति को जो ऐसी स्थिति आती है या ऐसा वातावरण तैयार करके मारा जाता है उसका मैं खंडन करता हूं और पूरा सदन भी खंडन करेगा।

आज पूरे देश में भय और आतंक का माहौल है। उसमें पूरी दुनिया में हिन्दुस्तान की छिव खराब हो रही है और खासकर कई शहरों में भीड़ द्वारा हिंसा और हत्याओं का सिलसिला थम नहीं रहा है। कानून की व्यवस्था हर जगह बिगड़ती जा रही है। यह इसीलिए बिगड़ती जा रही है कि जो व्यक्ति मारा जा रहा है क्या इन लोगों को धर्म के नाम पर, गोहत्या के नाम पर हर जगह एक उसकी हत्या हो रही है। लोग बहुत चिंतित हैं इस देश में डेमोक्रेसी या नहीं है, क्या इस देश में कानून की व्यवस्था है या नहीं, क्या इस देश में सरकार है या नहीं, यह समस्या आज लोगों के सामने है। खासकर मैं आपसे कहूंगा कि गौहत्या के लिए जो कानून है, संविधान के डॉयरेक्टिव प्रिंसिपल में जो आर्टिकल है उसके लिए सभी को गौरव है क्योंकि उस आर्टिकल के मुताबिक ही सभी राज्यों में कानून बनते हैं और कुछ राज्यों में ये कानून बन चुके हैं लेकिन चंद स्टेटस में ऐसे कानून नहीं हैं। फिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? इसके पीछे कौन है, इसका खुलासा होना चाहिए। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि जो घटनाएं घट रही हैं इसके पीछे ... * खासकर चंद संगठन इसे बढ़ावा दे रही हैं और प्रोत्साहित कर रही है। मैं यह नहीं कहूंगा कि वह डायरेक्टली कर रहे हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चाहे वह वीएचपी हो या बजरंग दल हो या गौरक्षक हो, ये सारी संस्थाएं बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। ...(व्यवधान) खासकर बीजेपी एमएलएज और एमपीज भी सपोर्ट कर रहे हैं।

^{*} Not recorded.

मैं उनके बयान भी आपके साथ पढ़कर बताऊंगा कि ऐसी चीजें मोदी जी के नए भारत में कट्टरपंथी विचारधारा के लोग निर्दोा लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। इन घटनाओं से देशप्रेमी और मानवतावादी जनता को बड़ा धक्का लगा है। संविधान का आर्टिकल 21 इस देश के हर नागरिक को जीने का अधिकार यानी राइट टू लाइफ देता है। जब से देश में एनडीए सरकार के कदम पड़े हैं तब से ऐसे कम्युनल और क्रिमिनल इंसीडेंस हो रहे हैं। इसे प्रोत्साहन, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, यह मैं जरूर कहूंगा।...(व्यवधान) जब ऐसी घटनाएं होती हैं, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी बात नहीं कहते हैं, अपने मन की बात कहते हैं।...(व्यवधान)

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी): जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो आप लोग भाग जाते हैं।...(व्यवधान)

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे: हम तो रोज रहते हैं,.....*.(व्यवधान) प्रधानमंत्री जी को रोज आना चाहिए। यह सदन उनके लिए बना है। इस सदन के वह लीडर हैं। यह हमारे ऊपर कोई उपकार नहीं है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, हमें आजादी मिले 70 साल हो गए हैं, लेकिन 70 सालों में ऐसी घटनाएं कभी नहीं हुई। बहुत सी घटनाएं होती हैं, भीड़ की तरफ से मारे जाते हैं, ऐसा कभी पोलिटिकल इश्यू पर होता है या कभी दूसरे इश्युज् पर होता है। धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर, गोरक्षा के नाम पर ऐसी घटना कभी भी इस देश में नहीं हुई। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं, यह गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, गांधी जी और सूफी संतों का देश है। यहां शांति और समृद्धि से रहना है, हमेशा संदेश देते हैं। हमारा देश सदा से भाईचारे के लिए मशहूर रहा है, भाईचारे के लिए आज तक राष्ट्रपिता गांधी जी का संदेश लेकर दुनिया में हम जाते रहते हैं, हमारा आदर भी होता है और जब गांधी जी का नाम लेते हैं तो सभी उनसे सीखने की बात कहते हैं। आज हम गौतम बुद्ध को भूल गए, महावीर को भूल गए, गुरु नानक को भूल गए, बश्वेश्वर को भूल गए, नारायण गुरु को भूल गए। इन सबको भूलकर कानून अपने हाथ में लेकर माइनोरिटी, दिलत और महिलाओं की हत्या कर रहे हैं। इन हत्याओं के पीछे, मैं खासकर कहूंगा और जोर से कहूंगा कि *इन सबका हाथ है। इनको रोकने के लिए माननीय प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं?...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुवे (गोड्डा): इन रिमार्क्स को एक्सपंज करना चाहिए।...(व्यवधान)

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे: जाति और धर्म के नाम पर हमें यह नहीं करना चाहिए। आज हमारे देश में यह हो रहा है, हिंदू हिंदू को मार रहा है, हिंदू मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, जम्मू-कश्मीर में ऐसी घटनाएं हुईं। ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? इसके पीछे क्या बात है? आपकी आइडियोलॉजी, फिलासॅफी, आप जिस फिलासॅफी का अनुष्ठान करना चाहते हैं, इम्पलीमेंट करना चाहते हैं,

^{*} Not recorded.

उसे लाने के लिए ये सब चीजें हो रही हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि जो भी ऐसा काम करेगा, मॉब लिंचिंग करेगा, गोरक्षक कोई भी ऐसा करेगा, उसके ऊपर एक्शन लेंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे। आपने कहा, वे गुंडे लोग हैं, हम गुंडे लोगों को कभी सपोर्ट नहीं करते हैं, वे हमारे से जुड़े नहीं हैं, लेकिन क्या आपने एक्शन लिया? किसी के खिलाफ एफआईआर की? कितने लोग जेल में हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों को आपने इंक्वायरी करके हैंग किया, इम्प्रिज़नमेंट किया?

माननीय अध्यक्ष, एक घटना नहीं है, मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है। अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी इजाजत से चंद घटनाएं यहां पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। मैं पूरी 50 घटनाएं नहीं पढ़ना चाहता। मैं सिर्फ वर्ष 2017 की घटनाएं ही पढ़कर सुनाना चाहता हूं। अलवर में गौरक्षकों ने दूध का व्यापार करने वाले पहलू खान और उसके चार साथियों को मारा। ... (व्यवधान) पहलू खान की दो दिन बाद मौत हो गयी। केरल में 19.4.2017 को 14 ... * के कार्यकर्ताओं द्वारा एक घर पर हमला करने के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। 24.4.2017 को गौरक्षकों की भीड़ ने जम्मू-कश्मीर के रिहायशी इलाके में एक परिवार के पांच लोगों को घायल कर दिया, जिसमें दो महिलाएं शामिल हैं। उस परिवार पर लोहे की रॉड से हमला किया गया। एक भीड़ ने गौहत्या की अफवाह में पुलिस पर पत्थरबाजी की। गुस्सायी भीड़ ने दो मुस्लिम व्यक्तियों पर गाय चोरी करने के शक पर उन्हें भगा-भगाकर मारा। जब तक उन व्यक्तियों को अस्पताल में लाया गया, तब तक उनकी मौत हो चूकी थी। ... (व्यवधान) हम वह भी बतायेंगे।

अध्यक्ष महोदया, दो किसान गायों को पालने के लिए लेकर जा रहे थे, लेकिन गौरक्षकों का शक था कि वे उन्हें स्लॉटर के लिए ले जा रहे हैं। उन पर भी हमला किया गया और उन्हें भी मार दिया। 12.5.2017 को गौरक्षकों के एक समूह ने पांच युवकों को बुरी तरह मारा। उन्होंने एक भैंस को स्लॉटर किया था, लेकिन गौरक्षकों को शक था कि उन्होंने गाय को मारा है। 14.5.2017 को गौरक्षक के एक समूह ने एक युवक को मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। उन्हें शक था कि इस युवक ने एक गाय को घायल किया था। यह घटना उज्जैन, मध्यप्रदेश में हुई। ...(व्यवधान) ओडिशा मे 25.5.2017 को गौरक्षकों के ग्रुप ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के मैनेजर सहित चार लोगों पर हमला कर दिया। उन्हें शक था कि वे जानवरों की ट्रैफिकिंग से जुड़े हुए थे। 2.6.2017 को आईआईटी मद्रास के स्कॉलर सूरज को पीटा गया, जिसमें उसकी दाहिनी आंख बुरी तरह से घायल हो गयी। उलटे उसके खिलाफ दो धाराओं में केस दाखिल किया गया। 12.6.2017 को राजस्थान में तिमलनाडु सरकार के एनीमल हसबैंडरी डिपार्टमैंट के कर्मचारियों पर दो ...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुवे : अध्यक्ष महोदया, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। ...(व्यवधान)

^{*} Not recorded.

माननीय अध्यक्ष: आप किस नियम के अंतर्गत प्वाइंट ऑफ आर्डर उठाना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुवे: अध्यक्ष महोदया, मैं नियम 352 के तहत प्याइंट ऑफ आर्डर उठाना चाहता हूं। Rule 352 says that a Member while speaking shall not refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending. खड़गे जी जितनी घटनाओं की बात कर रहे हैं, ...(व्यवधान) वे सब केसेज कोर्ट में चल रहे हैं और सब जूडिस है। यह बार-बार देश भर के मामले उठा रहे हैं, It is derogatory. ...(व्यवधान) इसलिए यह बात नहीं उठा सकते। ...(व्यवधान) इन्होंने जितना रेफरेंस दिया है, वह सब जूडिस हैं और कोर्ट उनका फैसला करेगा। ...(व्यवधान) यह कैसे बतायेंगे? ...(व्यवधान) यह ... कैं लगातार बोले जा रहे हैं। ...(व्यवधान) इसलिए मेरा आग्रह है कि आप इन्हें कहें कि विषय पर बोलें और जो भी सब जुडिस है, उस पर बात नहीं करेंगे। ...(व्यवधान)

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे: अध्यक्ष महोदया, कोर्ट के जजमैंट या वहां जो भी केस पेंडिंग है, उसके बारे में मैं डिटेल नहीं बता रहा हूं। मैं सिर्फ इंसीडेंट के नाम बता रहा हूं। यह क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसने किया, मैं इसे तारीख के साथ आपके सामने रख रहा हूं। ...(व्यवधान) इसमें सब-जूडिस का सवाल ही नहीं है। ...(व्यवधान) आपने गलत केस ले लिया है। ...(व्यवधान) झारखंड में करीब सौ लोगों की भीड़ ने एक आदमी को बुरी तरह मारा और उसके घर में आग लगा दी, क्योंकि उसके घर के सामने एक मरी हुई गाय मिली थी। ...(व्यवधान) झारखंड के रामगढ़ जिले में अलीमुद्दीन नाम के शख्स की हत्या कर दी गयी। ...(व्यवधान) उस पर शक था कि वह अपनी गाड़ी में बीफ लेकर जा रहा था। यह घटना उसी दिन हुई, जिस दिन मोदी जी ने लिंचिंग के खिलाफ एक बहुत बड़ा बयान दिया था और यह कहा था कि ऐसे लोगों पर एक्शन लेंगे। आपने क्या एक्शन लिया? हम इस सदन के लीडर से, प्राइम मिनिस्टर से पूछते हैं कि आपने क्या एक्शन लिया? आप हमेशा कहते हैं एक और करते है दूसरा। आप एक्शन नहीं लेते हैं।

मैं वर्ष 2016 की बातें नहीं पढ़ रहा हूं। झारखण्ड और मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग सेंटर बन गए हैं। ...(व्यवधान) हर जगह ऐसा हो रहा है। ...(व्यवधान) झारखण्ड के झाबर गांव में दो कैटल व्यापारियों - मोहम्मद मजलूम और इनायतुल खान के शव पेड़ से लटके मिले। ...(व्यवधान) ट्रक ड्राइवर बल्कार सिंह, जो हिन्दू थे।...(व्यवधान) भैंसों को ले जा रहे ट्रक को रूपनगर-पुराली रोड पर रोक लिया गया। ट्रक ड्राइवर बल्कार सिंह, जो हिन्दू थे, को जमकर पीटा गया। उसके खिलाफ गोवध कानून के तहत मामला दर्ज किया गया।...(व्यवधान) ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, मैं यह पूरी लिस्ट आपको देता हूं। ...(व्यवधान) हर जगह ऐसी

^{*} Not recorded.

चीजें हो रही हैं, इनके पीछे किनका हाथ है? ...(व्यवधान) अगर ऐसा करते गए तो क्या देश में एकता रहेगी, अखण्डता रहेगी, देश में डेमोक्रेसी रहेगी ? क्या इस देश में कानून की व्यवस्था होगी? ...(व्यवधान)
HON. SPEAKER: Nothing is going on record like this.

...(Interruptions) ... *

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे: इसलिए मैं यह पूरी लिस्ट आपको देता हूं, इसे मैं आपको सब्मिट करता हूं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप लोग बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सभी लोग समझिए। यह क्या हो रहा है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आज आप सभी सदस्यगण समझिए, अगर आप यह मानते हैं कि यह गंभीर बात है, हमने इस पर डिसकशन के लिए समय दिया है और नियम 193 के तहत डिसकशन शुरू हो रही है। मैं आज अपनी भी परीक्षा कर रही हूं, मैं आज किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। मैं किसी को कंट्रोल नहीं करूंगी। आप सभी जनप्रतिनिधि हैं, आप सभी को अपने-अपने क्षेत्रों में जाना है। अपने क्षेत्रों को संभालना है और लोगों को संभालना है। All of you and all of us, I can say, are answerable to everything. इसलिए मैं किसी को कंट्रोल नहीं करूंगी। आप अपना कंट्रोल रखिए, जब समय आएगा, आपकी बोलने की बारी आएगी, तब आप भी रिप्लाई दीजिए। मैं आपको भी बोलूंगी कि अगर यूं ही पर्सनल नाम लेना मना है तो कृपा करके मत लीजिए, क्योंकि जो यहां अपनी बात बताने के लिए उपस्थित नहीं रहेंगे, उनका नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए हर कोई अपनी बात अपनी लिमिटेशन में कहेगा तो कुछ डिसकशन हो पाएगा और हम कुछ कर पाएंगे।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, ठीक है। मैं आपका आदेश मानता हूं।

में आपके सामने एक अन्य उदाहरण रखूंगा। ...(व्यवधान) 12 जुलाई, 2016 को गुजरात में सोमनाथ जिले की एक घटना वायरल हुई थी, जिसमें चार-पांच दिलत लड़कों की पिटाई हुई थी। उनको गाड़ी में बांधकर रॉड से मारा गया। ...(व्यवधान) यह कौन सा न्याय है? उसी जिले में 20 जुलाई, 2016 को सात दिलत लड़कों की पिटाई की गयी, क्योंकि वे मरी हुई गाय का चमड़ा निकाल रहे थे। इसके बाद 25 सितम्बर, 2016 को बनासकांठा जिले में एक गर्भवती दिलत महिला को पीटा गया, क्योंकि उसने मरी हुई गाय को उठाने से इन्कार कर दिया। कहीं दिलत की इसिलए पिटाई हो जाती है कि वह मरी हुई गाय

^{*} Not recorded.

का चमड़ा निकाल रहा था और कहीं दिलत की पिटाई इसिलए की जाती है कि वह मरी हुई गाय को उठाने से इन्कार कर देता है। यह जो हो रहा है ...(व्यवधान) और ऐसा गुजरात में हो रहा है।...(व्यवधान) इसके बारे में क्या एक्शन अब तक हुआ है और इनकी रक्षा के लिए क्या किया गया है? ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं।

एक और घटना दिल्ली के पास घटी है। भरी ट्रेन में 16 साल के ज़ुनैद को इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गयी। वह नाबालिक लड़का ईद की खरीदारी करने के लिए दिल्ली आया था, ज़ुनैद के पास गोमांस नहीं था, पर वह अपने घर नहीं लौट पाया, क्योंकि उसकी मौत वहीं हो गयी। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। इस घटना से दूसरे क्रिमिनल्स को यह मैसेज गया कि हम कुछ भी करेंगे तो हमें पूछने वाला कोई नहीं है, हम करते जायेंगे। आज वही सिलसिला चल रहा है कि हर आदमी अपने हाथ में कानून लेकर, हर जगह लिंचिंग कर रहा है, मॉब मर्डिएंग कर रहा है और यह घटना दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैं आपसे यही कहूंगा कि सरकार ने इससे संबंधित गोरक्षकों के ऊपर कितने केस डाले, कितने गोरक्षकों को आपने अरैस्ट किया है और उन पर कौन-कौन से केस डाले हैं? एक तरफ आप डिसओन कर रहे हैं, लेकिन डिसओन करने के बाद जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया है, उनके ऊपर क्या एक्शन हुआ है? आपका कोई एक्शन नहीं है, इसलिए कोई नहीं डर रहा है। आप 'मन की बात' में बोलते हैं, हर जगह भाषण देते हैं,...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए। आप कुछ नहीं बोलिए। चर्चा शांति से चल रही है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Home Minister is there.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वह बैठे हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठ जाइए। आज कुछ मत बोलिए, मैंने यह सभी को कह दिया है।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: अध्यक्ष महोदया, उनका कर्तव्य होता है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय खड़गे जी, आप भी एक बात सुनिए। Home Minister is there. आपको मालूम है कि ऐसा कुछ नहीं है, इन सभी बातों का जवाब होम मिनिस्टर को देना है। He is sitting there. He is noting down points.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप एक बात और समझ लीजिए कि आपका आधा घंटा समय हो गया है। लिस्ट पढ़ने में आपके महत्वपूर्ण प्वाइंट्स रह जायेंगे। कृपया आप बात को समझिए। मैं आपको बीच में टोकूंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं अभी नहीं बोल रही हूं। मैं आपको बता रही हूं कि करीब आधा घंटा का समय आपका हो गया है।

...(व्यवधान)

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे: अध्यक्ष महोदया, मैं इसिलए इन सभी बातों को बता रहा हूं कि ऐसी घटनायें इस देश में हो रही हैं तो इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। उन पर एक्शन लेने की बजाय, वह प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसिलए हमारा कहना है कि यह सरकार खासकर माइनॉरिटी के विरुद्ध, दिलतों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, अपना जो गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। ...(व्यवधान) यह एक ही घटना नहीं है।

यूपी के सहारनपुर में एक माननीय सांसद ने खुद अपने एसएसपी के घर जा कर, उनके परिवार पर हमला किया।...(व्यवधान) उस वक्त एसएसपी का परिवार अकेला था। उसके परिवार के लोग भाग कर गौशाला में छिपे। ...(व्यवधान) जब एसएसपी ने इसकी रिपोर्ट की।...(व्यवधान) माननीय सांसद के खिलाफ एक्शन लेने की बजाय, एसएसपी को वहां से हटा दिया गया।...(व्यवधान) जो एसएसपी कानूनन काम करता है, उसको वहां से हटा दिया गया, लेकिन जो लोग कानून अपने हाथ में लेकर उनके घर पर जाकर अटैक करके...(व्यवधान) जिस जगह वह गाय बांधते हैं, उस जगह जाकर वह अपनी रक्षा किये।...(व्यवधान) इसलिए ...* (व्यवधान) आप हमारी बात सुनिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात बोलते जाइए। मैंने कुछ नहीं बोला है।

...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुवे: आप शासन के खिलाफ बोलते हैं, क्या आपने नोटिस दिया है?...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, मैंने एक एमपी बोला है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उनको पानी पीने दीजिए।

...(व्यवधान)

^{*} Not recorded.

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे: राजस्थान में पेहलू खान अपनी रोजी-रोटी डेयरी फार्मिंग से कमाता था। उसके पास संबंधित कागजात रहते हुए भी उन्हें आपने मार दिया। इस बारे में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने कंडोलंस तो जाहिर की, लेकिन demise without mentioning the fact that he had been murdered, उनका खून हुआ है, इस बात को उन्होंने नहीं कहा और इस बारे में उन्होंने चुप्पी साधी।...(व्यवधान) बीजेपी लॉ मेकर ने इस बारे में यह कहा कि that 'No regret over the killing because Khan was a cow smuggler.' एक लॉ मेकर ने ऐसा कहा 'No regret over the killing because Khan was a cow smuggler.' इसका क्या मतलब हो सकता है। ऐसी घटनाएं गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पूना आदि हर जगह, जहां बीजेपी शासित राज्य हैं, वहीं हो रही हैं। इसे कंट्रोल करने का कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है।...(व्यवधान)

महोदया, धनबाद में मजनू मंसारी और इनायतुल्ला भेड़-बकरियां, बैल आदि जैसे 25-30 जानवर लेकर जा रहे थे। गौरक्षकों ने उन्हें पकड़ा और लाठियों से मारा। इसके बाद उन्हें पेड़ से बांध कर नंगा लटका दिया। ऐसी घटनाएं अंग्रेजों के समय में हुआ करती थीं, लेकिन आज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। यह बहुत शर्म की बात है।

माननीय अध्यक्ष: आप अपनी बात कम्प्लीट कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे: महोदया, हमारे देश में संविधान से ऊपर कोई नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई अपने हाथ में कानून लेता है, तो उसे जरूर शिक्षा मिलनी चाहिए। यह जो बैन है, इसके बारे में सभी को मालूम है। सरकार इसमें अपनी नाकामियां भी दिखा रही है। एक घटना केरल में हुई और वहां एक वर्कर का मर्डर हुआ। ... *...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष: इस वाक्य का इस बात से कोई संबंध नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे : उन्होंने इसकी इन्क्वायरी की, लेकिन यहां मॉब लिंचिंग होती है और किसी को भी नहीं बुलाते हैं।...(व्यवधान) यहां किसी को क्यों नहीं बुलाते हैं। अपने कोई लोग हैं तो यहां राज्यों से ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: गवर्नर से संबंधित बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान)

^{*} Not recorded.

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे: मैं पूछना चाहता हूं कि इतनी घटनाएं हुई हैं, लेकिन कितने गवर्नर या होम मिनिस्टर बुलाए गए हैं?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप गवर्नर की चर्चा यहां मत कीजिए। आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, यह तो भेदभाव हो रहा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह भेदभाव की कोई बात नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे: महोदया, ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए और जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ये सोची-समझी घटनाएं हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अब अपनी बात समाप्त कीजिए। आप 25 मिनट से बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, यह बहुत महत्वपूर्ण है।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: You are not supposed to say anything.

... (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और सिर्फ आधा घंटा बोलूंगा।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आधा घंटा नहीं, I am sorry. आपको समय के अनुसार बोलना पड़ेगा। आप समझिए कि इस चर्चा के लिए दो घंटे दिए गए हैं। इस हिसाब से आपकी पार्टी को दस मिनट का समय ही मिलना चाहिए। फिर भी मैं आपको बीच में नहीं टोक रही हूं। आधे घंटे से ज्यादा समय से आप बोल रहे हैं। अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। Now, please conclude. आपकी पार्टी से कोई दूसरा सदस्य नहीं बोल पाएगा।

...(व्यवधान)

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। संसद भवन के सैंट्रल हाल में पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने भाग दिया था। उस भाषण में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने अपनी संवेदना को रखा और कहा कि भीड़ द्वारा लोगों को जान से मारने की घटनाओं पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।...(व्यवधान) उनका यह बयान गौरक्षा के नाम पर देश भर में होने वाली हिंसा को लेकर था।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : भीड़ द्वारा वगैरह उन्होंने नहीं कहा। I will have to see this कि राष्ट्रपति जी का यह वाक्य था क्या। आप राष्ट्रपति का वाक्य गलत मत कीजिए। I will have to see it.

...(व्यवधान)

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे: राष्ट्रपति जी ने सरकार को अपने शब्दों पर काम करने की सलाह दी।...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : भीड़ द्वारा, वगैरह उन्होंने नहीं कहा।

...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Madam, it is on record. ... (*Interruptions*) I am only quoting from it. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: मैं इसे देखूंगी। अगर यह है, तो अलाऊ कर दूंगी।

...(व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, he is quoting from the speech, which is on record. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Okay, I am not saying 'No'.

... (Interruptions)

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे : भारत के पूर्व राष्ट्रपित ... * ने अपने विदाई समारोह में कहा, उन्होंने भारत के लोगों से सभी नागरिकों के बीच बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देने का वचन दिया। यह केवल प्रशासन का एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं है, बिल्क देश के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का घोषणापत्र भी है। ...(व्यवधान) यदि इसमें किटन्युटी नहीं रखा गया...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : रिकॉर्ड में नाम नहीं जाएगा। आपको राष्ट्रपति का नाम नहीं लेना चाहिए था। केवल पूर्व राष्ट्रपति कहें।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैं कोट कर रहा हूँ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं कोट करने के लिए मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन आपने उनका नाम लिया।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैं पूर्व राष्ट्रपति कह रहा हूँ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पूर्व राष्ट्रपति का सवाल नहीं है, उनका नाम नहीं होना चाहिए।

^{*} Not recorded.

31.07.2017 94

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपकी बात समझ रही हूँ। मैंने केवल नाम के लिए मना किया है। मैंने 'पूर्व राष्ट्रपति' शब्द के लिए मना नहीं किया है। यह नियम में है, इसलिए मैं कह रही हूँ।

...(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार: मैडम, श्री खड़गे साहब बहुत ही अनुभवी हैं। वे रूल्स ऑफ प्रोसीज़र के जानकार भी हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, वे आज क्यों अनजान बनकर ये सब बोल रहे हैं। ...(व्यवधान) रूल 352 में लिखा है-

"... use the President's name for the purpose of influencing the debate; ...".

He cannot do it. ... (Interruptions) वे ऐसा नहीं कर सकते। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बैठ जाएं। मैंने कह दिया है।

...(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार: जब ... * राष्ट्रपति थे, यह उनका तब का बयान था।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने तो बोल दिया है कि वह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार : वे उसका यूज नहीं कर सकते हैं। ...(व्यवधान)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Madam, I want to respond to him. ... (*Interruptions*) Firstly, he has quoted him. ... (*Interruptions*) You have allowed to quote him. ... (*Interruptions*)

श्री अनन्तकुमार : मैंने यील्ड नहीं किया। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप मत बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार: आप बैठिए, आपको परिमट ही नहीं किया गया है।...(व्यवधान)

मैं श्री खड़गे साहब से इतना ही कहना चाहूँगा कि जब माननीय ... *इस देश के महामिहम राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने सेन्ट्रल हॉल में इस विषय को बताया था।...(व्यवधान) इसिलए उसको ये कोट नहीं कर सकते हैं। ...(व्यवधान) लेकिन ये उसे कोट कर रहे हैं। ...(व्यवधान) जिन दस्तावेजों को(व्यवधान)

^{*} Not recorded

रूल 352 के मुताबिक वे कोट नहीं कर सकते। ...(व्यवधान) जिन दस्तावेजों को अथेंटिकेट करना चाहिए, वे उसे अथेंटिकेट नहीं कर रहे हैं। ...(व्यवधान) जो मामले कोर्ट के सामने हैं, हर विषय में गौ-रक्षा के नाम पर जो गुंडागर्दी की गयी है, उनके संबंध में हर प्रदेश ने कार्रवाई की है। ...(व्यवधान) लेकिन वह कोर्ट के सामने है। वह सबज्यूडिस है। ...(व्यवधान) उसे भी आपने अलाऊ किया है, वे बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ...(व्यवधान) आप तथ्य कहें। ...(व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, why are you allowing him? ... (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: डिस्कशन क्या होता है? ...(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार : प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से लेकर हर प्रदेश के मुख्यमंत्री, केन्द्रीय मंत्री, सांसद, जो लॉ मेकर्स हैं, सब के ऊपर वे इमप्युट कर रहे हैं। ... (व्यवधान) ये सभी गलत बातें हैं, ये रूल के मुताबिक नहीं हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट श्री खड़गे जी, आप बैठिए।

रूल बुक मेरे हाथ में है। इसलिए मैंने कहा कि रूल 352 (vi) में साफ लिखा है-

"... The person shall not use the President's name for the purpose of influencing the debate; ..."

... (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Madam, he is the former President. ... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : इसलिए मैंने कहा कि उनका नाम इस तरीके से यूज नहीं होगा।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, मैं तो कोट कर रहा था। ठीक है। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now, you please conclude.

... (Interruptions)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप मुझे पाँच मिनट दें। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now, you please conclude. You will have to conclude.

... (Interruptions)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जी को हमारे प्रधान मंत्री जी ने बार-बार अपना गुरू माना है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब आप कन्क्लूड कीजिए। बस हो गया।

...(व्यवधान)

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे: लेकिन वे गुरू की बात ही नहीं मान रहे हैं। गुरू ने अपने भाषण में कहा, उसे वे नहीं मान रहे हैं। मैं एक दूसरी चीज़ भी बताना चाहता हूँ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज़ कन्क्लूड, मैं अब दूसरा नाम लेने जा रही हूँ।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: विदेशों में हमारी छवि बहुत खराब हो रही है। इसके बारे में हर न्यूज़पेपर और सारी इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ने लिखा है। मैं आपको दो शब्द बोलकर अपनी बात यहाँ खत्म करूँगा। श्री प्रताप भानू मेहता ने एक आर्टिकल लिखा था। उसमें उन्होंने कहा था कि "All of us are innocent till proven guilty; minorities, whether on a train, driving a truck, transporting cattle, distributing sweets, are guilty until proven innocent."

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, प्लीज़ कन्क्लूड। मैं आपसे तीन-तीन बार बोल रही हूँ।

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे: इसमें लिखा है कि जब तक प्रूव नहीं होता कि वह गिल्टी है, तब तक उसे इनोसेन्ट समझा जाता है। इनके केस में यह बात उल्टी है। इससे यह जाहिर हो रहा ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब आप अपने दूसरे स्पीकर के बोलने के लिए कुछ छोड़िए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, बहुत समय हो गया है। आई एम सॉरी।

...(व्यवधान)

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे: मैडम स्पीकर, विदेश में भी मार्टिन लूथर किंग-थर्ड, जो बैंगलूरू में ...(व्यवधान) उनका भी कहना यह है कि अमेरिका और इंडिया में यह स्थिति चल रही है। यह बात हम नहीं बोल रहे हैं। सभी लोग यह बात बोल रहे हैं।

मैडम, दूसरी बात यह है कि 'रूल ऑफ लॉ' सब के लिए एक है। हमें इसके बारे में सोचना होगा कि आज विदेशों में हमारी छवि क्यों घट रही है।

माननीय अध्यक्ष: बहुत अच्छा। अब इसी के साथ कल्क्लूड कीजिए।

...(व्यवधान)

31.07.2017 97

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे: प्रधान मंत्री जी सारे देश घूम रहे हैं, लेकिन छवि तो दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री ह्क्मदेव नारायण यादव। प्लीज़ बैठिए। नहीं, आई एम सॉरी।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम स्पीकर, अमर्त्य सेन और हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने जनता के लिए एक संदेश दिया है।

माननीय अध्यक्ष: आप अपना संदेश दे दो। वह बेहतर रहेगा।

...(व्यवधान)

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे: कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जिन पर कानून का पालन करने की जिम्मेदारी है, वे अराजक तत्वों का समर्थन कर रहे हैं। लोग क्या खाएं या क्या नहीं, किस से प्यार करें या किस से नहीं, ऐसी चीज़ों पर यह सरकार जबरन अपने विचार थोप रही है। इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जानी ज़रूरी है। यह हृदय की आवाज है।

इसीलिए, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि इनका एक्शन आज नहीं दिख रहा है और ये क्या करना चाहते हैं - इस देश को बचाना चाहते हैं या डुबोना चाहते हैं ...(व्यवधान) मैडम पाँच मिनट ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट कल्क्लूड करने के लिए दे सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं होता है, नहीं तो मैं सेकेण्ड व्यक्ति को अलॉओ नहीं करूँगी। थोड़ा समय तो मेरे लिए भी छोड़ो।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, यह इंपौर्टेन्ट है, लेकिन आप अलॉओ नहीं ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं करूँगी।

...(व्यवधान)

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे: मैडम, इनकी नीति ऐसी है कि 'चोर से कहे चोरी कर और साहूकार से कहे रखवाली कर।' ये इस नीति से जनता को गुमराह कर रहे हैं। आज ऐसे लोगों के हाथ में सरकार है और वह सब लोगों को परेशान कर रही है। सब के हक छीन रही है। प्रजातंत्र को खत्म कर रही है। अंत में मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाऊँगा। ... (व्यवधान) ये जरूरी है।

"दुनिया भर के इंसानों का यही है कहना, सबका हक़ है अमन और चैन से जिन्दा रहना। पास न आने दो नफरत के तूफानों को। प्यार की आज जरूरत है सब इंसानों को।

प्यार की मिट्टी से पैदा लहकार तो होगी, सदियों की सोई दुनिया बेदार तो होगी।"

यह मेरा संदेश है। यह देश हिन्दुस्तान है। इस देश को हिन्दुस्तान रहने दो। इसे ... * मत बनाओ। यदि हम इसे ... * बनाएंगे, तो सब लोग डूब जाएंगे। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री हक्मदेव नारायण यादव (मध्बनी) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जब कभी भी विषय को चर्चा के लिए चुनती हैं तो उस विषय को व्यापकता में ले जाती हैं। एसआईआरआई में भी जब विषय को चुना जाता है तो उसको भी व्यापकता में ले जाते हैं। आज का विषय भी सीमित नहीं है। यह व्यापक विषय है क्योंकि प्रस्ताव में स्वतः ही कहा गया है कि देश में अत्याचारों और भीड़ द्वारा हिंसा में जान से मारने की कथित घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा। भीड़ कोई एक नहीं है और न ही कोई एक तरह की है। भीड़ तो भीड़ है, चाहे वह किसी के भी नाम पर हो। लेकिन भीड़ द्वारा जो हिंसा की जाती है, उस भीड़ की मानसिकता क्या रहती है, इस संबंध में मैं एक उदाहरण यहां देना चाहूंगा। रामचरितमानस में एक कहानी है, जिसके बारे में आप मुझ से ज्यादा जानते हैं कि कालनैमी नामक एक राक्षस था। वह जब श्री हन्मान के रास्ते में बाधा उत्पन्न करने गया तो उसने अपना रूप साध् का बना लिया। लेकिन हनुमान जी ने उसके उस रूप को पहचान लिया, फिर आगे की कथा चलती है। इसी तरह से मैं जानता हूं कि हिन्दुस्तान में भी कुछ लोग आज कालनैमीवाद से ग्रसित हैं। कालनैमी कोई एक व्यक्ति नहीं है। कालनैमी एक विचाराधारा है, कालनैमी एक चरित्र है, कालनैमी का एक चिंतन है और आज भी हिन्दुस्तान की राजनीति में ये कालनैमी हैं। ये पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन उससे लड़ने वाला भी हनुमान जैसा चाहिए। उससे लड़ने का जब प्रश्न आया तो मैं खड़गे जी से निवेदन करूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री ने कई बार सार्वजनिक रूप से यह बात कही है कि यह गलत है, यह अपराध है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री जब इस बात को कह रहा है तो राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी बनती है कि प्रधानमंत्री के आदेश के अनुसार कार्रवाई करें। क्या कहीं संविधान में लिखा है कि भारत की सरकार पलटन भेज देगी? भारत की सरकार सीआरपी और बीएसएफ को अलग से भेज देगी। जहां भी भेजने की आवश्यकता है, जैसे कश्मीर में भेजने की आवश्यकता है, चीन से लगने वाली सीमा पर भेजने की आवश्यकता है तो निर्भयतापूर्वक और निडरतापूर्वक भारत की सरकार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। जब प्रधानमंत्री जी ने बार-बार

कहा है तो किसी की नीयत पर शंका पैदा करना उचित नहीं है।

^{*} Not recorded

हमारे गुरू डॉ. लोहिया हमेशा कहा करते थे कि तुम नीतियों की आलोचना करो, उनके विचारों की आलोचना करो, लेकिन किसी की नीयत पर शंका मत करो। यह बहुत खराब बात है। आप हमारी नीयत पर शंका करते हैं। हम बार-बार कह रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं...(व्यवधान) आप शांति रखें।...(व्यवधान) मैं इस बात को इसलिए कहता हूं कि आज हिन्दुस्तान के करोड़ों लोग इस गम्भीर समस्या पर चर्चा को टीवी पर देख और सुन रहे होंगे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बीच में क्यों बोल रहे हैं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: आज हिन्दुस्तान के करोड़ों लोग देख रहे होंगे, इस चर्चा को ध्यान से सुन रहे होंगे। मैं उन सभी श्रोताओं को कहना चाहता हूं कि सदन की चर्चा को आप अपने अंदर रखो, उस पर चिंतन करो, मनन करो और निर्णय करो। मैं भी कहता हूं, मुझे भी जानकारी है और 58 वर्ष की राजनीति में मैंने ऐसी बहुत सी कालनैमी को देखा है। आज में कहता हूं कि वे छद्मवेशी लोग हैं जो कालनैमी बनकर किसी दूसरे नाम से सरकार को बदनाम करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से इस तरह का आतंकवादी कार्यक्रम चला रहे हैं, ताकि सरकार की छिव को बर्बाद किया जा सके। ऐसे कालनैमी को पकड़ने की आवश्यकता है। वह कौन है, उसको खोजने की आवश्यकता है...(व्यवधान) इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं।...(व्यवधान) मैं आपको तो कालनैमी नहीं कह रहा हूं तो आप नाराज क्यों हो रहे हैं। मैं किसी दल या पार्टी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं।

आप भीड़ की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदया, मैं फिर पूछना चाहता हूं कि कश्मीर में एक डी.एस.पी. अफसर किसी समारोह के कार्यक्रम में जाता है, भीड़ आती है और उन्हें पकड़कर, घसीटकर उनकी हत्या कर देती है।...(व्यवधान) क्या वह भीड़ की हत्या नहीं है? कश्मीर में हमारी पलटन सीमा की सुरक्षा के लिए लगी है, आतंकवादियों से लड़ रहे हैं। उस समय हमारी पलटन पर भीड़ बनाकर पथराव करते हैं। उनके राष्ट्रभक्ति के काम में अवरोध पैदा करते हैं। आतंकवादियों से लड़ने में रोक रहे हैं और फिर इसी देश में एक-आध नेता भी होते हैं जो उन पत्थरबाजों को कहते हैं कि वे अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं।...(व्यवधान) देश के सभी लोग इसको सुनते हैं और समझते हैं। इसीलिए मैं विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि देश के नौजवानों समझों।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Rajeev Satav ji, I am taking note of you. ध्यान रखिए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: मैं फिर एक बार आपसे प्रार्थना करूंगा कि यह आज की लड़ाई नहीं है। मैं आपको बहुत दिन की एक घटना और डॉ. लोहिया की एक वाणी सुना देना चाहता हूं।...(व्यवधान) दिनांक 05.11.1965 केरल में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा संबंधी संकल्प पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि सिद्धांत्ततः ''एक बात बतलाना चाहता हूं, वह यह कि कांग्रेसी सरकार को एक बात का घमण्ड है कि वह

हार नहीं सकती तो, वह किसी हद तक सही है। स्वतंत्र पार्टी कभी उसको हरा नहीं सकती, जनसंघ उसको कभी नहीं हरा सकता, कम्यूनिस्ट पार्टी उसको नहीं हरा सकती। केवल एक दल उसको हरा सकता है, जिसमें आर्थिक क्रांतिकारिता और राष्ट्रीयता दोनों एक साथ समान मात्रा में जुड़ी हो।" ...(व्यवधान) मैं यह नहीं कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि आर्थिक क्रांतिकारिता और राष्ट्रीयता दोनों समान रूप से जुड़ी हुई हों और इसी को समन्वित करने के लिए वर्ष 1964 में कानपुर में संघ के शिविर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने लोहिया जी को आमंत्रित किया था। लोहिया व दीनदयाल उपाध्याय एक साथ जुड़ने की प्रक्रिया में चल रहे थे। उनके दुशमनों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ तो वर्ष 1967-68 में वर्ष 1967 में लोहिया जी और वर्ष 1968 में दीनदयाल जी, इन दोनों की हत्या कर दी गई...(व्यवधान) कि यह एकत्रीकरण न हो पाये। आर्थिक क्रांतिकारिता और राष्ट्रीयता दोनों एक साथ समान मात्रा में जुड़ी हुई हो, उन्होंने उस समय भविष्यवाणी की थी।...(व्यवधान) ''वह दल अभी बन पाया है या नहीं, इस पर मैं कोई राय नहीं देना चाहता, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि वह कृष्ण छोटा क्यों न दिखाई पड़ता हो, लेकिन किसी वक्त वह कंस के सिर और छाती पर चढ़ कर ऐसा मारेगा कि उसको ठीक कर देगा। यह काम आर्थिक क्रांतिकारिता और राष्ट्रीयता के जुड़ाव वाली पार्टी ही कर सकती है।'...(व्यवधान)

मैं इसी संदर्भ में कहना चाहता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। वे राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हैं, लेकिन आर्थिक क्रांतिकारी कदमों को उठा रहे हैं। जो लोग जानने वाले हैं, वे समझ गए हैं कि अगर राष्ट्रीयता और आर्थिक क्रांतिकारिता एक साथ चलेगी तो दोनों चक्की में कालनेमी जितने हैं, वे ऐसे पिस जाएंगे कि उनके वंश में कोई रहने वाला नहीं रहेगा। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह कहां से कहां, कहीं पर निगाहं, कहीं पर निशाना, मन में है कुछ और बात करते हैं कुछ। क्या यह आज हुआ है? यह शब्द मुझे बड़ा खराब लगता है। जब राज्य सभा में बहस हो रही थी तो मैंने पूछा कि किस विषय पर बहस हो रही है तो कहा कि मॉब लिंचिंग पर बहस हो रही है तो भूपेंद्र यादव जी से हमने पूछा कि ये लिंचिंग-फिंचिंग क्या होता है तो उन्होंने मुझे बताया कि भीड़ के द्वारा किया गया उपद्रव। मैंने जैसे कश्मीर की बात बतायी, मैं यह नहीं कहता कि आरोप लगाता हूं, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर केरल में दो विचार की लड़ाई है। भारतीय चिंतन में वैचारिक द्वंद को महत्व दिया गया है। विचार करो, सतसंग करो, बहस करो, आपस में समन्वय बनाओ, और सहमित बताओ। यही तो हमारी धारा रही है।

13.00 hours

हम इससे कहां विमुख होते हैं। आप जिस बात की चर्चा करते हैं, उस बात से आगे आइये, जिसकी चर्चा में आपने कहा कि ट्रेन में जुनैद को मार दिया। यह बार-बार आ रहा है कि सीट के लिए झगड़ा हुआ था और उसे आप जोड़ रहे हैं कि इस कारण से मार दिया। ये बातें सामने आईं कि सीट के

लिए झगड़ा हुआ। वो आदमी आपस में लड़ पड़े, दो आदिमयों ने मारा-मारी कर दी और आप उसमें उठाकर यह बात ला रहे हो कि हिंदू-मुसलमान का झगड़ा है...(व्यवधान) आप हिंदू-मुसलमान का झगड़ा मत बनाओ। मैं फिर कहना चाहता हूं कि केरल में अगर संघ के प्रचारक अपने विचार का प्रचार करते हैं, वहां प्रचारक जाते हैं तो उन प्रचारकों की हत्या होती है। क्यों होती है, किस कारण से होती है? एक बात याद रखो कि भारतीय संस्कृति में हम इसको मानते हैं - एक नहीं अनेक। हम उस विचार के राही हैं। हम उस शाश्वत, सनातन राह के राही हैं कि हम विचार को लेकर चले हैं। आप मेरा सिर काटते चलोगे, मेरी हत्या करते चलोगे, लेकिन हम उस राह के राही हैं कि एक न एक दिन एक में से अनेक बनते जायेंगे और कभी न कभी हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आप हमारी हत्या कर रहे हो, क्या वह मॉब लिंचिंग नहीं हैं? उसके लिए आपकी आंख में आंसू नहीं हैं। क्या वह मरने वाला मानव नहीं हैं? केरल में जो लोग मारे जाते हैं, क्या वे इंसान नहीं हैं? क्या वे हिंदू या मुसलमान के खाते में नहीं डाले जा सकते हैं, इसीलिए न। लेकिन इंसान-इंसान होता है। किसी भी दल के चिंतन को बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। जिसमें सहनशीलता नहीं है, जिसमें बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, वह हिंसा का सहारा लेता है।

महोदया, एक राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका एक अखबार और टी.वी. में बयान आया। मुझे सैंट्रल हाल में साथी लोग बता रहे थे कि ऐसा बयान आया है कि वह झारखंड में कहते हैं कि ये जो नक्सलाइट्स हैं, उन नक्सलाइट्स को अमुक पार्टी को वोट देना चाहिए और उसका समर्थन करना चाहिए। क्या यह मॉब लिंचिंग को हवा देना नहीं है, इससे बड़ा मॉब लिंचिंग क्या हो सकता है? मैं कहूंगा कि जिस पार्टी के वह नेता हैं, उन्होंने नक्सलाइट्स से खुले रूप में समर्थन मांगकर राष्ट्रद्रोह किया है। उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। उग्रवाद, आतंकवाद से अपने हित के लिए समझौता करना हमने इसी देश में देखा है।

बाटला कांड हुआ, उस पर विवाद हुआ। बाटला कांड में एक शहीद को क्या नहीं कहा गया। मुम्बई की घटना हुई, उसमें एक बड़े अफसर करकरे थे, उनकी शहादत हुई, उसके बारे में क्या-क्या नहीं कहा गया। हमने क्या-क्या नहीं सुना है। क्या-क्या न किया मेरे साथ जानता हूं मैं आपकी कहानी को। लेकिन आप धीरज से सुनिये, यह जो अत्याचार आज है, सामाजिक अत्याचार, राजनीतिक अत्याचार, आर्थिक अत्याचार, धार्मिक अत्याचार, सांस्कृतिक अत्याचार इस हिंदुस्तान में होते रहे हैं।

मैं अपने क्षेत्र की घटना बताता हूं और इस सदन से प्रार्थना करता हूं कि सदन के किसी विष्ठ संसद सदस्य की अध्यक्षता में संसद की कमेटी बने। मैं दो-तीन घटनाओं का जिक्र करता हूं, वह उनकी जाकर जांच कर लें। मेरे क्षेत्र में विस्फी है, लोहरा सुबोल एक गांव है, यह यादवों का गांव है। उन लोगों ने महावीरी झंडा बनाया, वे उसका जुलूस निकालना चाहते थे। आगे नरसाम एक सम्प्रदाय विशेष का गांव है।

वहां सरकारी सड़क है, पी.डब्ल्यू.डी. की सड़क है, प्रधान मंत्री सड़क है, पी.सी.सी. सड़क है, 20 फीट चौड़ी सड़क है। लेकिन उन्होंने कहा कि यहां से होकर महावीरी झंडा नहीं जाने देंगे, क्योंकि सड़क के किनारे हमारा एक धार्मिक स्थल है, हम इसके सामने से जाने नहीं देंगे। यह आज की घटना नहीं है। उस समय आर.जे.डी. की सरकार थी। वहां पुलिस वाले आए, अफसर आए, लेकिन नहीं जाने दिया। एक अलग से सड़क बना दी गई कि महावीरी झंडा लेकर उस सड़क से जाओ, तुम इस सड़क से नहीं जा सकते हो। क्या एक हिंदुस्तान में दो हिंदुस्तान बनेंगे? क्या महावीरी झंडा जाने के लिए अलग सड़क बनेगी, ताजिया जाने के लिए अलग सड़क बनेगी? मुसलमानों के जुलूस के लिए अलग सड़क बनेगी। रामनौमी, जन्माष्टमी, सरस्वती पूजा और प्रतिमा के विसर्जन के लिए अलग सड़क बनेगी। वह सरकारी सड़क है, यह घटना नम्बर एक है।

घटना नंबर दो - मेरे संसदीय क्षेत्र में दरभंगा जिला पड़ता है। वहां दानी नाम से एक गांव है। वहां के अनुसूचित जाति के कमज़ोर बच्चों ने सरस्वती पूजा की और विसर्जन के लिए जुलूस निकालना चाहा। उनसे कहा गया कि गांव से हो कर, इस प्रधान मंत्री सड़क से हो कर, मुख्य सड़क से जुलूस नहीं ले जा सकते हो। उनके जुलूस को रोका गया कि तुम इस रास्ते से बाहर-बाहर जा कर, नदी में मूर्ति का विसर्जन करो। मैंने उनको रोका और कहा कि उसी सड़क से ही जुलूस जाएगा। फिर वहां डीजीपी आए और उन्होंने उनके जुलूस को निकाला। क्या यह मोब लिंचिंग से कम बड़ा अपराध है? यह सांस्कृतिक अपराध है। सांस्कृतिक जुलूस को रोकाना, किसी के धार्मिक कर्त्तव्यों में बाधा पैदा करना, क्या यह मांब लिंचिंग से छोटा अपराध है? उनको क्यों रोका गया? आप जा कर जाँच कीजिए।

एक अंतिम घटना बताता हूँ। भैरवा नाम से एक गांव है। वहां बहुत बड़ी परती है। उसमें किसी शाहू जी ने किसी जमाने में महादेव का मंदिर बनाया। आज उसके चारों तरफ कब्रिस्तान की घेराबंदी कर दी गई है। उस मंदिर का रास्ता बंद हो गया है। हर साल, सावन में वहां टेंशन होता है। हजारों लोग वहां जलाभिषेक करने जाते हैं। उनका रास्ता रूक जाता है। उनको घुटने भर कीचड़ में हो कर जाना पड़ता था। उसमें किसी तरह पीसीसी मैंने करवाया, जिस पर हो कर लोग जाते हैं। आखिर क्यों? कमज़ोर कौन है? इस देश में न कोई अल्पसंख्यक है और न ही बहुसंख्यक है। हिंदुस्तान में हिंदू जातियों में बंटा है। हर जात को अलग-अलग कर दो तो हर जात अल्पसंख्यक है, कोई बहुसंख्यक नहीं बनता है।

मैं उस क्षेत्र से आता हूँ, जिस क्षेत्र में अकेले सर्वाधिक मुस्लिम का वोट है। लेकिन मैं उस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जीत कर आता हूँ और गर्व से कहता हूँ कि मुझे मुस्लिम भाइयों का भी वोट मिलता है, कुछ मुस्लिम भाइयों का वोट भी मिलता है। दुर्गा पूजा है, राम नवमी है, सरस्वती पूजा है, पिछड़े और दिलत समाज के बच्चे शहरों में जाने लगे हैं, उनमें चेतना आई है, वे भी ऐसे

मौके पर मूर्ति पूजा करते हैं, सांस्कृतिक उत्सव मानते हैं और उनके बच्चों को आनंद आता है। दुर्गा माता की पूजा, राम नवमी में, राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, उनके बच्चों को आनंद आता है, कुछ मिठाइयां बनती हैं, आपस में बांट कर खाते हैं, उनके हृदय में कितना आनंद आता होगा। उस आनंद को कौन जाने। लेकिन जब वे मूर्ति को विसर्जन करने के लिए चलते हैं तो इस रास्ते से नहीं जाने देंगे, कभी इस पर किसी ने बोला? इस पर किसी ने बोला? इतने दिनों तक आपका राज था, इस पर किसी ने बोला? अभी-अभी बिहार में शपथ ग्रहण के बाद एक मुसलमान मंत्री ने कहा - जय श्री राम। उनके ऊपर फतवा जारी हो गया। उनका निकाह कैंसल कर दिया। उनको फांसी झुलाया गया। उनको कहा गया कि तुम माफी मांगो। वे सबके बीच में गए। मॉब के बीच में गए और माइक पर कहते हैं कि जिन लोगों को मेरी बात से चोट लगी हो, तो मैं उनसे माफी मांगता हूँ। ...(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उसने जय श्री राम कहा तो क्या अपराध किया? गांधी जी के समय में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, रफ़ी अहमद किदवई थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे, सब साबरमती आश्रम में बैठते थे, सब एक साथ कहते थे - ईश्वर, अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर-अल्लाह का गान, हिंदु-मुस्लमान सब मिल कर करते थे। कहां मौलाना आज़ाद थे, रफ़ी अहमद किदवई थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जाकिर हुसैन थे, ये जब गांधी जी के नेतृत्व में, वंदे मातरम बोलते थे, आज वह वंदे मातरम कहना क्या अपराध है? इस देश में हमें वंदे मातरम नहीं कहने देंगे? क्या यह मॉब लिंचिंग नहीं है? यह मॉब लिंचिंग से भी बड़ा अपराध है। राष्ट्रीयता के साथ, एकता के साथ और अखण्डता के साथ अपराध है। राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है।

एक बात कह कर मैं समाप्त करूंगा। डॉ. लोहिया ने कहा कि हिंदुस्तान में दो धारा है। एक धारा दास भाव का समन्वय है और एक धारा स्वामी भाव का समन्वय है। डॉ० लोहिया ने इसी लोक सभा में बोलते हुए कहा, भारतीय इतिहास की आलोचना पर बोलते हुए लोहिया जी ने कहा था।...(व्यवधान) लोहिया जी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, मैं लोहिया की किताब पढ़ रहा हूँ, लोहिया वह नहीं थे, आप सुनिये, लोहिया ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि आजकल वक्ताओं में यह भी देखा गया है कि बार-बार कहने की प्रवृति आ गयी है कि हमारा अनोखा देश है।...(व्यवधान) यह सबको खपा दिया करता है। सबके साथ समन्वय कर लिया करता है। हमारा तो विविधता में एकता वाला देश है। आज आप महानुभाव लोगों से मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस इतिहास की जहरीली धारा ने हमारे दिमाग को कुछ ऐसा बना डाला है कि वर्तमान राजनीति में लगा हुआ हिन्दुस्तान सोचता है कि हम तो प्रगतिशील हैं। अब आने दो किसी बाहर वाले को, जीत लेगा तो हमारा क्या बिगड़ेगा, एक दफा जीत लेगा और बाद में हमारे अन्दर एक बहुत जबरदस्त सांस्कृतिक अमृत है, उसके सबब से हम उसको सांस्कृतिक रूप से जीत लेंगे, अपने में खपा लेंगे। अपने में यह खपा लेने की बात के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि इतिहास की यह धारा बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। समन्वय दो तरह का होता है, एक दास का समन्वय है और एक स्वामी का समन्वय है।

पिछले हजार वर्ष के इतिहास से हिन्दुस्तान ने स्वामी भाव का समन्वय नहीं सीखा। यह एक दास का समन्वय रहा है। ये सांस्कृतिक समन्वय की बात कह रहे हैं, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, इसी लोक सभा में भारतीय इतिहास की आलोचना पर बोलते हुए डाँ० लोहिया ने कहा था। उन्होंने कहा है कि ''इस सम्बन्ध में में खाली परदेशियों को ही दोष नहीं देता, उनके सबब से जितने भी इतिहासकार हैं, वे उसी जहर में बिल्कुल घुल जाते हैं। आज भारत में दो इतिहास के स्कूल हैं, एक डाँ० ताराचन्द का और एक डाँ० मजूमदार का, ये दोनों के दोनों इसी समन्वय धारा के हैं, विविधता धारा के हैं। भारत क्या है, उसको भूलकर भारत के जो विभिन्न अंग हैं, उनकी तरफ निगाह चली जाती है।'' मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : क्या हो गया?

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: अगर लोहिया जी जिन्दा रहते, तो हुक्मदेव साहब को देखकर रो पड़ते।

माननीय अध्यक्ष: ऐसा तो नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। आपके कान में आकर थोड़े कहेंगे।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: खड़गे साहब, हिन्दुस्तान में विविधता में एकता है, मैं ऐसा संसद सदस्य हूँ, जिसमें विविधता में एकता है। मेरे पिताजी, आठ चाचा, चार चचेरे भाई गाँधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आन्दोलन में जेल गये। उन्होंने चार साल की सजा भोगी। वे सभी कांग्रेसी थे। मेरे आठ चाचा, चार चचेरे भाई, मेरे खानदान से 16 आदमी जेल गये, चार साल की सजा पाये, लेकिन इतिहास में उनका कहीं नाम नहीं है। उनका नाम इतिहास में है, वे मजा पा रहे हैं, जिनके खानदान से एक आदमी जेल में गया और वर्षों तक हिन्दुस्तान में मजा पाते हैं। मैं भी उसी खानदान से हूँ। मेरे अन्दर भी स्वतन्त्रता सेनानी का खून है, जो अंग्रेजी राज से लड़ा था। मेरे अन्दर वह खून है, इसलिए मैं कांग्रेसी राज से लड़ा। मेरे अन्दर वह खून है, इसलिए मैं आज भी लड़ रहा हूँ। चाहे मर जाऊँगा, मिट जाऊँगा, लेकिन कभी कांग्रेस के आगे अपने सिर को नहीं झुकाऊँगा। मैं उस तरह का आदमी हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि आज कुछ और कल कुछ। कांग्रेस के आगे झुकते भी हैं, कांग्रेस से मिलते भी हैं, अन्दर-अन्दर दोस्ती और बाहर-बाहर झगड़ा। ड्राइंग रूम में एक थाली में पुलाव खाते हैं और सड़क पर आकर एक-दूसरे को गाली देते हैं। क्या देश में होली मनाते हो? जिसका कोई लेखा-जोखा नहीं रहेगा, जनता लेखा-जोखा लेगी।

इसिलए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि समझो, मैं वर्ष 1950 का संघ का स्वयंसेवक हूँ। आपमें से कितने हैं, जो वर्ष 1950 में जन्म लिये होंगे। मैं वर्ष 1950 से संघ का स्वयंसेवक हूँ, जब 8वीं क्लास में पढ़ता था। संघ का स्वयंसेवक रहते हुए, शाखा में जाते हुए, गुरू दक्षिणा करते हुए मैं समाजवादी युवजनसभा में काम करता था। लोहिया के नेतृत्व में सामाजिक क्रान्ति में लगा रहा। मैं दोनों धारा को लेकर आया हूँ। मैं तो शुरू से कहता हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। फिर उसी भारतीय इतिहास की आलोचना पर

डॉ० लोहिया ने कहा था कि आज जो हमारे बीच बसने वाले मुसलमान हैं, आखिर तो हमारे भूतपूर्व हिन्दू हैं, उनका कोई हाथ नहीं था उस वाक्ये में, उनसे बदला न निकालकर के, जो कि एक बिल्कुल अहमक काम होगा, हम यह कोशिश करते हैं कि इतिहास को गुस्से के रूप में न देखें, बल्कि दर्द के रूप में देखें। हम खिलाफ नहीं जाते जब वे कहते हैं कि हिन्दुस्तान के मुसलमान भूतपूर्व हिन्दू हैं। तो मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि वे भूतपूर्व हिन्दू हैं। दोनों सोचेंगे, हर मुसलमान सोचे और हिन्दू की भावना का सम्मान करे, उसी प्रकार हिन्दू भी मुसलमान की भावना का सम्मान करे।

मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा- 'कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं।' ...(व्यवधान) आप बोल लीजिएगा। आप बहुत दिन बोले हैं ... *...(व्यवधान) इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है कि जब मुसलमान को लोहिया कहते हैं कि आखिर वह भूतपूर्व हिन्दू ही तो है, तो मुसलमान को भी सोचना चाहिए कि वह भूतपूर्व हिन्दू है। अगर हर हिन्दू सोचे जो मुसलमान हैं, वे हमारे पुरखे थे, तो मुसलमान को भी सोचना चाहिए कि आज जो हिन्दू हैं, हम उन्हीं के पुरखों की औलाद हैं। दोनों को सोचना पड़ेगा।...(व्यवधान) मैं आपसे प्रार्थना करूँगा, मैं डॉ. लोहिया की इन बातों के साथ आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा, मैं उन्हीं की बात सुनाना चाहूँगा। ...(व्यवधान) डॉ. लोहिया समाजवादी थे। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगर आपको अभी समय लगेगा तो लंच के बाद बोल लें।

...(व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: अगर अभी पांच-सात मिनट दे दें तो मैं अपनी बात खत्म कर देता हूँ। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अगर आप लंच के बाद बोलें तो ज्यादा अच्छा है। अभी एक कार्यक्रम है। बाद में आपको पांच मिनट दे देंगे।

The House stands adjourned to meet again at 14.15 hours.

13.17 hours

The Lok Sabha then adjourned till Fifteen Minutes past Fourteen of the Clock.

^{*} Not recorded.

14.17 hours

The Lok Sabha reassembled at Seventeen Minutes past Fourteen of the Clock.

(Hon. Deputy Speaker in the Chair)

<u>DISCUSSION UNDER RULE 193– Contd.</u> Situation arising out of reported incidents of atrocities and lynching in mob violence in the country

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Hukmdeo Narayan Yadav, you can continue now.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): उपाध्यक्ष महोदय, भोजनावकाश से पहले मैं कुछ बिन्दुओं की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कर रहा था। मैं उस ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कर रहा था कि जिस तरह पाक़िस्तान जैसा देश छद्म रूप से युद्ध लड़ते हुए इस देश में आतंकवाद को प्रश्रय दे रहा है, प्रोत्साहन दे रहा है और आतंकवाद के नाम पर छद्म युद्ध लड़ रहा है, उसी तरह हिन्दुस्तान में कुछ लोग हैं, जो नरेन्द्र मोदी के शासन के खिलाफ़, सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं है, लेकिन, वे छद्म युद्ध लड़ रहे हैं। कहीं-न-कहीं उनको भी ... * ट्रेनिंग न मिली हो, भगवान जाने, मुझे पता नहीं, क्योंकि इनकी टेक्नीक वही है, टेक्नोलॉजी वही है। इनके चरित्र वही हैं, इनके कार्यक्रम वही हैं।

महोदय, मैं हिन्दुस्तान के करोड़ों नौजवानों से, ये पढ़े-लिखे नौजवान हैं, नेट वाले हैं, इन्टरनेट वाले हैं, ऑनलाइन वाले हैं, इनके पास वे सारी सुविधाएं हैं, अगर वे मेरी बात सुन रहे होंगे तो मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि बातों को समग्रता में समझो। आज जो लिंचिंग-लिंचिंग की बात हो रही है, ... * उस लिंचिंग के समय, आज जो फिंचिंग करने वाले लोग हैं, वे कहां थे? क्या वह उन्हें दिखाई नहीं पड़ी थी कि इतना बड़ा नरसंहार हुआ था? जो असम में घटनाएं घटित हुई थीं, माफ कीजिए अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे बताइए, कि किसी भी सम्प्रदाय के द्वारा हो, लेकिन आज बंगाल में सम्प्रदाय के नाम पर एक-दूसरे के ऊपर समूह बनाकर जो कर रहे हैं, क्या वह लिंचिंग ... * नहीं है? क्या केवल थोड़ी-सी घटनाओं को आप लिंचिंग मानेंगे? मैं समझता हूं कि केवल वह लिंचिंग नहीं है, बल्कि इसको समग्रता में देखने का काम किरए और इसका समूल नाश कैसे हो, इस पर सदन में विचार होना चाहिए और देश को गंभीरतापूर्वक इस पर चिंतन करना चाहिए। यह पार्टी का विषय नहीं है। यह किसी जाति विशेष का विषय नहीं है। अभी श्री रामविलास पासवान जी बैठे हुए हैं। हम तो उस राजनीति से आए हैं, जिसमें लड़ते-लड़ते न जाने कितने डंडे खाए हैं। आज भी जब पूर्वा हवा चलती है और इनकी लाठी के डंडे की चोट से जब दर्द होने लगता है तब मुझे

^{*} Not recorded.

एहसास होता है। आखिर क्यों, हमारे साथ हमारे साथी, आज भी वे समाजवादी साथी मर गए, लेकिन उनमें से कुछ जिंदे हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। वे सामाजिक क्रांति के लिए गए थे, तो उनको पकड़कर घर में बंद कर दिया गया था और कहा गया था कि इनको जिंदा जला दो। जब उस गांव के पिछड़े तथा दिलत लोगों को मालूम हुआ, तो वे झुंड बना कर आएं तथा उनको मुक्त कराएं।

किसी जमाने में पिछड़ों तथा दिलतों के लिए आवाज उठाना कितना कितन था, तब लिंचिंग होता था। उस समय लिंचिंग वाले ये सब लोग कहां थे, वे क्यों नहीं सोच रहे थे, क्या उस समय याद नहीं आ रही थी? जिस समय हम और श्री रामविलास पासवान जी लोक दल में थे, उस समय एक मामूली गरीब का बेटा, नाई जाति का बेटा, शायद एक-दो कट्ठा जमीन जोतने वाला, कच्ची दीवार, फूस की छत, श्री नरेन्द्र मोदी जी के जैसे, जिसके पिता हजामत करके गुजारा करते थे, ऐसा गरीब जो हमारे नेता थे और उनको अपोजिशन की कुर्सी न मिले? इसके लिए चुनाव के समय हमारे लोक दल के पिछड़े और दिलत वर्ग के आठ साथियों को चुनाव की गिनती में हरवाया गया था। क्या वह एडिमिनिस्ट्रेटिव लिंचिंग नहीं था? वे लोग चुनाव जीत रहे थे, लेकिन उनको हराया गया। फिर मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण दूंगा, किसी साथी से कहंगा कि आप वहां जाकर सत्यापन कर लें।

हरलाखी क्षेत्र में चुनाव हुआ, सीपीआई के उम्मीदवार थे, वह बड़े ईमानदारी व कर्मठ थे। मैं उनके क्षेत्र से पार्लियामेंट का चुनाव जीतता था। वह साढ़े तीन सौ वोट से चुनाव जीत गए। उनको हराने के लिए एक बूथ पर रिपोलिंग कराया गया, तब भी वह डेढ़ सौ वोट से जीत गए। फिर उस बूथ को कैंसिल करके तिबारा वोट कराया गया और बूथ को कैंपचर किया गया। बगल के क्षेत्र के एक पिछड़ी जाति के सीपीआई के एमएलए थे, वह पोलिंग एजेंट बने। उनको ... की तरह घसीटकर लाया गया और पीट-पीट कर उनके दाँत को तोड़ दिया गया था, जीवन भर उनके दाँत टूटे हुए रहे। उस समय की इस घटना को हम क्या कहेंगे? माँब के द्वारा बूथ पर अधिकार को छीनना, पिछड़े तथा दिलतों को बूथ पर से मार-मार कर भगाना, उनके औरतों का इज्जत लुटवाना, क्या यह लिंचिंग नहीं था?

" अपने तन का मर्म न जाने, मानुष मन मउराना है।"

जरा अपने आइने में झांकिये। आपने इस देश के साथ क्या-क्या नहीं किया है। मैं केवल सीधे जानना चाहता हूं, कहीं भी कुछ है, मैं श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए लड़ रहे हैं। समस्या पैदा किये आप, बच्चे पैदा किये आप, उसमें कोई आतंकवादी, कोई उग्रवादी और कौन-कौन बच्चे पैदा किये और उन बच्चों को हमारे मत्थे डाल दिए और हमको उनसे निपटना पड़ा रहा है। जब हम उनसे बेरहमी से निपटना चाहते हैं तो कहीं न कहीं इस देश के

^{*} Not recorded.

राजनीतिक नेताओं की आवाज निकलती है कि हे नक्सलपंथियों, अब तो तुमको सत्ता बनाने के लिए मुझे साथ देना चाहिए। हमें धिक्कार है ऐसी राजनीति पर, धिक्कार है ऐसे राजनेता पर। क्या यह लिंचिंग को आमंत्रित नहीं करना है? आप अपने घर को संभालो।

उपाध्यक्ष महोदय, इस देश का सौभाग्य था कि देश के लोगों ने एक गरीब के बेटा, पिछड़ा के बेटा को एक बार प्रधान मंत्री बनाकर देश की कुर्सी पर बैठाया। आज भी हिन्दुस्तान के सामंतवादी बड़े लोग है, जिनको यह बर्दास्त नहीं है।

जब मैं एक बार एमएलए बना तो मेरे पिताजी कहानी सुनाने लगे कि एक समय था जब हमारे गांव के अंदर जमींदार था, यदि उसके सामने हम जुता या खड़ाऊ पहन कर चले जाते थे तो दरवाजे पर बुलाकर कचहरी में ईंट पर खड़ा करके सूर्य की तरफ आँख करवा दिया जाता था। यदि शादी-विवाह होने पर पिछड़े और दलित लाल घोती पहनते थे तो उनका घोती खोलकर ... *करके वहां से विदा करते थे। इस अन्याय और अपराध के बोझ को झेलते हुए हम आए हैं, इसलिए हमारे दिल के अंदर दर्द है। आज जो भी सामंतवादी हैं, समृद्ध और संपन्न लोग हैं, जिन्होंने हिन्दुस्तान को आजाद भारत में लूट कर खाया है। अपने खाया, परिवार लूटा, ,खानदान लूटा और उनका समाज लूटा। वे सब जेल गए। कहां-कहां, क्या-क्या नहीं अपराध किया, लेकिन आज भी नरेन्द्र मोदी को अगर देखते हैं तो उनके कलेजे में दर्द होता है कि मेरे सामने एक चौका-बर्तन करने वाली गरीबनी का बेटा, पिछड़ा, भारत का प्रधानमंत्री बनकर बैठा है, बरदाश्त नहीं हो रहा है। लोकतंत्र कहता है कि बरदाश्त करना सीखो। हममें क्षमता है, योग्यता है, तब मुझको जनता ने दिया। मेरी बात बहुत लोग नहीं समझ पायेंगे। सीपीएम में भी करूणाकरण जी और डाँ० ए० सम्पत पिछड़े वर्ग के हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग कुछ और हुई है और मेरी ट्रेनिंग कुछ और हुई है। आप केवल आर्थिक विषमता के लिए लड़ते रहे। डाँ० लोहिया ने कहा कि आर्थिक विषमता और सामाजिक विषमता, दोनों को साथ-साथ लड़ना पड़ेगा। अगर इस देश के साम्यवादी आर्थिक विषमता के साथ-साथ सामाजिक विषमता की भी लड़ाई लड़े होते, तो आज उनकी यह दुर्गति नहीं होती। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि हम दोनों लड़ाई को लड़कर इस सदन में आए हैं।

मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैं सुना रहा था कि डॉ0 लोहिया ने कहा कि इस देश के लोगों का समझना चाहिए कि इस देश के मुसलमान भूतपूर्व हिंदू तो ही हैं। इस देश के मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि आखिर इनके पूर्वज हिंदू ही थे। जब उनके पूर्वज हिंदू थे, तो उनके पूर्वज का राम था, कृष्ण उनका था, काली उनकी थी, दुर्गा उनकी थी, देवी उनकी थी, देवता उनके थे, हिंदुस्तान की सभ्यता-संस्कृति उनकी थी। वे किसी कारणवश अगर मुसलमान हो गए, उनके पूर्वज

^{*} Not recorded.

अगर हिंदू थे, तो उनको भी उनके प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। ...(व्यवधान) यह भी उनकी बात है, यह सच्चाई है। ...(व्यवधान) मैं नहीं कहता। मैं आपको फिर श्रीमान् डॉ० लोहिया की बात को सुनाना चाहता हूं। ...(व्यवधान) जो उन्होंने राम, कृष्ण, शिव किताब लिखते हुए कहा था। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, जिनको साहित्य से प्रेरणा लेने की आदत नहीं है, मैं उनको आदत तो नहीं लगा सकता न। ''महाभारत हिंदुस्तान की पूर्व-पश्चिम यात्रा है, जिस तरह रामायण उत्तर-दक्षिण यात्रा है। पूर्व-पश्चिम यात्रा का नायक कृष्ण है, जिस तरह उत्तर-दक्षिण यात्रा का नायक राम है। मणिपुर से द्वारका तक कृष्ण या उनके सहचरों का पराक्रम हुआ है, जैसे जनकपुर से श्रीलंका तक राम या उनके सहचरों का पराक्रम हुआ है।'' वे तो समाजवादी थे। वे भगवान को नहीं मानते थे। ये ईश्वरवादी भी नहीं थे, अनिश्वरवादी भी नहीं थे। उन्होंने राम, कृष्ण, शिव किताब लिखी। किताब लिखते हुए अंत में भारत माता से कुछ मांगते हैं, तो कहते हैं कि ''मैं कोई इलाज सुझाने की धृष्टता नहीं करूंगा, मैं केवल इतना कहूंगा कि हे भारत माता! हमें शिव का मस्तिष्क दो, कृष्ण का हृदय दो तथा राम का कर्म और वचन दो, हमें असीम मस्तिष्क, उन्मुक्त हृदय के साथ जीवन की मर्यादा से रचो।'' यह कोई मैं नहीं कह रहा हूं, यह डाॅ० लोहिया ने कहा। ...(व्यवधान)

दादा, आपके लिए वंडरफुल हो या न हो, लेकिन हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब, पिछड़े सुन रहे होंगे, उनके लिए हुक्मदेव नारायण का भाषण मोस्टर वंडफुल है, वंडरफुल दैन वंडरफुल है। सबके अपने-अपने भाव हैं, अपनी-अपनी भावना है। ...(व्यवधान) मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए दादा, न मैं किसी मुख्यमंत्री का नाम गिना-गिना कर सर्टिफिकेट लेता हूं, न किसी दीदी, दादा का नाम सुना कर सर्टिफिकेट लेता हूं। मैं तो अपना राग सुनाता हूं और अपनी बात समाप्त करते हुए मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान के करोड़ों गरीबों का गीत सुनाने आया हूं।

58 वर्ष की जिंदगी में, मेरे साथी ... * बैठे हैं, इनको नहीं मालूम है कि किस राज्य में इनका नाम भी एनकाउंटर की लिस्ट में लिख दिया गया था। ... (व्यवधान) उनको मालूम है। ... (व्यवधान) एनकाउंटर लिस्ट में नाम लिखाने वाले कौन थे? ... (व्यवधान) क्या ... * इनका नाम एनकाउंटर लिस्ट में था। इस तरह 2,200 पिछड़ी जाति के और खासकर उसमें यादव नौजवान थे, क्योंकि यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का विरोध करने वालों की नींव की ईंट बना हुआ था।

इस तरह 2200 पिछड़ी जाति खासकर उसमें यादव नौजवान थे क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का विरोध करने वाले की नींव की ईंट बना हुआ था, 2200 पिछड़ी जाति खासकर यादव जवान जिनकी छाती चौड़ी थी, उनका इनकाऊंटर कर दिया गया था, वह कौन सा लिंचिंग था, स्टेट लिंचिंग था, राज किसका

-

^{*} Not recorded.

था इसलिए जब मैं खोजता हूं तो मेरे घाव जब ऊपर से निकलते हैं तो बड़ा ही मवाद बहने लगता है, रिसता है तो बहुत दर्द होता है।

महोदय, मैं देश के करोड़ों गरीब, किसान, मजदूर, हिन्दू-मुसलमान और सिख-ईसाई सभी से कहना चाहता हूं, बारी-बारी से लड़ाया है, बारी-बारी से सभी को पिटवाया है, बारी-बारी से उग्रवादी नेता पैदा कराया है और बारी-बारी से उस जाित के नाम पर उसका नरसंहार भी कराया है। इतनी लिंचिंग और क्या-क्या करने वाले जिसको नरंसहार कहते हैं, यह सब होता आया है। आज नरेन्द्र मोदी जी उससे लड़ना चाहते हैं, देश के करोड़ों किसानों, नौजवानों, गरीबों, पिछड़े, दिलतों, शोषितों और वंचितों, हुक्मदेव नारायण यादव तुम्हारे लिए लड़ता आया है, आज भी लड़ रहा है। समाजवादी डॉ. लोहिया का शिष्य होने के नाते हमारे लड़ने का सबसे उचित फोरम यही है, नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के फोरम से उस संघर्ष को लड़ रहा हूं और देश के लोगों को जगा रहा हूं। आओ, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आजादी के लिए सभी गुलामी से मुक्त हो जाओ, हम दास भाव से किसी के साथ नहीं रहेंगे, हिन्दुस्तान को स्वामी भाव का समन्वय चाहिए। अगर कोई अच्छा है तो अच्छा कहेंगे, अगर किसी में गलती है तो गलती कहेंगे। सुधरो, सभी सुधरो लेकिन छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो हम भी किसी को छोड़ेंगे नहीं, यही कहते हुए मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, I rise to speak on the discussion under Rule 193 initiated by Shri Kharge and being seconded by me.

Let me start by saying at the outset that I shall not be dealing with mob violence in general but I shall be dealing with mob violence relating to bovine issue, that is, cow related mob violence. महोदय, मैं इस डिबेट को बीजेपी और औपोजिशन नहीं बनाना चाहता हूं, न ही इस डिबेट को हिन्दू वर्सेस मुस्लिम डिबेट बनाना चाहता हूं। मुझे नजरूल इस्लाम का एक कविता याद है जिसमें उन्होंने बोला:-

"Hindu na ora Muslim oi jigasse kon jon, kandari balo dubiche manush sontan mor Mar" कौन पूछता है वह हिन्दू या मुस्लिम है, वह नैया बोलो कि डूब रहा है इंसान, जो हमारी माँ के बेटे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो वॉयलेंस हो रहा है इसके बारे में लोग कह सकते हैं कि कितने लोग मरे, कौन मरा, मैं इस सवाल को उठाना नहीं चाहता हूं। I am reminded of a poem by John Donne quoted in Hemingway titled 'For Whom The Bell Tolls'. It says: "Every man's death diminishes me for I am involved in mankind. Therefore, ask me not for whom the bell tolls; it tolls for thee." हर इंसान मरता है तो मैं छोटा होता हूं और आज इसी स्प्रिट में चर्चा होनी चाहिए ऐसा मैं समझता हूं, लेकिन जब हम चर्चा में भाग ले रहे हैं तो कुछ तथ्य और फैक्ट्स आपके सामने लाना चाहता हूं। बंगाल के बारे में भी बोलेंगे। दिल्ली के बारे में भी बोलेंगे कि कैसे आप लोग केजरीवाल से दिल्ली में हार गए थे। ... (व्यवधान)

One Magazine prepared a database from 2010 to 2017 to show as to how many bovine issue related incidents took place in all. They calculated that from 2010 to 2017, there were 63 incidents. I do not want to bring in Hindus and Muslims here. But 97 per cent of these incidents between 2010 and 2017 took place after Narendra Modi came to power in 2014. I want to repeat '97 per cent of the incidents'. Of the 28 people who were killed in these bovine issue related incidents, 86 per cent were Muslims. Now, I want to ask the Members of the ruling party one thing. वह हरदम उसको सभापति कहते हैं, हम विरोधी मुक्त भारत करेंगे, कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं क्या आप लोग ...* भारत करना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? ...(व्यवधान) मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यहां मुस्लम को रहने का अधिकार

^{*} Not recorded.

नहीं है? About 28 people have died in these bovine related incidents. Out of them 24 were Muslims. As I told you earlier, I do not want to speak on general mob violence. कभी ट्रैफिक से एक्सीडेंट होते हुए भी मॉब वाएलेंस होता है।...(व्यवधान) Of them, 24 were Muslims. And 52 per cent of these attacks took place in the BJP ruled States. Between 2010 and 2017, 97 per cent of the attacks were after the BJP came to power and 52 per cent of the attacks took place in the BJP ruled States. मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। ...(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): I would like to make a point. ... (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: I am not yielding. ... (Interruptions)

SHRI KIREN RIJIJU: Prof. Roy, when you are quoting the figures, you must tell the source. ... (*Interruptions*) He is quoting some figures that such and such incidents took place. He is saying that this much percentage of attacks took place during Shri Narendra Modi Government's time. On what basis has he made this claim? He must show the source. He must be able to tell the source of information. He cannot mislead the House. ... (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: I am not yielding. ... (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Order please.

... (Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY: I want to say that these cow related killings are all targeted killings. Prof. Sugata Bose reminded me in the morning that in the USA, after the civil war, there was an organization called Ku Klux Klan. They used to indulge in targeted killings of black people, of coloured people. यहां जो हो रहा है, ... * होता है, बोलते हैं कि तुम भागो, देश छोड़कर जाओ। ये कौन कर रहा है? This is also there in the statistics. ... (*Interruptions*) Again I am giving you the statistics. ... (*Interruptions*) In 23 incidents, the attacks were carried out by mobs or groups of people belonging to ... * groups, such as the ... * ये लोग कौन हैं, ये लोग

^{*} Not recorded.

रूलिंग पार्टी के ... * हैं, जो भारत में लड़ाई चला रहे हैं।...(व्यवधान) ये रूलिंग पार्टी के ... * हैं।...(व्यवधान) यही लोग सारे देश में ये करा रहे हैं।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: This will not go on record.

...(Interruptions)... *

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Whatever Prof. Saugata Roy has spoken is unparliamentary. It is highly condemnable. ... (Interruptions) He cannot be speaking about Bharatiya Janata Party, Vishwa Hindu Parishad, Bajrang Dal and RSS like this. ... (Interruptions) He cannot make unsubstantiated allegations. ... (Interruptions)

प्रो. सौगत राय: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। ... (व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please take your seat.

... (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: Sir, I am not yielding. ... (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Whatever objectionable remarks made by Prof. Saugata Roy cannot go on record. That will be expunged.

प्रो. सीगत राय: उपाध्यक्ष महोदय, मैं ...* नहीं बोलूंगा। ...(व्यवधान) मैं प्रॉमिस करता हूं कि ...* नहीं बोलूंगा। ...(व्यवधान) मैं ... * नहीं बोलूंगा। ...(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.S. AHLUWALIA): Mr. Deputy Speaker, Sir, he started his speech by saying that he does not want to make it an issue.

प्रो. सौगत राय: उपाध्यक्ष महोदय, ये बजरंग बली हैं। ...(व्यवधान) ये रूलिंग पार्टी के बजरंग बली हैं। ...(व्यवधान) Sir, why are you allowing him?

SHRI S.S. AHLUWALIA: I am just making a mention, what you said, you are using unparliamentary words and putting unprecedented questions in the minds of

_

^{*} Not recorded.

the people. Either you have to substantiate it. You quoted a data magazine. Now, you bring that magazine, authenticate it, lay it on the Table of the House, then only you can speak out. Otherwise, you cannot quote any data. ... (*Interruptions*) There are several rulings. ... (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): You cannot dictate. ... (Interruptions) उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी की धमकी नहीं चलेगी। ...(व्यवधान)

SHRI S.S. AHLUWALIA: No, I am not dictating; I am just reminding you and reminding is not dictating. ... (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE: You have become anti-Bengal. ... (*Interruptions*)

SHRI S. S. AHLUWALIA: Sir, I want your ruling on this whether a speaker can quote a survey report and say that a magazine collected data from 2010 to 2017 and then he started quoting 3 per cent and 97 per cent. Now, he should authenticate that magazine and substantiate that this magazine has collected this information. Then only he can quote. Otherwise, you expunge the entire proceedings, whatever he said till now. ... (*Interruptions*) He names a person or an organization who cannot come and represent his case here in the House and then he calls them monkey. What do you mean by that? He is using such vulgar language in the House. Will you allow that? Please expunge it. ... (*Interruptions*) HON. DEPUTY SPEAKER: Whatever unparliamentary words used by Prof.

... (Interruptions)

SHRI KALYAN BANERJEE : Mr. Ahluwalia, you have become anti-Bengali. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Don't divert the issue.

Saugata Roy cannot go on record.

PROF. SAUGATA ROY: Sir, the hon. Minister intervened. I only want to inform you that missing diary has been lodged in Darjeeling Police Station against their missing MP. He is not to be seen in the Darjeeling Hills. So let him not speak, let him go to Darjeeling. Let him go to Darjeeling from where he is elected. ... (*Interruptions*)

SHRI S.S. AHLUWALIA: I am their son-in-law. Get their FIR against me and now they say, I am a missing MP.

PROF. SAUGATA ROY: You are missing. ... (Interruptions)

SHRI S.S. AHLUWALIA: I am standing before you. ... * (*Interruptions*)

श्री कल्याण बनर्जी: आप अभी एंटी बंगाली हो गये हैं। ...(व्यवधान)

श्री एस.एस.अहलुवालिया: मैं आपका दामाद हूं। ...(व्यवधान) आप एंटी बंगाली मत बोलिए, क्योंकि मैं आपका दामाद हूं। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please don't divert the attention. We are discussing a serious issue.

... (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record.

...(Interruptions)... *

PROF. SAUGATA ROY: Sir, Shri Kharge had given details of various incidents. He had mentioned that on 24th June, 2017, a 15 year old poor boy, Junaid Khan was murdered in a train in Ballabhgarh, Haryana. He had mentioned an incident, which took place on 1st April, 2017 when a man called Pahlu Khan was murdered on the National Highway in Alwar District of Rajasthan. He had also mentioned an incident of 15th September, 2015 where a man called Akhlaq was beaten to death in Dadri village of Uttar Pradesh... (*Interruptions*)

Sir, somebody was mentioning about Bengal... (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Prof. Saugata Roy, please try to conclude, now.

... (Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY: Sir, I want to mention that very few cases of bovine-related violence happened in Eastern States including Bengal and Odisha. Some things have happened there.

_

^{*} Not recorded.

Now, why this is not being controlled, you may wonder! It is not being controlled because the BJP top leaders were very shy of condemning these incidents.

Sir, it took Haryana Chief Minister three days to condemn the killing of Junaid in Ballabhgarh. It took the central leadership of the BJP, Ravi Shankar Prasad four days to condemn these incidents.

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): Sir, I am on a point of order... (Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY: Sir, I have not named anybody.

SHRI NISHIKANT DUBEY: Sir, I am on a point of order.

PROF. SAUGATA ROY: Sir, I am not yielding... (*Interruptions*)

SHRI NISHIKANT DUBEY: Sir, I am raising my point of order because he is always mentioning BJP's name.

जब दादा ने भाषण स्टार्ट किया तो काज़ी नज़रूल इस्लाम की बात कही, मैं उनको जानकारी देना चाहूंगा कि जब वह बीमार हुए तो मेरे क्षेत्र में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के घर पर एक साल तक रहे थे। इसी जनसंघ ने उनको जगह दी थी।

दूसरी बात, जो मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है, कौल और शकधर ने कहा है:

"Where allegations are made in the House against a particular political party, the Leader or the Chief Whip of the party or a Group in the House is permitted to make statement in regard thereto."

माननीय सदस्य बार-बार बीजेपी के बारे में एलिगेशन लगा रहे हैं। ये बीजेपी या किसी पोलिटिकल पार्टी के बारे में कैसे एलिगेशन लगा सकते हैं। यह कौल एंड शकधर की रूलिंग है। इनको हमारी पार्टी से परमीशन लेनी पड़ेगी कि वह हमारे ऊपर एलिगेशन लगाना चाहते हैं।...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: His point of order is that no Member should take any political party's name whereas, at least, 10 times, Shri Hukmdeo Narayan Yadavji mentioned political parties in his speech. वह पूरे एक घण्टे तक भजन करें - कांग्रेस, कांग्रेस। तब आपने कुछ नहीं बोला, पूरी हरिकथा की उन्होंने।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Prof. Saugata Roy, please conclude, now.

... (Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY: Sir, I did not relate what all Shri Hukmdeo Narayan Yadavji said because... * What will I tell him? I do not want to talk about him... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, please wind up your speech.

... (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: Sir, I again want to mention that it took six days for the ... * to own up lapses for young innocent men being beaten to death. In his home State, 10 men had been beaten to death; and it took him six days to condemn that... (*Interruptions*)

श्री निशिकान्त दुवे: झारखण्ड एक ऐसा राज्य है, जिसने एसपी और डीएसपी को सस्पेंड किया।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Prof. Saugata Roy, please wind up your speech, now.

PROF. SAUGATA ROY: Sir, how much time has been wasted by them. You must give me time. There is so much of disturbance. Why did you allow them to disturb me?... (*Interruptions*)

It took the Rajasthan Chief Minister one month to condemn the Alwar lynching.... (*Interruptions*) The Prime Minister himself has so far made only two statements condemning *gau rakshaks*. One in 2016 and recently on June 29, he made a statement in Sabarmati Ashram when he condemned *gau rakshaks*. It is a good thing. But, why did it take him so long?... (*Interruptions*) And you know, nobody trusts him when he condemns this because on the same day that he condemned the killings in Sabarmati, the same day, Alimuddin *alias* Asgar Ansari was beaten to death in Jharkhand's Ramgarh district suspected for carrying beef. So, the Ruling Party has always erred in not condemning enough.... (*Interruptions*) Now, the Ruling Party President is involved in saying: "So many lynchings took place in UPA regime." The question, as I said, is not: "In whose

_

^{*} Not recorded.

time was it carried out?" The question is: "Are the Governments performing their duties?"... (*Interruptions*) In UP, 10 such incidents have taken place; in Gujarat, six incidents have taken place; and in Rajasthan similar incidents have taken place. ... (*Interruptions*) They are all BJP ruled States where such incidents have taken place. ... (*Interruptions*)

Sir, I am making some concrete suggestions. Under Cr.PC and IPC, lynching is not defined.... (*Interruptions*) Under Section 223(a) of Cr.PC you can say that in mob killing, people should be judged differently. I demand a separate law... (*Interruptions*) What is this, Sir?... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: You please wind up.

... (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: ... (Interruptions)... * Sir, I suggest that just as, after the Nirbhaya incident, a fresh law under or a modified Indian Penal Code was brought in this Parliament, I demand that a Manav Suraksha Kanoon for preventing lynching should be brought by the Government. It is because lynchings are primitive and lynchings are feudal. Just to think that a man is crying for mercy and he is beaten mercilessly by some people who either accuse him of smuggling cows or accuse him of being child lifter cannot go on.... (*Interruptions*) The country is ashamed.... (*Interruptions*) Today, people from all over the country have come out in demonstration in the big cities not in my name.... (*Interruptions*) People will protest. Today, 114 Armed Forces' veterans have issued a statement, condemning these lynchings.... (*Interruptions*) Sir, this country is changing. I do not know who will be in power but people in whose time human beings are beaten to death will not be pardoned in the annals of history.... (*Interruptions*)

With that, I conclude, Sir.

_

^{*} Not recorded.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान): उपाध्यक्ष जी, मैं आपको और अध्यक्ष जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आज इस महत्वपूर्ण ि वषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करने का हम लोगों को मौका दिया है। इसकी शुरुआत खड़गे साहब ने की है। खड़गे साहब हम लोगों के सम्मानित नेता हैं और वह बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन आज खड़गे साहब के भाषण में जोश नहीं था।...(व्यवधान) ...

हमारे देश में भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दा था, लेकिन आज भ्रष्टाचार पर बोलने के लिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है।...(व्यवधान) आप शांति से सुनिए। हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और सौगत राय जी के नाम उल्लेख भी नहीं करेंगे। आप भ्रष्टाचारी लोगों से समझौता कर रहे हैं। हमारे खिलाफ भ्रष्टाचार का आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। विकास के नाम पर भी आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। खड़गे साहब का जो विषय है कि दलितों पर अत्याचार, इस पर भी इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि प्रधान मंत्री जी ने एक दलित को राष्ट्रपति बना दिया है। वह मामला फ्युज हो गया। पिछड़ी जाति से उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है। सोशल मुद्दा समाप्त हो गया है और एक ही मुद्दा केवल गौरक्षकों का बचा है। कम्युनिटी की आड़ में हथियार चलाने का आप काम कर रहे हैं। आपने कहा कि संविधान की धारा 48 के मुताबिक इस देश में 29 राज्य, जिनमें पांच केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहां गौवध प्रतिबंध कानून लागू है। आपने कहा कि गौरक्षक के नाम पर क्या कार्रवाई हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। आप एक तरफ फैड्रल स्ट्रक्चर की बात करें और दूसरी तरफ राज्य के मामलों को केंद्र पर डालने का काम करें। हमें इस बात की खुशी होती कि एक शब्द यह कहा जाता कि राज्य सरकार को क्या करना चाहिए। मैं अंग्रेजी समझने वालों के लिए बोलना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने एक बार नहीं दो-दो बार कहा कि some anti-social elements have incited violence in the name of cow protection. Those engaged in disturbing the harmony in the country are trying to take advantage of the situation. सरकार के विकास के जो काम चल रहे हैं, ऐसे तत्व उनका एडवांटेज लेना चाहते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि it has an impact on the image of the nation. इससे देश की इमेज पर भी प्रभाव पड़ा है। State Governments must deal sternly against such anti-social elements. उन्होंने कहा कि जो लोग इस तरह की कार्रवाई करते हैं, वे एंटी सोशल हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने फिर कहा कि maintaining law and order is the responsibility of State Governments and wherever these incidents are taking place, State Governments must deal firmly with it. इसमें 'शुड' शब्द का यूज नहीं किया है बल्कि 'डील फर्मली' शब्द का यूज किया है। The State Governments must also see to it that in the

name of cow protection, some people are settling their personal rivalry. All the political parties should condemn strongly this goondaism in the name of cow protection. इससे ज्यादा किस लैंग्वेज का यूज करना चाहते हैं। आप बताएं कि इससे ज्यादा क्या स्ट्रांग लैंग्वेज हो सकती है, अगर है तो उस प्रस्ताव को ही पास कीजिए। पालिटिकल पार्टी के लोगों से अपील की गई, राज्य सरकार से अपील की गई। प्रधान मंत्री एक बार नहीं बल्कि दो-दो बार अपील करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहां राजनीति होती है। आप क्या चाहते हैं?...(व्यवधान) पश्चिम बंगाल की सरकार है, उड़ीसा की सरकार है या किसी भी राज्य की सरकार हो, क्या वहां फौज भेजेंगे?...(व्यवधान) आप क्या चाहते हैं कि जहां इस तरह की गुंडागर्दी हो, वहां यहां से फौज भेजी जाए। क्या आप यह प्रस्ताव पास करना चाहते हैं?...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष जी, हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, बहुत गंभीरता से बात कर रहे हैं। कोई ऐसा राज्य नहीं बचा है, जहां इस तरह की घटनाएं न हुई हों। हम वर्ष 1977 से हैं। हमने राष्ट्रपित भवन तक मार्च किया था। गुंटूर से लेकर, भरतपुर से लेकर हमने देखा। हमारे झारखंड के साथी यहां बैठे हुए हैं। वहां आज भी डायन के नाम पर महिलाओं को मार दिया जाता है। वर्ष 1985 में हम झारखंड गए थे। एक जगह हमें रात को सोने का मौका मिला। पता चला कि किसी दूसरी जगह पर एक औरत को मार दिया गया है। वह लड़की किसी मिशनरी स्कूल में पढ़ी-लिखी थी। उसने झाड़-फूंक के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। उसे डायन करार कर दिया गया और रात में उसके छह महीने के बच्चे से दूर ले जाकर उसे मार दिया गया। इस तरह की कार्रवाई होती है। कितने दिलत लोग मारे जाते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 31 अक्टूबर, 1984 को इंदिरा जी की हत्या हुई थी। हम और मुलायम सिंह जी एक ही पार्टी में थे और मिलने वाले थे। इंदिरा जी की हत्या के अगले दिन देखा, पूरी दिल्ली धू-धू करके जल रही थी। हम तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के यहां जाने वाले थे। चौधरी साहब ने हमारी तीन टुकड़ियां बना दीं। एक टुकड़ी में हम थे, बिजु दादा थे और चौधरी देवी लाल जी थे। हालात देखने के बाद हम लोग राष्ट्रपति भवन गए। वहां हमने देखा कि तत्कालीन ... * हमने उनसे कहा कि पूरी दिल्ली धू-धू करके जल रही है, आप यहां से कुछ कीजिए। ... *

HON. DEPUTY SPEAKER: Whatever remarks made about Rashtrapati Ji will not go on record.

_

^{*} Not recorded

15.00 hours

श्री रामविलास पासवान : ठीक है, कोई बात नहीं है। उसे हटा दीजिए। राष्ट्रपति भवन तो कह सकते हैं। ...(व्यवधान)

उसके बाद हम लोगों ने नरिसम्हा राव जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो सकी। वहाँ से आने के बाद, मैं 12, राजेन्द्र प्रसाद रोड पर रहता था, ...(व्यवधान) यहाँ पर हमारे सभी सिख भाई हैं। ...(व्यवधान) हम 12, राजेन्द्र प्रसाद रोड पर रहते थे। वहाँ गये, तो तीन-चार गाड़ियाँ जली हुई थीं। फिर भीतर गये, श्री कर्पूरी ठाकुर जी थे, वे उस समय हमारी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष थे और हमारे यहाँ ही रुके हुए थे। वहाँ पर एक टैक्सी ड्राइवर था, जो सिख था, उस समय 12, राजेन्द्र प्रसाद रोड के आगे एक टैक्सी स्टैंड था, शायद अभी है या नहीं, टैक्सी के मालिक को क्या मालूम था कि उसे क्या होने वाला है, मॉब आया और उसको खदेड़ना शुरू किया, वह कृषि भवन में चला गया। फिर वह 12, राजेन्द्र प्रसाद रोड में घुस गया। ...(व्यवधान)

श्री फारूख अब्दुल्ला (श्रीनगर): क्या आपको याद है, वह आपके घर में दीवार से गया था।

श्री रामविलास पासवान : मैं वही कहना चाहता था। मैं श्री फारूख साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये मुझे याद दिला रहे हैं।

हम वहाँ भीतर बैठे हुए थे। बाहर मॉब ने घेर लिया था। श्री कर्पूरी ठाकुर जी वहाँ थे, जो लीडर ऑफ अपॉजीशन थे। घेरने के बाद किरोसीन तेल छिड़ककर घर में आग लगा दिया गया। हम लोगों के वहाँ से निकलने का वहाँ पर रास्ता नहीं था। उस समय चिराग दो साल का था। हम लोग चिराग को किसी तरह से बचाना चाहते थे। पीछे सर्वेंट क्वार्टर था। सर्वेंट क्वार्टर वालों ने चादर बिछायी और चिराग को ऊपर से नीचे फेंक दिया। श्री कर्पूरी ठाकुर जी गिर गये। हम सभी लोग किसी तरह से बचे। उस बेचारे सिख को, जिसे दवा-दारू वगैरह किया जा रहा था, वहीं जला दिया गया। ... (व्यवधान) हम कमीशन में भी गये। हम किसी पॉलीटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते हैं।

इसिलए मैंने कहा, एक नहीं, दो नहीं, तीन-तीन हजार लोग मारे गये। उस समय क्या हुआ? हम यह कहना नहीं चाहते हैं। आज के प्रधान मंत्री के ऊपर आप लोग आरोप लगाते हो? उस समय के प्रधान मंत्री ने कहा था - जब बड़ा पेड़ गिरता है, तो उसके पत्ते झड़ते हैं। इसीलिए, मैंने कहा है कि यह मॉब-लिंचिंग का मामला बहुत ही सीरियस चीज़ है। इसके ऊपर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। प्रधान मंत्री इस सदन के नेता हैं।जब उन्होंने इसकी निंदा कर दी, तो फिर क्या बचां। आपको जो प्रस्ताव पास करना है, उसे आप पास कीजिए। आप कहते हैं कि कानून बनाओ, लेकिन

जो भी कानून बनेगा, वह तो स्टेट गवर्न्मेन्ट के हाथों में रहेगा। आप क्या चाहते हैं? क्या आप यह चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्न्मेन्ट उसमें इंटरवीन करें?

उपाध्यक्ष जी, इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह मामला बहुत ही सीरियस है। हमने अभी जो कागज देखा, उसके अनुसार दिनांक 9 अगस्त, 2016 को केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को एडवाइज़री जारी की कि इसके ऊपर राज्य कार्रवाई करे। अभी हमारे साथी हुक्मदेव जी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री जी द्वारा कही हुई बात को लोग दूसरी तरह से रख रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारा मुद्दा सिर्फ विकास का मुद्दा है। पिछले तीन-साढ़े तीन सालों में प्रधान मंत्री जी ने कहीं भी राम जन्म भूमि के बारे में एक शब्द नहीं बोला, कहीं बाबरी मस्जिद के बारे में कुछ नहीं बोला, कभी 370 के बारे में नहीं बोला, कहीं सिविल-कोड के बारे में कुछ नहीं बोला। वे सिर्फ एक ही मुद्दा लेकर चले हैं और वह मुद्दा है - विकास का मुद्दा।

जब गौ-रक्षक के नाम पर गुंडागर्दी का सवाल आया, तो उस पर प्रधान मंत्री जी ने कहा कि गौ-रक्षा के नाम पर जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, वह सही नहीं है। उन्होंने उनके लिए ... * शब्द का इस्तेमाल किया। हम भी यह चाहते हैं कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। मैं इसके आँकड़ों में नहीं जाना चाहता हूँ। जो आँकड़ा ये पढ़ रहे थे, वह आँकड़ा मेरे सामने है। मैं आपके सामने बता सकता हूँ कि यह एक लाइन है। मैं उस डिबेट में जाना नहीं चाहता हूँ। यह आँकड़ा कहीं भी 'ज़ीरो' नहीं है। ऐसा होता है। इसमें केवल एक चीज़ ही नहीं है। यह कहीं शेड्यूल-कास्ट की एट्रोसिटी के नाम पर होता है तो कहीं मायनॉरिटी के नाम पर होता है। राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं। इस पर कोई कुछ नहीं बोलता है कि ये हत्याएँ क्यों हो रही हैं?

उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसका निदान क्या है? मैंने इसे देखा है। मैं भी ट्वीट करता रहता हूँ। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग यह कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसी किसी मॉबिटिकंग की घटना के स्थान पर विज़िट की हैं? ...(व्यवधान) आप पश्चिम बंगाल में गए होंगे ...(व्यवधान) श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज): पश्चिम बंगाल नहीं, मैं जुनैद के यहाँ गया हूँ। ...(व्यवधान) श्री रामविलास पासवान: आप मेरी बात सुनिए...(व्यवधान) बी.बी.सी. की रिपोर्ट के मुताबिक सन् 1982 से लेकर सन् 1984 तक, जब आपकी सरकार थी, तब 600 से अधिक लोग मॉब लिंचिंग में मारे गए थे। मैं

श्री मोहम्मद सलीम: . आप इतिहास में खो रहे हैं...(व्यवधान)

पश्चिम बंगाल की बात कह रहा हूँ। ...(व्यवधान)

-

^{*} Not recorded

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Mohammad Salim, please take your seat. There is no more discussion like that.

श्री रामविलास पासवान : मैं तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप वहाँ गए हैं। ... (व्यवधान) हम लोग तो छोटे दल के लोग हैं, लेकिन जो बड़े दलों के लोग हैं, उनसे मैं पूछता हूँ कि उन्होंने कहाँ-कहाँ विज़िट करने का काम किया? सिक्ख का दंगा हुआ ... (व्यवधान) मैं कह रहा हूँ कि चाहे गुजरात का दंगा हो, चाहे बिहार का दंगा हो या फिर कहीं ... (व्यवधान) इसे तो हम दंगा भी नहीं कहते हैं। जब इंडीविजुअल को जाकर मारते हैं, उसे दंगा नहीं, नर-संहार कहते हैं। हम लोग यहाँ 1977 से बैठे हैं। संसद की एक मर्यादा है। यहाँ जो कुछ हो रहा है, कल लोग उसे पेपर्स में देखेंगे कि पार्लियामेन्ट में इन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर इतने आरोप लगाए हैं, लेकिन इन आरोपों का सुझाव क्या दिया? आपने इसका क्या सॉल्यूशन बताया? वर्ष 1984 के दंगों को हुए 33 साल हो गए हैं, यदि लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो क्या होगा?.. (व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record.

... (Interruptions)

श्री रामविलास पासवान: मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज सदन को सर्वसम्मित से इस तरह की घटनाओं के खिलाफ निंदा का प्रस्ताव पास करना चाहिए। दूसरा, सभी राजनीतिक दलों को एक स्वर से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से यह अपील करनी चाहिए कि जिनके यहां भी इस तरह की घटना घटे 24 घण्टे में कार्रवाई की जाए और जो भी व्यक्ति दोगि है, उसको जेल में बंद किया जाए, उसके ऊपर हत्या का मुकद्मा चलाया जाना चाहिए। मैं सभी राजनीतिक दलों से एक बात कहना चाहता हूं खास तौर से कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं कि मैं वर्ष 1977 में सबसे ज्यादा वोट से चुनकर आया था। मैंने पहला भाषण अपनी ही सरकार के खिलाफ दिया था, जिस समय बेलछी की घटना घटी थी। मैंने 45 मिनट तक भाषण दिया था। उस समय मैंने एक बात कही थी और कांग्रेस पार्टी के लोगों को उस समय सचेत किया था कि आपके ही कारण से आपकी यह दुर्गति हुई है। मैंने उस समय कहा था कि आदमी दो समय में लड़खड़ाता है, एक बचपन में और दूसरा बुढ़ापे में। बचपन की लड़खड़ाहट इस बात की द्योतक है कि वह कब्रगाह की तरफ जाएगा। अब कांग्रेस पार्टी कब्रगाह की ओर जा रही है, बल्कि चली गयी है। आप अभी भी अपने पांव पर खड़े होने की कोशिश कीजिए। यही मेरा आग्रह है। धन्यवाद।

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): उपाध्यक्ष जी, हमारे सदन के सीनियर लीडर ने मेरे नाम का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे आज के भाषण में उतना जोश नहीं था।...(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए। अगर आपका ऑपरेशन होगा तो आप उठ भी नहीं सकते हैं। मैं 40 दिन बाद उठकर अपनी बात तो कह रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि पीछे क्या हुआ, किसने क्या किया, यह चर्चा का विाय नहीं है। हमने नियम 193 के तहत चर्चा कराने का नोटिस दिया है कि इन तीन सालों में जो घटनाएं घटी हैं, उन पर चर्चा हो रही है। वर्ष 1982 में क्या हुआ, वर्ष 1984 में क्या हुआ, उसका जवाब दिया जा चुका है, उस पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन आजकल जो हो रहा है, उसके बारे में हम जवाब चाहते हैं। आप उससे भाग रहे हैं।

DR. K. GOPAL (NAGAPATTINAM): Thank you, Deputy-Speaker, Sir. I wish to remember and extend my gratitude to my beloved leader Puratchi Thalaivi Amma before I speak on this very important discussion on the situation arising out of the reported increase in the incidents of lynching and atrocities on minorities and *dalits* across the country.

The father of our nation Mahatma Gandhi said "Untouchability is a sin and my fight against untouchability is a fight against impure in humanity". Had he been alive today, he would have condemned the lynching and mobocracy with much more tone and tenor.

Article 17 of the Constitution outlaws the practice of 'untouchability'. However, despite legal and constitutional provisions, SCs and STs continue to face many forms of untouchability practices as well as social, economic and institutional deprivations.

The Constitution of India *vide* Article 15 lays downs that no citizen shall be subjected to any disability or restriction on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. It also guarantees that every citizen shall have equality of status and opportunity.

The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill was passed in the year 2014 after the present Government came to power. The Act prohibits commission of offences against members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and establishes special courts for the trial of such offences and the rehabilitation of victims, but the atrocities committed against the SC/ST people have increased. This is a worrisome situation.

The more worrying part is that some people from minority communities were lynched and killed while revengeful acts were committed on majority community people causing communal tensions and clashes in some parts of the country. This has to be totally stopped. While the Governments at the Centre and States are responsible, also equally responsible are the opposition parties, the communal elements and more importantly the media and social media in

particular. It is everybody's collective responsibility to maintain peace, harmony and order in society.

In the words of Dr. A.P.J. Abdul Kalam "Where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. Where there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world."

The Governments at the Centre and in some States are under attack over lynch mobs killing those suspected of cow slaughter or eating beef, and leaders from both ruling and opposition parties have termed such incidents as serious. There had been more lynching incidents in 2011, 2012 and 2013. There has been an increase in the number incidents of lynching every year in the past. A string of such incidents has been reported from several States, shocking the nation and prompting the protests.

Two years ago, a mob killed a farm worker Mohammed Akhlaq over alleged rumours that his family had stored and eaten beef. Recently, a 15-year old boy Junaid Khan was stabbed to death by a group of men in a train when he was returning home to Haryana's Ballabh District after shopping for Eid. In Jharkhand's Ramgarh, a Muslim meat trader was beaten to death by cow vigilantes who alleged that he was carrying beef in his vehicle. The beef issue has become a polarising subject and religious divisions are widening. Restrictions on the sale and slaughter of cows are fanning confusion and vigilantism.

Vigilante cow protection groups have killed people for transporting cattle. Men from minority community have been lynched by mobs, mostly for alleged storing of beef and, in one case, for helping a mixed-faith couple elope. Many are wondering whether India is hurtling towards 'mobocracy'. There is a sense of rapid break down of law and order when it comes to protecting minorities, but some sections of people accused the media of over-reporting the incidents. Hate crimes are not new in India. It is feudal in nature. Today, they shake the

conscience. I think, even if they are over-hyped and over-reported, a responsible Government cannot say lynching or hate crimes are something new.

The reckless vigilantism was blamed in part on political oppression and appalling law and order. India has a shambolic record when it comes to religious violence. It ranks fourth worst in the world for religious intolerance according to a recent Pew Research Centre analysis. Women are routinely branded as witches and lynched to death for property in large parts of the country. There is also a high rate of domestic violence. All these things need to be addressed seriously.

Sir, people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes face persistent discrimination and serious crimes are committed against them, ranging from abuse in the name of caste, murders, rapes, arson, social and economic boycotts, naked parading of SC women to forced drinking of urine and eating of human excreta.

There are various types of discrimination against SCs and STs ranging from denial of entry into non-Dalit houses and places of worship; prohibitions against food sharing; denied cremation and burial grounds; denied access to water facilities; ban marriage processions; not allowed to sell milk to the cooperatives; and denied barber services and laundry services.

As per Crime Statistics of India, every 18 minutes a crime is committed against SCs; every day 27 atrocities against them -- 3 rapes, 11 assaults 13 murders: week 5 of and everv their and homes possessions burnt: 6 persons kidnapped or or This is really needs addressed abducted. alarming and to be immediately by the Government at the Centre and States.

In the Saurashtra region of Gujarat, a group of dalits have been flogged in public who were allegedly skinning a dead Mota Samadhiyala Village is near Una town. It learnt from four of them were brutally beaten with media reports that steel

and iron rods, stripped, tied to an SUV and the main market near the Police Station in Una by members of the cow protection committee. The flogging local was filmed. social media and it went viral within hours. This has posted on led to public outburst and condemning of such sporadic incidents.

The cases of discrimination against known public figures in the past illustrate the gravity of the problem. In November 2011, Justice of a High Court stated that he had been humiliated his since 2001. fellow iudges due to caste In June 2011. Chairperson of the National Commission for Scheduled Castes, himself a Dalit, was denied entry into a Hindu Temple. In July 2011, a Dalit Member of a Legislative Assembly was allegedly not allowed to eat food along with his colleagues at an official meeting. *Dalits* in India are not allowed entry into temples in villages and common crematoriums too are out of bounds for them. Are we not ashamed of such incidents taking place?

Empower the women to empower the nation. There should be for Atrocities Special Courts women. against women belonging Scheduled Scheduled Castes or the Tribes should be tried by Special Courts for women with women judges and women public the prosecutors. preferably, belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes community.

All-Women Police Stations in Tamil Nadu -- first of its kind in the world -is the brain child of Puratchi Thalaivi Hon. Amma. Police These All-Women Stations provide assistance and redress the grievances of all women, especially, the SCs and STs. All other States in the country can try to follow this method to provide protection to women.

'The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2014 included new offences like garlanding with footwear: compelling dispose to or carry human or animal carcasses or do manual scavenging; abusing SCs or STs by caste name in public; attempting to promote feelings of ill-will against SCs or STs or disrespecting any deceased person held in high esteem; and imposing or threatening a social or economic boycott.

I understand that preventing SCs or STs from undertaking the following activities will be considered an offence. These include using common property resources; entering any place of worship that is open to the public; and entering an education or health institution.

to file a First-Information Report In most cases, unwillingness (FIR) under the Act comes from caste-bias. Policemen are file fellow reluctant to cases against caste members because of penalties imposed by offenses the severity of the Act. Most non-bailable carry minimum punishment of are and five years imprisonment.

A bigger obstacle faces the victims who actually manage to lodge a with complaint failure to follow through cases is alarmingly apparent at the lowest echelons of the judicial system. Out of several thousands of prevention of atrocities cases pending in the courts only a limited number were brought to trial. Such a delay is endemic to the Indian judicial system. Judicial delay is just one cause of this low conviction rate. Lapses between the case being registered and the trial means that witnesses who are often poor and face intimidation in the interim, turn hostile and the case becomes too weak for a conviction. The wait also results long in many plaintiffs interest. Judicial bias against the SCs and STs people is rampant and unchecked. This aspect should be addressed.

The concern for protecting the rights and dignity of people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been a major challenge even after 70 years of India's Independence.

There should not be any discrimination amongst people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Scheduled Caste and Scheduled Tribe population together constitute nearly 20 per cent of the population of Tamil Nadu. Around 70 per cent of the Scheduled Castes and 85 per cent of the Scheduled of Tribes are living in the rural areas Tamil Nadu. The socially disadvantaged groups of Scheduled Castes and Tribes need a constant special focus for Scheduled their socio-Government in economic advancement. Our Amma's Tamil Nadu is committed to continue its efforts for their welfare and upliftment.

The Tamil Nadu Government has taken several steps by framing appropriate policies needed to design and implement various welfare programmes for achieving the objectives of creating a favourable environment to ensure speedy socio-economic development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Despite special protective laws and their implementation for many decades, the Scheduled Castes continue to be the victims of caste-based untouchability and atrocities. Though most of such incidents go often unreported, even the cases registered under these laws also end in acquittal. The increasing number of atrocities on the dalits and tribals lead to gross violation of their human rights in a larger context.

As argued by Dr. B.R. Ambedkar, most of the dalits being illiterate, ignorant, God-fearing and they themselves believe in caste they remain divided and are system, therefore, unable take collective against Most of dalits action oppression. the caste and tribals are landless and depend on the very that castes

violate their rights and dignity to earn their living. Though there are laws, they do not dare using them to protect their source of living. These people should be empowered by creating awareness among them.

Seeking justice through special laws is not an easy task since it demands adherence to a number of procedures on the part of the victims, accused, police, the Special Public Prosecutor and others concerned at every stage of the case, which often turns out to be very costly, tiresome and time-consuming, particularly for the victims. Invariably, it is during this time that the accused indulges in a number of mischievous activities including bribing the police, tampering with evidence, pursuing the victims for an out-of-court settlement of the case and threatening the victims and their witnesses, etc. And if they have to pursue the case despite all these, it would be at the cost of their means of sustenance, dignity, peaceful living, and sometimes their life itself.

The enforcement law agency, police and judiciary, be free should from caste prejudice to address this perennial committed to protect social problem. We should be united and principles the basic human rights and of justice, equality, liberty and fraternity.

The statement of Dr. Ambedkar among the dalit community and its supporters and sympathizers, resounds louder today than ever. I quote:

"My final words of advice to you, are, educate, agitate and organize; have faith in yourself.
For ours, is a battle not for wealth or for power. It is battle for freedom.
It is the battle of reclamation of human personality."

Thank you, Sir.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Sir, next Monday, the 7th of August is a day when the farmers in Odisha and in other parts of India pray to the bullock, the *bail*. They put *abeer* on the head of the bullock, put flowers and feed them well. This is a culture of India. At the same time, many across the world say: "A steak rare is indeed sumptuous and filling as fair." I will come to this later and talk about what our hon. MOS for Home Shri Kiren Rijiju had said about food habits and how people should not infringe on other people's food habits because this is a vast country. I fully support this Minister. I endorse this Minister because in these dark times, there still are a few voices, maybe staccato, maybe abrupt, but they are talking sense. Let us take hope. I believe that this land is a blessed land. It is not a land where we will be permanent. With my feeble mind and my weak body, I have seen many powerful politicians come and vanish. Many parties come to power. They think that they will be here for ever and they boo the others.

I remember, in the past Lok Sabhas we were sitting here, as usual, we are always sitting this side. There was another bunch of people there booing the BJP, questioning them. Today, they are being questioned. So, it is all the same. They are here today. They will be gone. But, I can very clearly see the demise because the moment the ego rises, the anger rises, the unease amongst the people also rises. When people go quiet, the powers that be should take caution.

On a different note, when some people went to meet a BJP operative – I am sorry to take the name of the Party – around mid-day, the domestic help outside the door said: साहब लिंच पर गये हैं। You know, all of us who had gone there were idiot commoners. They thought साहब लंच पर गये हैं। So, they waited. But, it took a long time.

We have heard this Government shirk its responsibilities and always dump the initiative on the State Government. But, let us be very clear that law and order is definitely a State subject. It is not a subject of the federal Government. Shri Paswanji said very clearly, we do not wish that they should put their Central forces

and force a State Government to take a certain action. But, overriding everything is the mindset that the Union Government propagates. What image are you creating of India today at the helm of affairs of this country. The image is not of few travelling with different jackets every day. The image is of what is happening in this country -- the evil deeds that are being fostered at the cost of the very fabric of this society.

Here, I would like to say that somehow, this is God willing, most of these 'lunch in parties' or 'lynching' whatever they are saying, it is a very serious thing. It hurts me even if one single individual Indian citizen is killed for no fault of his. I am not a cold blooded person who will say that -- if 150 people died because they had to stand in the queue in front of ATMs and banks -- it is a small price to pay for the whole country. Every single individual Indian is precious for all of us sitting in this House. If we do not consider her or him precious, we are all criminals. The Gaurakshak running around in the countryside are probably not aware that most of the cows in India today are actually Jersey cows.... (*Interruptions*)

श्री निशिकान्त दुवे: जर्सी से क्या मतलब है? ...(व्यवधान)

SHRI TATHAGATA SATPATHY: They are not their mothers. I know my mother and I know my father also. If we are unable to recognise our own mothers, it is a very sad thing. Like my colleague speaks in north Indian language, Hindi. There was Hindi song which said, "न हिन्दू बनूँगा न मुसलमान बनूँगा, इंसान की औलाद हूँ इंसान बनूँगा।", I want to be a human being. Let us not actively help make this country to turn it from a democracy into a mobocracy. Nobody is denying that the cow is an important economic animal and economic tool for rural India. That is why, in the centuries gone by, the cow was preyed on by the original Indians. At the same time, nobody is bothered that our indigenous breeds are dying out.

Let us get to the crux of the problem. We have heard, Sir, many screaming and shouting here. What is the crux of the problem? Who sells the cows? Who

sells the bullocks? It is the poor Hindu farmer. He does not sell it out of goodwill. A pair of bullocks in Odisha today costs anything between Rs. 30,000 and Rs. 50,000. They take loans from banks and from the *Mahajans* to buy a pair of bullocks. A cow also has the similar cost. As long as a cow is milching and a bullock can till or plough, no farmer wants to give up that animal or those animals. We keep them as precious as the rich people keep their jewels and their cars. I have never heard of any farmer in India who domesticates a bull. There might be some who domesticate bulls but I have not heard of them. It is only when the animal gets older and is incapable of working that the poor Hindu farmer is compelled to sell the animals. Who buys it? It is an economic circle. It could be another Hindu, it could be another Muslim and it could be somebody who is part of the cycle and the animal is carried forward.

Sometimes, it comes to Uttar Pradesh where it is skinned, where it is killed, where it is butchered, sometimes, it goes to Bangladesh and sometimes, it is done even in certain States within India like Uttar Pradesh and other places. Like all the tanneries in Kanpur, we all know of them. They are all dealing with cowhide.

Now, I notice that these buyers have actually stopped going to our villages. They are scared. They are not moving out because they know if they reach there, buy the cows and bring them back, they will be slaughtered. So, what is happening? Our farmers are unable to sell the useless animals. The economic cycle has been put to a stop. If they are not able to sell the animals, this would have been their cede money to get another loan. They are unable to get a loan to get another pair of bullocks. So, you have actually damaged the rural economy and you have stopped the cycle.

So, what has happened is that, by this lynching process, you have started a movement where you will eventually kill the farmer, the Hindu farmer. In your overdrive of being anti some minority, you were killing the majority. If a farmer keeps an animal which is useless, that animal eats *dana* (feed) of minimum Rs. 100 a day. I talked to my farmers. Apart from that, for an old animal, you have to

spend anything between Rs. 300 and Rs. 700 for medication to get the vet to feed him medicines or inject medicines. So, it is anything between Rs.3,000 and Rs.3,500 per animal per month for this poor farmer. Do you expect a farmer can hold on this kind of an economic burden? We are not talking of that! Nobody I heard discussed about that! About the poor Hindu farmer who is toiling, who is working hard to survive! You talk about keeping tanks in a university. Like some young lady said, why do you not keep a tractor in front of the Gandhi statue here and get some bullocks and tie them here? Let each of us MPs take care of two pairs of old bullocks! Do that! Let us see!

I have been telling people in my Constituency villages that when this kind of a situation arises, go to the BJP activist in your village and say that now you take care of my bullocks, now you take care of my cows, I am going to tie them in front of your house. And people are unwilling to build *Gaushalas*. They are talking of some five *Gaushalas* in this whole country. In this vast, huge subcontinent, five *Gaushalas!* ... (*Interruptions*)

All of us stand together to reiterate article 48 of the Constitution which clearly says, "The state shall endeavour to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving breeds and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle". But let us acknowledge that our love for cow is being misconstrued and twisted to unleash terror on unsuspecting Indians. This is an organized attempt at disruption and distraction from real problems that India faces today. That means, Sir, the system, the powers that be want this House to do exactly what we are doing today. They want us to scream and shout and make a fool of ourselves.

All these school children who come and sit here, I was wondering earlier today not now, must have been wondering that we behave better in our classes than these elderly grey haired people behave here. I was ashamed to see that. What example are we setting when this is telecast live throughout the country and

people see us? We are screaming and people are leaving their seats. When Saugata babu was talking, people were leaving their seats and coming close as if they were going to bash him. Is that a *Gaurakshaka* here inside this House? What is happening?

I will give one or two examples and, Sir, I will wind up. I am not, I repeat, not going to talk about the cold-blooded murder of a CBI judge hearing the Gujarat massacres. I am not going to talk about 300 per cent increase in assets of certain bigwigs who are going to contest to the Rajya Sabha. I am not going to talk such things. Those will be again diversionary tactics on my part, which I do not want to get into.

All that I want to get into before I wind up my speech is, the statistics released by the National Crime Records Bureau (NCRB) in its Annual Report 'Crime in India' reveals that in 2015 the number of agrarian riots has increased. Mr. Deputy Speaker, Sir, you know better. Your farmers are running naked here, dying of hunger here, nobody to offer them a glass of water. The number of agrarian riots has increased by a massive 327 per cent. The number of cases of agrarian rioting increased from 628 to 2683 in one year. I have a feeling that this year's report will show an even sharper rise. These are official numbers. These are little sparks but signs of a towering crisis, a crisis that all of us are trying to avert, but some are sincere and some are trying to avert for political gains.

I will end with what the hon. Minister of State for Home Affairs Shri Kiren Rijiju has spoken about food habits. Shri Kiren Rijiju is a very popular man and everybody likes him here because of his behaviour and humility. One Minister in Rajya Sabha, a colleague of his, gave a few figures regarding lynching incidents. He said that in 2012, 26 people were killed in 16 incidents and in 2013, 18 people were killed in 14 incidents. The interesting thing about these figures is that just a day before that answer, on 19th July his own Government through another Minister had replied in an unstarred question no. 376 asked by Shri Anil Desai in Rajya Sabha that the National Crime Records Bureau does not maintain data of such

incidents. I wonder how a supposedly senior Minister reached these figures. Was he talking out of his hat or was the other House mis-led with untruth or were these the creations of the Whatsapp and Twitter army that has been created by our colleagues here who are ruling us? Sometimes, when they are talking about the army, I do not know whether they are talking about their Whatsapp and Twitter army or they are talking about the Indian Army; I get very confused.

Who is paying for the *gaurakshaks*? Saamna, the mouthpiece of Shiv Sena which is one of their strongest allies and a saffron ally has said very clearly that the *gaurakshaks* are playing the game of Pakistan to divide the Indian society and most likely the *gaurakshaks* are being paid for by Pakistan. This is in Saamna; this is not a report from some English newspaper. This is the very core of Savarkar's Hindutva. We heard that demonetisation actually killed black money, stopped funding for naxalites, terrorists and stone-pelters. All that is over now. We do not have stone-pelters in Kashmir. Here sits one ex-Chief Minister of Jammu and Kashmir. He should know it. There is no stone-pelting, still he wears a hat. But what I would like to ask is whether you can find the source of funding of these stone-pelters in Kashmir? If you can stop that, can you find the source of funding of *gaurakshaks*?

I will wind up by narrating one more incident. We had a very honourable and, in my personal feeling, one of the very gentlemanly Union Ministers Shri Manohar Parrikar who was earlier the Chief Minister of Goa. He came here as the Minister of Defence, not as a small time Minister of State or some ordinary Cabinet Minister. I could visually see the gentleman very disturbed whenever he was sitting here. Eventually, I was amazed to notice that he in reality went back to his State of Goa where his party did not even win a clear majority and stayed back as the Chief Minister. I started pondering why he would do that. What political sense would it make for a man to give up such a post and go there? He used to sit in the front row in this House. Then I realized that the man is a gentleman. Does that speak enough? It does because he is one person who, as the Chief Minister of

Goa, has said that if need be, he would import beef from neighbouring States of Karnataka and Maharashtra to feed his people. Feeding his people, his subject is the most important aspect of any king or any democratic ruler. Similarly Shri Kiren Rijiju was replying to a gentleman who said, 'I do not know why somebody did not migrate to Pakistan but stayed here to attack your food habits.' When Shri Kiren Rijiju said, 'You must not equate the North-East with your Haryana or your Bihar or your UP', I fully endorse his views. He is the man who has the guts. I am not saying something which is not to be said in this House because nowadays those who are doing propaganda for your party have gained a bad word as their name. ... (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Next, Shri Mulayam Singh Yadav.

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: You please wind up, Shri Satpathy.

... (Interruptions)

श्री तथागत सत्पथी: आपको टाइम मिलेगा। ...(व्यवधान) नेता जी, आपको टाइम मिलेगा। ...(व्यवधान) नेता जी, आपको कौन रोक सकता हैं। ...(व्यवधान) हम तो बहुत छोटे हैं।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Satpathy, you have already taken a lot of time. SHRI TATHAGATA SATPATHY: Sir, I support Shri Kiren Rijiju since he has the guts. He is not somebody who is into propaganda and who can be labelled that. He is somebody who stood up for his food habits. ... (*Interruptions*)

Everybody has the right to privacy; everybody has the right to choose what he or she will wear, what he or she will eat, how he or she will live, and what languages they will speak. Somebody will speak Ahomiya; somebody will speak Kannada; somebody will speak Bengali; somebody will speak Odiya; and somebody will speak Tamil. That is the beauty of this country. You cannot make this country a unified country according to your thought of unification. We are united, we were united, and we shall remain united for India; not for certain people's dreams.

Thank you.

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आज का जो विषय है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। इस देश में हिंसा क्यों होती है, अत्याचार क्यों हो रहा है? यह हो रहा है, यह सबको स्वीकार करना पड़ेगा, पूरे देश में किसी के साथ भी प्रदेश में कहीं भी कुछ हो रहा है। इसका मुख्य कारण असमानता है, और भी कई कारण हैं, जैसे गैर-बराबरी। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि कहीं तो धर्म के नाम पर हिंसा हो रही है तो कहीं जात-पात के नाम पर। अभी देश के अंदर हो रही है। एक तो धर्म के नाम पर है और दूसरी है जाति के नाम पर। अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति या उच्च जाति, इस आधार पर हमारे एक साथी ने इशारा भी किया था, लेकिन में बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा उपरोक्त आधारों पर हिंसा हो रही है। जाति के नाम पर, कौन छोटी जाति है, कौन बड़ी जाति है, उस जाति को दबा कर रखते हैं। सबसे ज्यादा दबाते हैं; बुरा न मानें, यहां पर जितने सांसद हैं, उनमें कितने हैं, जो अपनी पत्नी को दबा कर नहीं रखते हैं। ...(व्यवधान) बताये कोई, कोई कह दे कि हम पत्नी को दबा कर नहीं रखते हैं। ...(व्यवधान) महोदय, यह सच्चाई है कि अपनी-अपनी पत्नियों को दबा कर रखते हैं। वे अपनी खुली बात नहीं कह सकते हैं। यह भी तो हिंसा है। यह हिंसा परिवार से शुरू होती है। परिवार की हिंसा सबसे पहले रोकी जाए, परिवार में हिंसा होती है।

दूसरी तरफ, मैंने आपको बता ही दिया है कि उच्च जाति, दिलत जाति, जैसा मेरे एक साथी बोल चुके हैं कि दिलतों के ऊपर ज्यादा अत्याचार होता है। वे बेचारे दब कर रहते हैं। दिलत जितने हैं, स्वाभिमान के साथ समाज में सब लोग नहीं चल पाते हैं। कुछ पढ़ लिख गए हैं, कुछ अफसर हो गए हैं, यह बात अलग है, लेकिन आम तौर पर दिलतों को अभी दबा कर रखा जा रहा है।

मैं संक्षेप में प्वाइंटवाइज बात करूंगा। क्षेत्रीयता के आधार पर भेदभाव होता है, यह बिहार का है, यह मध्य प्रदेश का है, यह उत्तर प्रदेश का है, इस आधार पर भी भेदभाव है। मैंने इसे महसूस किया है और देखा भी है। हमारे देश में कोई कहीं का हो, वह एक इंसान है, चाहे किसी सूबे का हो, हम सब एक हैं। आमतौर पर हम अपने-अपने क्षेत्र में देखेंगे और दूसरे जगह देखेंगे तो यहां भी भेदभाव हो जाता है। यह इस सूबे का है, वह इस सूबे का है इसलिए मैं अलग से ही बात करना चाहता हूं। मैं ज्यादा दोहराना नहीं चाहता हूं।

जहां तक औरतों-मर्दों का सवाल है तो औरतों पर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है, हम यहां कहना चाहते हैं कि हम एक संकल्प ले लें कि जितने भी यहां सांसद हैं अपनी-अपनी पित्नयों को दबा कर नहीं रखेंगे, यही संकल्प ले लीजिए। पहले घर का अत्याचार बचाइए, पहले पिरवार में अत्याचार बंद हो, जब पिरवार में ही अत्याचार है, जब पिरवार में ही दबाव है, जब पिरवार में ही हिंसा है, सबसे पहले पिरवार की हिंसा दूर कीजिए, अगर पिरवार के लोग सब हिंसा दूर कर देंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि हिंसा बहुत

कम रह जाएगी, यह भी हिंसा है। सबसे ज्यादा औरतों के साथ हिंसा होती है चाहे इसे कोई स्वीकार करे या न करे। हमने देखा है, हम नाम नहीं लेंगे, नेता लोग हैं, चाहे वह कैसे भी हों। चाहे विधायक हों, चाहे वह पार्लियामेंट के मेंबर हों, हमने पंचायती भी की है। एक एम.एल.ए. अपनी पत्नी को दबा कर रखता था, वह हमारी पार्टी का ही था, अच्छा एम.एल.ए था, पढ़ा-लिखा था, वकील था। वह भी पढ़ी-लिखी थी। उसने मेरे पास चिट्ठी लिखी कि आप पार्टी अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। मुझ पर इस तरह अत्याचार हो रहा है, वह घर पर नहीं सोते है, दलान में सोते हैं। आप असलियत पर जाइए, मैंने उसको बुलाया और डांटा, मैंने उसे कहा कि मैं पार्टी से निकाल दूंगा तब जाकर वह घर पर सोया।

महोदय, असली अत्याचार परिवार से शुरू होता है, सबसे ज्यादा अत्याचार छोटी जाति और दिलतों पर होता है लेकिन सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पर है। दिलत भी अपनी महिला को दबा कर रखता है, ऊंची जाति के लोग भी महिला को दबा कर रखते हैं। आप हमसे पूछोगे तो हम दबा कर नहीं रखते, आप पता लगा लीजिए।

हमें डॉ. लोहिया जी ने सिखाया कि सबसे पहले अत्याचार और अन्याय अपने परिवार से खत्म कीजिए, जब परिवार से खत्म करोगे, फिर मोहल्ले से, फिर गांव से, फिर शहर से करोगे, यदि आप क्षेत्र में एम.पी. होंगे या एम.एल.ए होंगे तो वहां बंद कराएंगे। सबसे पहले परिवार से अत्याचार और दबाव खत्म करने का काम शुरू कीजिए। मैं गंभीरता से बात कर रहा हूं। यह बात लोहिया जी ने सुल्तानपुर के शिविर में कही है, उन्होंने सभी लोगों से हाथ उठवा दिया कि बताओ कि आज से कोई अपनी पत्नी को दबा कर नहीं रखेगा। इनमें से कितने लोग हैं जो अपनी औरत को दबा कर नहीं रखते तो सभी ने हाथ नहीं उठाया, माफी मांगी कि आज से आपकी बात मानेंगे।

अभी हुक्मदेव नारायण जी ने लोहिया जी का नाम लिया था, लोहिया जी का नाम खूब लेते हैं लेकिन लोहिया जी के आचरण पर चलते हैं? लोहिया जी ने कोई भी क्षेत्र चाहे गांव का हो या शहर का हो, चाहे हिन्दू हो या मुसलमान हो, हरेक पन्ना पढ़ लीजिए। प्रधानमंत्री तक किताब पहुंच गई, लोहिया जी के जितने भी भाषण हैं और जितने भी बाते हैं और किताबें भी प्रधानमंत्री को दे दी। मुझे खुशी होती है कि आपने लोहिया जी का नाम लिया, रामविलास पासवान जी लोहिया जी के साथ रहे लेकिन उसके आधार पर चलने की कोशिश करें तो आज इस तरह की बहस करने की जरूरत ही नहीं थी।

16.00 hours

ये सब हो रहा है। अन्याय हो रहा है, देश में अत्याचार हो रहा है।

धर्म के नाम पर भी अत्याचार है। हिंदू-मुसलमान के नाम पर, ईसाई और हिंदू के नाम, क्रिस्चियन और सिखों के नाम अत्याचार है। क्या सिखों पर मामूली अत्याचार हुआ था? मुझे पूछिए, मैं तो बच गया था। मैंने राम विलास जी से कहा कि तुम बच गए। राम विलास जी भी बचे हैं, कर्पूरी ठाकुर जी भी बचे हैं। सिखों

पर जब अत्याचार हो रहा था, कर्पूरी ठाकुर जी रामविलास जी के यहां ठहरे थे। वहां हम कर्पूरी ठाकुर जी से मिलने गए थे और वहां सबने घेर लिया, कैसे हमने दीवार को छलांग दिया, कैसे कर्पूरी जी को उठाकर बाहर किया, तब हम लोग बचे। यह मानसिकता है। अभी यहां राम विलास जी नहीं हैं। चौधरी साहब ने कहा कि जाओ, सिखों पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं से कहो कि मत करो। इन्होंने दाढ़ी रखी है, उन्होंने समझा कि यह सिख हैं, वह भागकर आ गए, मैंने कहा कि नहीं यह रामविलास पासवान जी हैं, मैं मुलायम सिंह यादव हूं, तब हम बचे। यह सच है, राम विलास पासवान जी बचे, हमला हो गया था।

16.01 hours (Hon. Speaker in the Chair)

क्षेत्रीयता के आधार पर हो रहा है। गरीबी और अमीरी के नाम पर हो रहा है। गरीब को तो सब दबाकर रखते हैं, चाहे शहर हो या मोहल्ला हो या कहीं और हो। ... (व्यवधान) मैं तो लड़ा हूं। मेरा बहिष्कार किया गया। मैंने एक दिलत के यहां जान बूझकर खाना खा लिया, मेरा बहिष्कार कर दिया था, तब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। राम स्वरूप जाटव मेरा क्लासफैलो था। वह फर्स्ट क्लास डिवीजन में पास होता था। उसके यहां मैंने खाना खा लिया, हमारे साथ पांच और थे, उन्होंने नहीं खाया, इस पर मेरा बहिष्कार कर दिया। गांव में पंचायत हुई, मुखिया जी ने कह दिया इसकी पत्तल दूर रखो। तब तक ये असमाजी थे, आज नहीं हैं, नाम लेना जरूरी है, चौधरी भजन लाल, बहुत बड़े रईस थे। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं, उन्होंने कहा कि तुम मेरे यहां रहो। मैं उनके यहां रहा, मेरा बहिष्कार किया गया था। चौधरी भजन लाल असमाजी थे, रईस थे, सबसे बड़े रईस थे, उन्होंने अपने घर में रखा और मैं हाई स्कूल के इम्तिहान दे पाया। ये बातें छोटी नहीं हैं। तभी मैंने कहा कि पहले चूल्हे का अत्याचार बंद करो। महिलाओं पर अत्याचार बंद करो। अपनी पत्नी को स्वतंत्रता दो, उस पर शक मत करो, क्योंकि शक करने से बहत दिक्कत हो जाती है।

माननीय अध्यक्ष जी, गरीबी और अमीरी के नाम अत्याचार है। भाषा के नाम पर अत्याचार है, यह अंग्रेजी बोल रहा है, यह उर्दू बोल रहा है, यह तमिल बोल रहा है, यह बंगला बोल रहा है। इस आधार पर भी गैर बरारबरी है। भाषा के नाम पर भी है। माननीय सदस्य हरी किताब दिखा रहे थे। भाषा, क्षेत्रीयता, औरत और मर्द के नाम पर अत्याचार बंद होना चाहिए। पहले चूल्हे का अत्याचार बंद होना चाहिए। आप सब ईमानादारी से बताएं, यहीं से संकल्प करके जाएं कि हम अपने घर में पत्नी, लड़की, बहू को परेशान नहीं करेंगे, विशेषकर पत्नी को नहीं करेंगे। सब लोग संकल्प करके जाएं और सुधरें। आपको जनता आदर्श मानती है, आप पार्लियामेंट के मैम्बर हैं, मिनिस्टर हैं।

काले और गोरे के नाम पर गैर बराबरी है। काले हैं तो बदसूरत और गोरे हैं तो सुंदर हैं, क्या ऐसा होता है? चिरत्र का सुंदर सुंदर होता है, चाहे काला हो या गोरा हो। अध्यक्ष महोदया, देशी-विदेशी के नाम पर भी भेदभाव होता है। यह भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब सब लोग इस विषय पर बोल रहे थे, तब मैंने सोचा कि मैं क्या बोलूं? मैंने बहुत सोच समझकर ये पॉइंट रखे हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मुलायम सिंह जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मुलायम सिंह यादव: अब क्या काला व्यक्ति बदसूरत होता है? काले का दिल अच्छा होता है। यहां पर बहुत सारे काले लोग बैठे हैं। अब ये सब एमपी कैसे बन गये, ये अच्छे हैं, इसिलए एमपी बन गये। जनता में इनके प्रति विश्वास है, क्योंकि इन्होंने जनता की सेवा की है। अब काले-गोरे का भेदभाव भी बंद होना चाहिए। लोग अपने लड़के की शादी में देखते हैं कि लड़की कहीं काली तो नहीं है। अभी मैं मध्य प्रदेश एक शादी में गया था। मेरे एक खास व्यक्ति के यहां शादी थी, तो वह हमें साथ ले गये। उसने पहले किसी को अंदर भेजकर दिखवाया कि लड़की गोरी है या काली। अब काले और गोरे का भी भेदभाव होता है।

अध्यक्ष महोदया, आपको बहुत महिलाएं मिलती हैं, इसलिए आपको इसका अनुभव होगा। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मुलायम सिंह जी, आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अरविंद सावंत।

श्री मुलायम सिंह यादव: अब देशी-विदेशी के नाम पर भी भेदभाव होता है। हमें आज यह नहीं कहना चाहिए कि यह व्यक्ति पाकिस्तान का है या हिन्दुस्तान का है। ...(व्यवधान) हमारे यहां जो आता है, उसके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, तािक वह अपने देश जाकर हमारे देश की तारीफ करे, प्रशंसा करे।

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी, आपकी बात पूरी हो गयी है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदया, अभी सदन से हुक्मदेव नारायण जी चले गये हैं। अगर वह रहते, तो मैं बताता कि आप क्या करते हैं? जो दल-बदल करने वाले हैं, वे धोखेबाज हैं। वे जनता को धोखा देते हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मुलायम जी, आपकी बात समाप्त हो गयी है, इसलिए आप बैठ जाइये। श्री अरविंद सावंत।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया। आज देश में एक गंभीर विषय चल रहा है। आप हमसे राजनीति, सामाजिक नीति में बुजुर्ग हैं। मुझे गर्व है कि मैं वंदनीय हिन्दू-हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का शिष्य हूं, सैनिक हूं, जिन्होंने हमें देश की एकता के संस्कार दिये। मैं यहां भाषण सुनते हुए देख रहा था कि वे सब एक-दूसरे को ताने दे रहे हैं। देश की स्वतंत्रता से लेकर आज तक हम जिस ढंग से चल रहे हैं, वह सबको मालूम है। जब हमारी सरकार आयी, तब पहली बार इस देश में हिन्दुत्व की सरकार आयी। अगर आज बाला साहब ठाकरे जी होते, तो उन्हें यह देखकर बहुत गर्व होता। शिव सेना का निर्माण भूमि पुत्रों के लिए किया और उन्होंने उसके लिए संघर्ष किया। जब आगे चलकर देश की बात आयी, तब उन्होंने हिन्दुत्व को स्वीकार किया। उन्होंने इसे इसलिए स्वीकार किया क्योंकि इस देश में सबसे बड़ी आबादी हिन्दुओं की है और अगर उनके मन में इस तरह का विचार आता है कि हम पर अन्याय हो रहा है, तो यह देश के लिए अच्छा नहीं है। इम्पीचमेंट ऑफ दी माइनोरिटी का विषय था और हम बार-बार वोटों की नीति के आधार आगे चल रहे थे। कभी इस जात, कभी उस जात, कभी इस धर्म और कभी उस धर्म की बात होती है। किसी पर अत्याचार होने पर किसी भी राजनीतिक दल के प्रमुख का दौड़कर जाना अच्छी बात है, लेकिन जब हम उसमें भी भेदभाव करते हैं कि इसके ऊपर अन्याय हुआ तो दौड़ कर जाऊंगा और अगर दिलतों पर हुआ, तो दौड़ कर नहीं जाऊंगा, तो इससे इंसानियत मरती है। किसी ने सही कहा है कि - 'न हिन्दू रहेगा, न मुसलमान रहेगा, इंसान की औलाद है, इंसान रहेगा।' हजरत ने हर इंसान को इंसान बनाया, लेकिन हमने उसे हिन्दू या मुसलमान बनाया। हम ये सारी चीजें भूल जाते हैं।

अध्यक्ष महोदया, आप विश्वास नहीं करेंगी, जब मैं ऐसे माहौल में जाता हूं, जहां मेरे मुसलमान भाई खड़े होते हैं, तो मैं कहता हूं कि मैं हिन्दू मां की कोख में पैदा हुआ हूं, इसलिए हिन्दू हूं। मैं ऊंची जात में पैदा हुआ हूं, इसलिए ऊंची जात का हूं। अगर मैं दिलत मां की कोख में पैदा होता, तो मैं दिलत होता। अगर मैं मुसलमान मां की कोख में पैदा होता, तो मुसलमान होता। लेकिन मैं सबसे पहले इंसान के रूप में पैदा हुआ हूं।

आज हम इसे भूल रहे हैं और दुर्भाग्यवश इस देश की जो नीति चल रही है, हमारी मत-भिन्नता है, हम आलोचना करते हैं, लेकिन देख रहे हैं कि यह हिन्दुत्व की सरकार आई है, इसलिए कुछ लोग अलग-अलग ढंग से बातें करते हैं। जो लिंचिंग का विषय है, मैं उसकी कड़ी निन्दा करता हूं। जब मैं एक अंग्रेजी चैनल पर बात कर रहा था, मुझसे पूछा गया कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है तो मैंने कहा कि इसके लिए हम चारों जिम्मेदार हैं। हम भी जिम्मेदार हैं, एग्जीक्यूटिव भी जिम्मेदार है, जुडिशियरी भी जिम्मेदार है और मीडिया भी जिम्मेदार है। आज अगर हम गंभीरता से चर्चा करते हैं तो हमें उस पर भी जाना चाहिए।

अभी माननीय सदस्य ने कहा, जो सिखों का हत्याकाण्ड हुआ, याद है। मुंबई में सिख बहुत ज्यादा हैं, बहुत बड़ी संख्या में हैं। उस समय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि सिखों के बाल को धक्का नहीं लगना चाहिए। यहां हत्या होती रही, वहां अगर सिखों को बचाया तो शिव सेना ने बचाया, क्योंकि यह हमारा धर्म है, इस देश का धर्म है। हमने जाति नहीं देखी, हमने धर्म नहीं देखा, हालांकि हमें भी इंदिरा गांधी जी के लिए बहुत गर्व था। बाला साहब ठाकरे जी इंदिरा गांधी के लिए कहते थे कि वह इस देश में एक मर्द है। उनके जाने पर उन्होंने जो कार्टून निकाला था, वह देखने लायक था। पूरा चित्र काला दिखाकर, ज्योति बुझ गयी है, उसमें इंदिरा गांधी का चित्र उन्होंने निकाला था। उनके बारे में ऐसी आदर की भावना थी, लेकिन जो राजनीतिक गलतियां थीं, उनके ऊपर वह आलोचना करने से छोड़ते नहीं थे।

यही बात लेकर हम आगे बढ़ते हैं। मैं भी पिछले तीस-चालीस वर्षों से राजनीति और सामाजिक नीति में हूं। हमने कभी नहीं देखा कि कौन क्या खाता है, कौन क्या नहीं खाता है। मैं सोचता हूं कि यह प्रकृति की देन है। प्रकृति में शेर है, वह हिंसा करता है और प्रकृति में हाथी भी है, जो घास खाता है। कौन क्या खाए, उसके लिए उस पर हम जुल्म करें, यह अधिकार हमें किसी ने नहीं दिया है। फिर इसी बात को लेकर आगे चलते हुए, वह व्यक्ति ऐसा खाता है, इसलिए उसे मारना और भी बड़ा जुल्म है। हमें इतना दर्द हुआ था। गाय एक प्राणी है, उस गाय को मारने वाले को फिर हम भी मार रहे हैं, तो हम दोबारा हत्या कर रहे हैं, यह कौन सी बात है। इस बारे में में दो उदाहरण दूंगा कि अभी कैसे हो रहा है। हाल ही में मुंबई में महानगरपालिका के चुनाव हुए, कोई छ:-सात महीने हुए होंगे। चुनाव में जो कुछ हुआ, वह आपको पता है, मैं उसके राजनीतिक पक्ष में नहीं जाना चाहता हूं। उसके पूर्व एक धर्म के लोगों ने प्रचार करना शुरू कर दिया कि ये नॉन-वेजिटेरियन का समर्थन करते हैं और यह कहा गया कि ये सभी नॉन-वेजिटेरियन हैं, इसलिए इनको वोट नहीं देना है। हम क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, क्या आप इसके लिए हम पर सख्ती करेंगे? दुर्भाग्यवश उससे ज्यादा बुरा मुझे इस बात का लगा कि इसको लेकर विघटन हुआ। उसको लेकर जाति का विघटन हुआ और मजहब का विघटन हुआ। हम अगर धार्मिक संस्कार करते हैं तो एक इंसान को दूसरे इंसान से प्यार करने का संस्कार करना चाहिए।

"मैं नफरत करने वाले के सीने में प्यार भर दूं, मैं वह परवाना हूं, पत्थर को मोम कर दूं। "

यह बात होनी चाहिए, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। उसने नफरत की तो मैं डबल नफरत करूंगा। जहां पाकिस्तान के साथ नफरत करनी है, वहां नहीं करते हैं। चाइना के साथ करनी है, उस पर भी आता हूं। अब यह बात रही, इसको लेकर सोशल मीडिया ने पूरा जहर फैला दिया। चार दिन पहले लोग कहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, दो दिन में सिर्फ मजहब की बात आई, वेजिटेरियन और नॉन-वेजिटेरियन की बात आई तो लोग घूम गए। यह हम क्या फैला रहे हैं, कैसे बीज बो रहे हैं?

हाल ही में धूलिया में एक हादसा हुआ। एक गुण्डा था, उसे दूसरे गुण्डों ने मार दिया। अब मरने वाला गुण्डा एक धर्म का था और मारने वाले दूसरे धर्म के लोग थे। गुण्डे को गुण्डों ने मारा है, दोनों गुण्डों की टीम है, लेकिन उधर से किसी ने मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर ली और उसे वायरल कर दिया। वायरल होने के बाद यह बात फैल गयी कि मारने वाले हिन्दू थे और मरने वाला मुसलमान था या मरने वाला हिन्दू था और मारने वाले मुसलमान थे। दोनों गुण्डे थे, लेकिन हमने गुण्डों पर चर्चा नहीं की, हमने अपने मजहब की चर्चा की। आज वहां दंगा होने की नौबत आई है। इसलिए जब हम इस विषय को लेकर बात करते हैं, तो यह सौभाग्य भी है और दुर्भाग्य भी है। यहां विविधता में एकता है, जाति-पांत, धर्म आदि हैं। हमारे संविधान ने भी इन चीजों को माना है। भाषा के आधार पर प्रान्त रचना हुई।

अब भाषा है, संस्कार है। जब हमारे जम्मू-कश्मीर में जवानों पर पत्थर मारते हैं तो दिल में दर्द नहीं होता है! क्या हम मारने वालों का मजहब देखते हैं या जवानों का मजहब देखते हैं? हमारा ... * वहां लहराता नहीं! हाल ही ... * ने जो बात कही है कि कश्मीर में ... *, सुबह से हम लिंचिंग पर बात कर रहे हैं, यह तो देश की लिंचिंग पर बात हो रही है। क्या कभी किसी ने ... * लहराने नहीं देंगे के बारे में सोचा?

हमारे महाराष्ट्र में वंदे मातरम् की बात हुई, नहीं कहेंगे वंदे मातरम्, यह चीज जो देश में हो रही है, वह एकता को भंग करने वाली है।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदया, मैं अपनी बात दो मिनट में समाप्त करता हूं। ...(व्यवधान) आपने समय की पाबंदी लगाई है। मुझे अंदर से दर्द हो रहा है। मैंने वहां भी कहा है कि मैं व्यथित हूं।

हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस, में चाइना का जो मामला चल रहा है, मैंने जानकारी ली तो पता चला कि वह चाइना की पुरानी फिल्में हैं। उनकी जो परेड हो रही है, वह पुरानी फिल्में हैं, जो मीडिया बता रही है। मीडिया कहती है कि हमारे पास सिर्फ 10 दिनों का आयुध है, यह क्या है, किसको डरा रहे हो, जनता को डरा रहे हो या हमारे डिफेंस को डरा रहे हो, क्या हो रहा है? यह लिंचिंग जैसी वाली बात है, उसकी आलोचना करनी है, कड़ी निंदा करनी है, सरकार की नजर में लाना है। प्रधान मंत्री जी ने कड़ी निंदा की है, लेकिन हम जिस ढ़ंग से उसका प्रचार करते हैं, तभी सामना ने कहा है, देखो ! ये लोग कौन हैं, क्या कभी हमारे किसानो ने लिंचिंग किया, किसान जा कर दूसरे किसान की हत्या करते हैं? जो किसान जिंदगी भर अपनी गाय को पालता-पोसता है, सावरकर जी ने कहा है कि गाय एक उपयुक्त प्राणी है। किसान गरीब है, उसे बेच देता है, उसे मालूम नहीं है कि उसने उसे कसाई को बेचा या किसे बेचा। उसका दूर्भाग्य है, लेकिन वह क्या करे, जीने का हक हरेक को है तो उसे भी जीने का हक है। वह सोचता

^{*} Not recorded

है कि इसके मरने पर मैं जीता हूं। It is the survival of the fittest. The biggest fish eats the smallest fish. Otherwise, it will not survive. The same thing is happening here also. यह होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब हम चर्चा कर रहे हैं तो ज्यादा राजनीतिक बात नहीं करें। हम यह देखें कि सरकार को क्या करना चाहिए। सोशल मीडिया आज कल जिस तरह से प्रभाव डाल रही है, छोटी-सी बात को अंगार लगा देंगे।

अध्यक्ष महोदया, चुनाव के पहले एक अंग्रेजी अखबार ने पूछा कि कितने सोशल मीडिया यूज करते हैं तो मैंने कहा कि मुझे जितनी जरूरत है, उतना यूज करता हूं, क्यों, उसने कहा कि एक दिन इंडाइजैशन होगा और याद रखना एक दिन बूमरैंग होगा। आज वह बूमरैंग हो रहा है। मै सरकार से प्रार्थना करता हूं कि take care of that point. Without confirmation, we spread the news and we take it that the social media news is the correct news as if they hold the authenticity. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम पोर्टल्स पर बात करेंगे या देश की रक्षा पर बात करेंगे, यह हमें सोचना चाहिए। इस विषय पर जब चर्चा आयी है तो मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सब एक बन कर, इस देश की सुरक्षा कैसे बरकरार रखें, एक-दूसरे के साथ प्यार से कैसे रहे, ये चीजें हमें देखनी है। वंदे मातरम कहना है तो उसमें क्या बुरा है, एक बार बताइए। पाकिस्तान में मीडिया पर पाबंदी है, चाइना में पाबंदी है।

माननीय अध्यक्ष: आपका एलॉटेड समय पूरा हो गया।

...(व्यवधान)

श्री अरिवंद सावंत: अध्यक्ष महोदया, मैं एक सेंकेंड में अपनी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम् में बुरा क्या है, यह बताओ। हमने तुम्हें झुकने के लिए नहीं कहा है, इतना हाथ जोड़ कर कहने में क्या मुश्किल है? उसके ऊपर डिविजन हो रहा है। Let us see that the country is not divided. Let us make it united as it was. It should remain united and in future also, it should remain united.

Thank you, Madam.

HON. SPEAKER: Shri Jayadev Galla, please be brief as we have to conclude the discussion. I am saying this as we have to conclude it on time.

Before starting, I must say that you should be brief. That is the point.

श्री असादुद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): पहले पार्टियों ने टाइम बर्बाद किया।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सभी थोड़ा-थोड़ा बोलेंगे तो सभी को एकोमोडेट कर लेंगे।

...(व्यवधान)

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Madam, I thank you for giving me this chance to talk on this very important subject.

Mob violence which we are talking about represents a breakdown of law and order. It represents the assured strength in numbers. It represents the majority rule mentality and it does not have a place in a peaceful, democratic and orderly society. It takes the place of judge, jury and executioner as well.

I was looking at many of the reports while preparing for my speech about mob violence. I was trying to look at the history because there were a lot of accusations that are being made on both the sides about whether mob violence is increasing or not increasing. Based on the statistics that I was able to review, one thing that was clear is that mob violence has been increasing continuously, not in the last three to four years but in the last 10 years, 15 years, 20 years, etc. Whichever period of time that you take, there has been an increase in mob violence and it has been continuing even today. But one thing that stands out is that cow related mob violence has grown from five per cent to over 20 per cent by June, 2017. So, although mob violence as such has been continuing to grow, this particular type of violence against this particular subject of cow violence, has reached an alarming proportion. The point that I am trying to make is that the overall increase has been a continuing increase.

The Prime Minister himself has recognised the problem of this cow related violence and has strongly spoken out against violence, including the cow related vigilantism in his statement on 29th July, 2017, just a couple of days ago which many of my colleagues have already mentioned.

Prof. Saugata Roy also mentioned that 52 per cent of the cases that have been reported in mob violence have been from the BJP ruled States. I think that should also tell everyone that 48 per cent or half of the incidents is from the non-BJP ruled States as well. So, this is happening across the country. I do not think you can attribute it only to the BJP or the non-BJP ruled States. It is something that is of concern to us and we should all be concerned about.

What is clear is that there are certain parties that are pursuing minority vote bank politics. There are other parties that are pursuing majority polarisation politics. There are yet even other parties that are pursuing region based politics or caste based politics or any type of politics that would divide society basically. I think all the political parties have to look at themselves and understand how they are dividing the society and not unifying the society. I think every party has to introspect, not only one or two.

When I look at my own identity, I am an Indian; I am a male; I am a Hindu; I am a Telugu from Andhra Pradesh and from Rayalaseema in particular; I am a fair skinned, some people were talking about colour here; I am a Kamma by caste; I am a non-vegetarian; and I am a heterosexual. These are the labels that our Members themselves have been using to label people and the society itself has been using them. If I look at myself I have 11 labels here. I do not know how many more labels I could come up with if I had to really think about it. But just sitting here, 11 labels came to my mind.

When it comes to people to people interaction, I do not think there is much of a problem in our country. But the group clashes and politics are actually creating these problems with respect to religion, caste, region, language, colour, gender, diet or sexual preference. All of these things are dividing the society.

I believe that the President, the Prime Minister, the Chief Ministers and leaders of all political parties need to rise above this type of politics and condemn mob related violence of all types regardless of how it might have been started.

India is a multi-cultural, multi-religious, multi-linguistic composite society. It has been so for thousands of years. On behalf of my Party, the Telugu Desam Party, and our Chief Minister, Shri Nara Chandra Babu Naidu garu, I condemn any mob violence related to religion, caste, region, language, colour, gender, diet or sexual preference. The strongest action will be taken against perpetrators of this kind of violence in Andhra Pradesh.

I appeal to all the Chief Ministers, the 52 per cent of the BJP ruled States as well as the 48 per cent of the non-BJP ruled States to also act accordingly and protect the constitutional rights of all citizens and the composite nature of our society.

Before I conclude, I want to take one more minute to talk about the cow issue that has drawn everybody's attention now. It is not only a social issue but also an economic and environmental issue. I just want to take a minute to talk about that.

Madam, as we all know, India is the fastest growing large economy in the world today. Our per capita GDP is increasing, our infant and maternal mortality rates are coming down, life spans are increasing, consumption of everything is increasing, including food consumption and milk consumption. Therefore, the demand for milk is exploding. The demand for milk is growing beyond where it ever used to be before. Only female cows give milk, I think we all know that and cows are being reared to increase the volume and increase the supply of milk. But since the female cow population is required to meet the demand for milk, what do we do with the male cow population? This is the real issue we need to think about, whether as an economic issue or an environmental issue. What do we do with all the male cows? They need to be fed, we need to feed them more and they are adding to the green house gases in our country also. I do not have a solution. My question to all the learned Members here is this. What do we do with all the male cows? Thank you.

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज): अध्यक्ष महोदया, मैं आपको पहले इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे नियम 193 के अंतर्गत सदन में इस चर्चा के तहत अपनी बात रखने की अनुमित प्रदान की है। हम पूरे दिन से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत-सी बातें हुईं और इधर-उधर की भी बातें हुई हैं, लेकिन आज सिचुएशन जहाँ पहुंची है, वह मुद्दा है- Reported incidents of atrocities and lynching in mob violence in the country.

में मुद्दे के अंदर ही अपनी बात को रखना चाहूंगा। मंत्री जी ने भी इस संबंध में अपनी बात कही। महोदया, जब आप नहीं थीं, तब मंत्री जी ने एक कंक्रीट सुझाव दिया था कि जिस तरह से मॉब लींचिंग हो रही है, इसके लिए निंदा प्रस्ताव हो। दूसरी बात, आईपीसी में संशोधन करके मॉब लींचिंग को शामिल करके एक कानून बनाया जाए और राज्य सरकारों को हिदायत दी जाए कि ऐसे अपराध होने से 24 घंटे के अंदर अपराधी को पकड़ा जाए और जल्दी से जल्दी सजा देने का बंदोबस्त किया जाए। अगर सरकार यही कहे कि उनके मंत्री जो कहे, उसे को ही मान लेते हैं तो उसे आफिशियल रेजोल्यूशन की तरह मान लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है और मानता हूं कि विरोधी पक्ष को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं। अच्छी बातों का तो समर्थन करना ही चाहिए।

मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसे लेकर झड़प भी हो गयी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरों कहता है कि मॉब लींचिंग चूंकि आईपीसी में नहीं है, इसलिए उसे अलग केटेगिरी में डालते नहीं हैं और सभी घटनाएँ रिपोर्टेड भी नहीं होते हैं इसलिए उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। अभी हमारे शिव सेना के साथी ने कहा व्हाट्सएप का मामला है, जो सोशल मीडिया में हो रहा है। वे द्रुथ मैन्युफैक्चर करते हैं और सप्लाई करते हैं और घूमते रहते हैं तो इससे भी ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है, इसके लिए भी हमें होशियार रहना चाहिए। But actually it is a shocking, violent war within our country. देश, विदेश, सीमा आदि तो है लेकिन देश के अंदर हम क्या चाह रहे हैं, क्या हम मिलिशिया चाहते हैं, आर्म्ड फोर्स, प्राइवेट आर्म्ड ग्रुप्स चाहते हैं और वे हत्या करें। आखिरकार हकीकत क्या है। नागरिक के खून से सहनागरिक का हाथ रंजित हो रहा है। हम पूरे देश की बात कर रहे हैं।...(व्यवधान) अच्छा, ये केरल को देश में नहीं मानते हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप चेयर को अड्रेस कीजिए।

श्री मोहम्मद सलीम: आप इधर-उधर की बात मत कीजिए। हमें हकीकत का सामना करना पड़ेगा। ...(व्यवधान) मैं शायरी नहीं करूंगा, क्योंकि यहां मुशायरे का माहौल नहीं है। जब हम खून की बात कर रहे हैं, हत्या की बात कर रहे हैं, मॉब लींचिंग की बात कर रहे हैं, भीड़ द्वारा निरपराध और निहत्थे लोगों की हत्या की बात कर रहे हैं, मैं नहीं समझता की वहां वाहवाही का माहौल बने। यहां हंसी-मजाक की बात भी

हो गई है। पूरा देश देख रहा है कि जो लोग मारे जा रहे हैं, जिन पर हमले हो रहे हैं, उनके प्रति हम कितने सेंसिटिव हैं। जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके लिए कुछ संवेदनशीलता भी होनी चाहिए।

इस विषय को लेकर आज बहुत रियूमर्स हैं। चाइल्ड लिफ्टर्स की बात में भी रियूमर्स होते हैं। मंत्री जी ने भी इस विषय में कहा है। पहले हमारे देश में किसी को डायन कह देते थे। 'If you want to kill a dog, give it a bad name.' इसी के साथ मामला तय हो जाता है। इन अफवाहों के द्वारा जो भीड़ इकट्ठा होती है, मैं सिर्फ उस भीड़ को ही अपराधी नहीं मानता हूँ। यह एक माइंडसेट की बात है। इसका अपना आर्थिक पहलू, सामाजिक पहलू, राजनीतिक पहलू, दार्शनिक पहलू और साइकोलॉजिकल पहलू है। इसके कोई तो इंस्टीगेटर होंगे? कोई तो इसके मोटिवेटर होंगे? यहाँ कई सदस्य कहते हैं कि इसके लिए कुछ लोगों द्वारा पेमेन्ट भी किया जाता है। शिव सेना के 'सामना' का उदाहरण देकर हमारे सत्पथी जी ने कहा कि इसके लिए ... * बिना कारण के कोई घटना नहीं होती है। ऐसी किसी घटना के होने पर उसे 'मॉब' का नाम देकर कुछ लोग कहते हैं कि लोगों के गुस्से में आ जाने के कारण भीड़ का इंस्टेन्ट रिएक्शन हो गया। ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक लंबी कहानी है।

मैं सदन में पूरा समय लेकर इस पर चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन समाज के हर वर्ग को इस बारे में सोचना होगा। मैं समझता हूँ कि यह हमारे देश में नया नहीं है। इसके बारे में न्यू-यॉर्क टाइम्स ने जो कहा मैं उसे यहाँ कोट नहीं कर रहा हूँ। आप जिन विदेशी पत्रिकाओं को मान्यता देते हैं, वे भी इस बारे में कहती हैं।

अमेरिका में भी पिछली सदी में सैंकड़ों की संख्या में मॉब-लिंचिंग के केस हुए हैं। ऐसा ही एक केस पिछले साल लातेहार में हुआ था, जिसमें दो बच्चे मारे गए थे। उन बच्चों के नाम 'मज़लूम' और 'आजाद' थे। आजाद भी अब मज़लूम हो रहा है। हो सकता है कि यदि उस वक्त इस घटना ने हमारी सेंस्टिविटी को झकझोरा होता, तो बात इतनी आगे तक न बढ़ी होती। लेकिन हम खामोश रहे। सन् 1911 में टेक्सिस में भी कुछ इसी प्रकार की घटना हुई थी। यदि आप उस समय के फोटो देखेंगे, तो उनमें वाइट सुप्रीमेसी दिखाने के लिए दो ब्लैक बच्चों को पेड़ से मारकर लटका दिया गया था। झारखंड राज्य के लातेहार में भी उसी प्रकार से दो बच्चों को मारकर लटका दिया गया था। मैं पूरा वर्णन तो नहीं करूँगा, लेकिन इस प्रकार की एक के बाद घटनाएं हुई हैं।

HON. SPEAKER: Mr. Salim, please conclude, now.

श्री मोहम्मद सलीम : मैडम, मैं टॉपिक पर ही बोल रहा हूँ। Please allow me some time. मैं बहुत शांति से बोल रहा हूँ। मैं किसी पर लांछन नहीं लगा रहा हूँ।

_

^{*} Not recorded

HON. SPEAKER: I cannot help it.

SHRI MOHAMMAD SALIM: You have to, Madam. After all, दस दिनों से इंतज़ार करते हुए आज चर्चा करने का मौका मिला है। यह चर्चा तो सन् 2014 में ही होनी चाहिए थी, जब श्री मोहिसन शेख की पुणे में हत्या कर दी गई थी। उस समय पूरा मुल्क खामोश रहा। इखलाक के मामले में क्या हुआ? पहलू खान के मामले में क्या हुआ? मैं एकतरफा बात नहीं कर रहा हूँ। कश्मीर के डी.एस.पी. श्री अय्यूब की भी हत्या की गई। ...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुवे: आप उसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप इधर-उधर की बातें मत सुनो।

श्री मोहम्मद सलीम: मैं सन् 2010 से मॉब लिंचिंग की बात कर रहा हूँ। आप 2014 की क्या बात कर रहे हैं? मैं सन् 2010 से सन् 2017 की बात कर रहा हूँ। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Salim, please address the Chair.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम: मैडम, मैं आपका संरक्षण माँग रहा हूँ।

HON. SPEKAER: Nothing will go on record except what Shri Salim is saying.

...(Interruptions) ...*

श्री मोहम्मद सलीम: श्री अय्यूब पंडित, डी.एस.पी. का आज तक क्या नतीजा निकला? ...(व्यवधान) अभी सी.आर.पी.एफ. के ट्विटर में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसे हमने देखा है। उसमें एक सी.आर.पी.एफ. जवान नमाज़ पढ़ रहा है और उसका दूसरा साथी हथियार के साथ खड़े होकर उसके लिए पेहरा दे रहा है। हम कौन सा देश बनाना चाह रहे हैं? ऐसा कर के हम कहाँ जाएंगे? वे अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। सी.आर.पी.एफ. में कई मुस्लिम जवान्स भी होंगे। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में किस की सरकार है या किस की नहीं। मुख्य सवाल यह है कि आखिर हम इस सब से क्या सीख ले रहे हैं? कई बातों के 'वॉट-अबाउट्स' भी होते हैं, कि यह बात 5 साल या 10 साल पहले भी हुई थी। मंत्री जी ने सन् 1984 की बात कही है। हम सन् 2002 के गुजरात की बात कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमने मंत्री जी को इसलिए बोलने दिया ...(व्यवधान) थोड़ी सुनो न मेरी बात। थोड़ा सुनने के कान भी रखो।...(व्यवधान)

-

^{*} Not recorded

HON. SPEAKER: Please conclude, now.

श्री मोहम्मद सलीम : मैडम, मैं तो बहुत संजीदगी से बोल रहा था।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shall I call the next speaker? Please conclude, now.

श्री मोहम्मद सलीम : मैडम, जफर खान, सी.पी.आई. (एम.एल.) एक्टिविस्ट...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप कन्क्लूड करो, नहीं तो अगला नाम बोलना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम: मैडम, प्लीज़। मैंने एक पेज ही बोला है। अभी चार पेज और हैं। मैं कोई शेर-ओ-शायरी नहीं कर रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष: जल्दी बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम: मैडम, ज़फर खान की जिस तरह हत्या की गई। आप महिला हैं, आप तो इस बात को समझेंगी। यह गलत है। स्वच्छता अभियान चल रहा है। लोग ओपन में शौच क्यों जाते हैं? एक महिला जब खुले में शौच के लिए जाती है, तो उसे गैरत होती है। जब म्यूनिसिपल वर्कर्स उसका फोटो निकाल रहे थे, तो सोशल एक्टिविस्ट ने आपित की थी, जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई उसी तरह से दिल्ली में रवीन्द्र कुमार ई-रिक्शा ड्राइवर ने पेशाब करने पर आपित की तो उसकी हत्या कर दी गयी। मैं यह कह रहा हूं कि जब हत्या होती है या मॉब लींचिंग होती है और उसको कोई जिस्टिफाई करता है तो वह केवल एक दर्शन से नहीं होता है, एक तरफ से नहीं होता है। इसको आप लॉ एंड ऑर्डर की समस्या मत समझिए। हम अपने दिमाग को कहां ले जा रहे हैं? हमें दिमाग को सही रखने की जरूरत है।

अभी-अभी "नॉट इन माई नेम " कहा गया। अगर कोई हत्या कर रहा है तो हमारे नाम से क्यों करे? अगर कश्मीर का कोई आतंकवादी हत्या करता है तो वह मुसलमान के नाम से क्यों करे?वह केवल हत्यारे हैं। अगर कोई जुनैद की हत्या कर रहा है तो वह हिन्दू धर्म की रक्षा के नाम पर क्यों करे?वह केवल हत्यारे हैं। हमारे देश की सरकार हो, विपक्ष के लोग हों या पत्रकार हों, सभी को यह कहना चाहिए कि हत्यारे, हत्यारे हैं। वह जो कवर लगाया जाता है, वह गलत है। वह दर्शन गलत है, जो इसको प्रमोट करता है। मैं समझता हूं कि खतरा वहीं से उत्पन्न हो रहा है। इसलिए यह केवल लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है।

प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को कोट कर रहा हूं। अभी मंत्री जी ने उनके बयान को अंग्रेजी में कोट किया, लेकिन मैं विदेश के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं देश के लिए बोल रहा हूं। उन्होंने वर्ष 2016 में कहा -

"यह देख मुझे बहुत गुस्सा आता है कि लोग गोरक्षा के नाम पर दुकानें चला रहे हैं। कुछ लोग रात के समय अनैतिक कार्यों में लिप्त रहते हैं और दिन में वे गोरक्षकों का आवरण ओढ लेते हैं।"

कोई भी साम्प्रदायिक मामलों में धर्म के नाम पर चादर ओढ़ लेता है। अफगानिस्तान में अगर इस्लाम ज्यादा है तो वहां इस्लाम की चादर ओढ़ लेंगे, पाकिस्तान में भी ओढ़ लेंगे, बांग्लादेश में ओढ़ लेंगे, लेकिन हम तो भारत के नागरिक हैं। हमारा देश सोशल रिपब्लिक प्रजातांत्रिक देश है। हमारे यहां लोकतंत्र है, फिर हम इस बात को क्यों कहते हैं कि वहां यह हो रहा है, वहां वह हो रहा है। ये सब अपराध एक दिन में नहीं हुए हैं। वर्ष 2010 से...(व्यवधान) सबसे बड़ी बात समझ की होती है...(व्यवधान) केरल के मुख्यमंत्री ने सभी को साथ लेकर शांति कायम करने के लिए वार्ता करने की बात कही है। क्या यह काम प्रधानमंत्री नहीं कर सकते हं?क्या यह काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं कर सकते हैं?...(व्यवधान) क्या यह काम दूसरे प्रदेश के लोग नहीं कर सकते हैं...(व्यवधान) केवल निंदा करने से यह नहीं होगा, शांति के लिए प्रयास करना होगा...(व्यवधान) राजनीतिक हत्या की बात अलग है...(व्यवधान) आज पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग लोक सभा क्षेत्र में तीन लोगों की हत्या गाय की चोरी के नाम पर की गयी...(व्यवधान) वार्जिलिंग से आपके एमपी आते हैं। मैं उन तीनों के चोपड़ा स्थित घर गया था। मैं नसीरुद्दीन, समीरुद्दीन के घर गया था...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now, it is okay. Shri Konda Vishweshwar Reddy.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Mohd. Salim ji, you have to conclude. I have taken another name.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You are not concluding. What can I do?

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: One minute Reddy ji.

... (Interruptions)

SHRI MOHAMMAD SALIM: I will conclude in three minutes.... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, not in three minutes. You have to conclude in one minute.

... (*Interruptions*)

SHRI MOHAMMAD SALIM: I will conclude in two minutes.... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: मैंने आपको भरपूर समय दिया, लेकिन आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री मोहम्मद सलीम: प्रधानमंत्री विश्व में कहीं भी कुछ भी होता है तो ट्वीट करते हैं, अगर वर्ष 2014 में ही वह कह देते कि मोहिसन शेख की हत्या प्राफाइलिंग के नाम पर, धर्म के नाम पर गलत है तो उसका असर दूसरा होता। लेकिन प्रधानमंत्री जिस दिन बयान दे रहे हैं, उस दिन झारखण्ड में कत्ल किया जा रहा है। जुनैद के घर मैं गया था। उसकी माता सायरा को मैं यह वादा करके आया था कि मैं आपके सामने यह बात रखूंगा कि किस तरह से हत्या की गयी। वह सीट का मामला नहीं था रिलीजियस प्रोफाइलिंग है।...(व्यवधान)

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Thank you, Madam, for allowing me to speak on the issue of mob violence and mob lynching. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, only Shri Konda Vishweshwar Reddy's statement will go on record.

... (*Interruptions*)

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY: Madam, many senior Members of Parliament have spoken before me – Saugata Roy ji, Kharge ji, Hukmdeo Narayan Yadav ji.

Madam, today's discussion is not just about lynching; this lynching is specifically related to beef, beef trade and beef eating. (k3/1640/rcp/mz)

What is happening in the country is really unfortunate. We from Telangana are totally confused; we are baffled. What is this? Are we in India or which country is this? What is happening and why is it happening? It is because, it looks like that we come from a different culture. Maybe, we have a different culture. Is the whole of India one and Telangana different? We come from a culture of Ganga-Jamuni *tehzeeb*. In my constituency, there is a temple where the Goddess is given pearls from Mian *sahib* family every year. The Dargah Boards are filled with Hindus. Our CM, K. Chandrasekhar Rao narrates the story when the Nizam saw the Musi floods which killed Hindus and Muslims, at the behest of Ram, he offered betel leaves, *kumkum* and *pasupu*.

So, we are definitely baffled, and more so, myself. I am from Chevella Parliamentary constituency. In my constituency, there are three lakh people who speak Rajasthani, who came 400 years back. There are two-and-a-half lakh Marathis; there are two-and-a-half lakh Kannadigas; there are five lakh people who speak Urdu. We have 60,000 Sikhs who speak Punjabi, who came about 500 years back. We have at least 15,000 people who speak Bengali and Gujarati. So, we are definitely confused as to what is happening in the rest of India. This is unheard of in Telangana.

Among our 17 MPs, the mother tongues of five MPs are totally different. B.B. Patil *sahib*'s mother tongue is Marathi; Asaduddin *sahib*'s mother tongue is Urdu; my mother tongue is Telugu; Godam *sahib*'s mother tongue is Gond and we have a Kannadiga Member. No other State in India has MPs with five different mother tongues. We are the true India. We are also the heart of India; we are in the centre of the country and the shape of our map is also is like a heart. So, we are totally bewildered as to what is happening.

Recently an article came in the paper, namely, 'The Telangana jails for rent'. We have the best jails with very good food. They are all empty. We have the highest law and order and we are renting out our jails to other States at Rs. 10,000 a month for a cell. So, we welcome those States to please come here and take our jails on rent.

Democracy is the greatest form of governance and people's representation. In a democracy, the majority always wins. But the converse of that is, the minority always loses. But we are not just any democracy; we are the greatest democracy which protects the minorities.

We have multiple cultures. I can be uneasy with a neighbouring MP, who is sitting here; he represents a different community. But I enjoy his Hyderabadi biryani and shami kababs. He is sensitive enough. When he gives me shami kababs, he gives me mutton shami kababs, not the beef shami kababs.

We may be the youngest State. We teach children a lot of things. But, I think, it is time we started learning from children. We are the youngest State, but in terms of tolerance, we are the number one State. I think, this is an example for India to follow. Thank you, Madam.

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU): Thank you, Madam Speaker for giving me an opportunity to speak on a very important issue of mob lynching and mob violence which is happening in India.

India is a truly democratic country with secularism and tolerance as its backbone. Though, time and again, secular values have been emphasised, it is very unfortunate that the emotions are rising high on many issues concerning religion, discrimination, personal ideologies and beliefs. People are trying to take law into their hands and impose punishments which are sometimes leading to killings.

India is a country of diversities and people compete on economic issues and political clout and showcase their own cultural values. We are looked upon as the world's largest democracy and we are applauded for our unity in diversity. But, unfortunately, a recent research by India Speed concludes that in the first six months of 2017, 20 cow terror attacks were reported – more than 75 per cent of the 2016 figure – which was the worst year for such violence since 2010. This is not the first time that such violence is reported. It is happening for the past ten years and it is increasing rapidly.

These attacks include mob lynching, murder, attempt to murder, harassment, assault and sometimes gangrape. In two attacks, the victims were chain stripped and also beaten up. It is very unfortunate and alarming that with the rise of such unconstitutional groups resorting to mob lynching, we are all being blamed in the world.

These offenders are behaving like extra judicial authorities punishing the citizens and infringing the basic fundamental rights of the citizens and trying to enforce their personal beliefs on the people forcefully.

I would like to draw the attention of this House to a recent incident that happened in Andhra Pradesh. We have witnessed a very big incident in Garagaparru in Andhra Pradesh which is an ongoing issue as on today. A huge mob of Dalits were attacked for erecting the Ambedkar's statue in that village and

they were being subjected to confinement. They were not given food and water and they were boycotted. Though two police personnel were standing at each house. Those Dalits were subjected to a lot of harassment. Now, their demand is to have a separate gram panchayat because as my colleagues have rightly said that Dalits are being put at the end of the villages. They are deprived of all the facilities and they are not being allowed to enter the temples for worship as well as even for the basic amenities. Water is also not given to them. So, they are demanding different gram panchayats for the Dalits so that they will also develop leadership qualities among themselves, improve on their infrastructure, educational facilities, become leaders for the future generation and also help their co-people. This incident reveals that there is a clear cut discrimination and it needs to be resolved suitably and there should be a mechanism to evolve permanent solutions and not any temporary relief.

HON. SPEAKER: Now please conclude.

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA: It is the responsibility of all of us to combinedly rise to the occasion. There is no blamegame involving this side or that side and as Satpathy Ji rightly said, none of us here are permanently sitting at one place nor are permanent here. We should all rise together to actually fight this menace. It is important that there should be no blamegame. Our hon. Prime Minister has also talked about this intolerance or they have condemned the attacks on the cattle traders, beef eaters and dairy farmers saying that killing people in the name of protecting cows or religious fanaticism is unacceptable.

Hence, under the given circumstances of the current violence happening in country, I urge the Government to take stringent action and thereby uphold the values as mentioned in the Preamble of the Constitution –Sovereign, Socialist, Secular, Democratic and Republic.

Thank you for giving me this opportunity.

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Madam thank you very much for giving me this opportunity to talk on such a sensitive issue.

Firstly, I feel this whole House wholeheartedly needs to condemn every lynching that happened in this country. It does not matter who, which State and what it is. Actually, I was really disappointed with the lead speaker of the Ruling Party and I stand here as a woman who shares the pain of Saira Ji who lost her 15 year old son Junaid. In his speech, I was really disappointed that a senior Member like Hukmdeo Narayan Ji turned around उसका बेटा मर गया, लेकिन ऐसी चीजें तो होती हैं। This is not a random incident. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, he has not said like that.

SHRIMATI SUPRIYA SULE: When it happens, he did not show any sensitivity. I am a woman and as a mother, I objected to him. Madam, you may object it. I did not disturb him. He said a lot of disturbing things. So, let me not challenge you on that. He even talked about China offload and said हमारी तरफ से जो करना है। I challenge him. If you really have the courage of challenging China, go and attack China. We will support you on this. So, do not take these things lightly. We were not talking about China. We were talking about lynching. He spoke about China in his speech. Please check the record. If he has not spoken about China, I will withdraw my speech. So, do not talk of China.

माननीय अध्यक्ष: चाइना की बात नहीं है।

SHRIMATI SUPRIYA SULE: He talked about China in his speech. So, the whole point is that lynching is a very sensitive issue. What Paswan Ji said is absolutely right. We, in one voice, need to send a message to this country, does not matter which caste, creed, city, State or party we come from. We, as one Parliament, condemn it and that is the message this country is looking for in modern India. So, I think that is the resolution that we need to pass together which we will support as a group. I am so happy Kiren Rijiju is sitting here who has a very modern view on what people should eat, wear and think and he leads the Home Ministry. So, I am

looking at him with a lot of hope with the aspiring India that you talk about. You keep saying this is modern *din, acche din.* Then let us put our hand where our mouth is and deliver the things. Even the Shiv Sena unfortunately is not here. We had a lynching issue in Nagpur. All the Chief Ministers in this country, better late than never, have condemned it, I must say, be it the Jharkhand CM, be it the Rajasthan CM. But Maharashtra is the only State where the CM, who is so active otherwise, has not said one word against what happened in Nagpur, and there was no proof that that was beef. ... (*Interruptions*)

And, you are not from there. I never say that. Let me finish. You have every right to talk about it. The point is, if you are a vegetarian, how you would know what that meat looks like. I cook regularly. I cannot tell the difference between the two meats. What right did they have to hit that man in Nagpur just looking at his wife? All that the wife was saying was that she wants her husband to be alive and she wants justice. I did not want to bring here the Party issue. Both are from the BJP and he was the General Secretary of the Minority Morcha of the BJP. What did the Chief Minister do? Did they say one word? Not one word came out. Did Shiv Sena condemn it? Nobody condemned it. This is what happened in my State.

I must congratulate the Rajasthan Chief Minister. She had the courage to write an article against mob lynching. I compliment her. Better late than never, but she did it. I also compliment the Chief Minister of Jharkhand. He had the decency to sack the SP there. But in our State he has not done it. Maharashtra has not done that, and Maharashtra is a modern State. In our State we never had such issues in the last 50 years. So I urge you to take this opportunity and see why eating beef is an issue. If you can talk about consuming fruit, if the Goa CM can talk about it, importing it from Karnataka, why cannot Maharashtra do the same thing? As a woman I am asking you for justice today.

I would urge you to find out why. You talk about *ahimsa*. Your Government talks about Yoga Day. What is yoga about?

माननीय अध्यक्ष : सुप्रिया सुले, मैं बैठी हूँ न, आप यहां देख कर बोलिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपस में बात नहीं करना है।

...(व्यवधान)

SHRIMATI SUPRIYA SULE: I am sorry, Madam.

You talk about Yoga Day. We are all happy to do yoga. We are proud of our Indian culture. What does yoga tell you first? Yoga's third posture is *astha*. First is *yam*. *Yam* teaches first about *ahimsa*. So, why do we not all say that Yoga Day is not about just doing *Surya Namaskar* but it is about *ahimsa*, and that is the message this country needs. So I would urge the hon. Prime Minister that this is what is needed. This is not just to the nation. We are happy to follow something which is of interest. He should tell his cadres first. This has unfortunately happened in my State. I am so ashamed that my State, being a modern State which I am proud about, has not given us result while other States in this country have done so. So I urge him to do that.

I would just like to say one or two things only. What happened to Junaid is very unfortunate, and that person who did this to him is out on bail today. Is this the justice system you want to give? I think we condemn it. We all have to find out a way to ensure that if somebody is caught in mob lynching or in any lynching-does not matter who he is or where he is from--he should not get bail. I think we, as a House, need to send a message to this country that first we should make new regulations that nobody can get bail after killing somebody's 15 year old child. I cannot even think what it is.

What is about food and consuming? Shri Arvind Sawant made such a modern statement. I was very happy to see that. But what about that poor radio jockey of Mumbai, Malishka? All she did was, she made a simple song against the potholes of Mumbai. The BJP-Shiv Sena Government has given her a notice. Is this really the freedom we are looking at- what you eat, what you drink, what you

wear, what you say? She is just an RJ, young jockey, young woman trying to strive a career. Madam, this is complete injustice. So, I urge you and I just want to quote this last one point. I do understand that you are short of time. I would just like to make this point.

Why are people eating beef? There is a Professor Michael Gordon who is Irish. He has spent his entire life in Africa. All he is saying is that some of this meat in the low cost income category people needs to be consumed because it a high proteiner. So I would urge the Government that if you want a lot of people free from mal-nutrition issues, give a solution. Give *dal* to the entire country, give all the BPL *dharaks* free *dal* from tomorrow. I am sure they will be happy to change their diet. Why not give that? So if you are not giving them beef to eat, then you give them good *dal*. There is something we can all debate on but you cannot tell me what to eat. At one time you are saying you want to change this India and make it a just India. You want to get rid of mal-nutrition. How can you do this with all these kinds of issues going on? So I think you really need to look at the larger picture, and it is no religion which tells you to do anything.

I come from a family of an atheist father and a God-loving mother. That does not mean my father never told me not to go with my mother nor did my mother tell me to come and join her. India is very modern and so is the Hindu religion. Shri Farooq Abdullah is sitting here. He comes to Maharashtra 100 times. He comes to temples with all of us. He has gone to Shri Nishikant Dubey's temple in his constituency. He has been there. So, we all go with this. So how does it matter? Why are we dividing India?

Today a lot of people have talked about Lohia Ji so much. I was a little amused because so many people talked about Lohia Ji. If I remember, I think Deen Dayal Upadhyay Ji in the 1960s lost an election and Lohia Ji did not help him win the election. Lohia Ji had very strong views about Jan Sangh at one time. I quote Pandit Deen Dayal Upadhyay Ji's political diary, 30th April, 1962. Glancing through Press cuttings, I came across a news item in the National Herald dated 27th

March, 1962, reporting a speech of Dr. Ram Manohar Lohia at Allahabad. In this speech, Dr. Lohia, who stressed on the need of communal harmony, is further reported to have said that he would not like to enter into controversy whether Jan Sangh was the communal body or not. But he was sure that Jan Sangh by its policies and activities was widening the gulf between the Hindus and the Muslims. That is not what India is all about and I think that is the change we need to bring in.

The 21st Century is an era of digital India. This is not a debate what digital India is about. So, I would just like to end with one quick quote, which I say with heavy heart, from Rousseau from The Social Contract:

"Every man having been born free and master of himself, no one else may under any pretext whatever subject him without his consent. To assert that the son of a slave is born a slave is to assert that he is not born a man."

Thank you, Madam.

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): महोदया, आप एक मिनट के लिए मेरी बात सुनिए।...(व्यवधान) इन्होंने अपने भाषण में तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों का नाम लिया है।...(व्यवधान) वह बात रिकॉर्ड में नहीं जा सकती।...(व्यवधान) जो लोग यहाँ उपस्थित नहीं हैं, उनके बारे में नहीं बोल सकते हैं।...(व्यवधान) HON. SPEAKER: Shri Pralhad Joshi.

... (Interruptions)

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Thank you very much, Madam. Today we are discussing about the mob lynching in the country and the reported incidents of atrocities.

Shri Kharge ji, the senior most leader of the Congress Party and the nation, has initiated this discussion. Though I have a lot of regard and respect for him, he has conveniently forgotten as to what is happening in Karnataka and whatever has happened earlier also. जो कुछ भी पहले हुआ है, उसका भी उन्होंने जिक्र नहीं किया है।

Madam, there were 1194 incidents of communal violence from 1950 to 1995 in the entire country. ... (*Interruptions*) Out of 1194 incidents, 72 per cent incidents had taken place during Nehru, Indira and Rajiv periods. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात कीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

SHRI PRALHAD JOSHI: In these incidents, 7052 people had been killed. They were all mob lynching only. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, बैठ जाइए। अब बीच में कोई मत बोलिएगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अगर एक-दूसरे की बात काटनी ही है तो सेन्ट्रल हॉल में जाकर ऐसा कीजिए। यहाँ डिस्टर्ब मत कीजिए। आप बैठिए।

...(व्यवधान)

SHRI PRALHAD JOSHI: As far as Karnataka is concerned, during the last four years of... *... (*Interruptions*) Government, a total of 12 people have been killed. ... (*Interruptions*)

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): ये तीन साल की बात कर रहे हैं या 50 साल पहले की बात कर रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह कोई तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। किसी व्यक्ति की गवर्नमेंट नहीं होती है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

... (Interruptions)

SHRI PRALHAD JOSHI: I correct it, Madam. In last four years, during the present Chief Minister's rule, 12 people have been killed. ... (*Interruptions*) Madam, *... (*Interruptions*) is the *masiha* of so called minorities. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, no. The name will not go on record.

... (*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI: Madam, I withdraw the name. I am sorry.

माननीय अध्यक्ष: अब क्या विदड्रा करते हैं, यह तो हो गया, मगर नाम लेते क्यों हो?

... (*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI: When the Chief Minister of Karnataka recently visited Mangalore, in Nalin Kumar Kateel's constituency, Sarath Madivalawas, who was the lone bread earner of his family, was killed in the broad daylight. डेलाइट मर्डर हो गया, जब मुख्यमंत्री उधर गये, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हम सब पर एक्शन लेते हैं, सब पर नहीं, वे बोलते हैं हम एक्शन लेते हैं, वह हिन्दू हो, फिर पोज देते हैं, हिन्दू हो....., बाद में मुसलमान हो, इतना भी वे बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। 'Whether it is Muslim or Hindu', that should have been

-

^{*} Not recorded

his words. But he never said it. He said, 'only Hindus and other religions also'.... (*Interruptions*)

Madam, let them have a look at the clippings. Whatever he has spoken, the clippings are available. ... (*Interruptions*)

17.00 hours

He also said 'people who are working for the Hindu organisations, उनकी हम बिल चढ़ा देंगे।' These are the words of hon. Chief Minister. क्या इस देश में हिन्दू ऑर्गनाइज़ेशन में काम करना गलत है? During the tenure of the present Government, Mr. Vishwanath, 32, on February 19, 2015 was hacked to death by a group of Popular Front of India activists. What is Popular Front of India? जो पहले सिमी कहकर बोलते थे, वहीं पॉपुलर फ्रंट हो गया। In Shivmogga, they openly killed him. Prashant Poojary, an activist of Rashtriya Swayamsewak Sangh in Moodbidri was killed on October 9, 2015. He was a flower seller. He was the only bread-earner. What I am trying to draw the attention of Shri Kharge to is that all the ten people out of twelve, who have been murdered during the tenure of the present Government, are either OBC or SC. Shri Prashant Poojary was killed on October, 9, 2015 in broad day light. What was his mistake? He was against the illegal slaughter house which was running just near his place. On November 10, 2015, Mr. Kuttappa को पत्थर डालकर मारा गया।

Shri Raju Kyathemaranahalli, 37, who happened to be a BJP leader, was brutally hacked to death. Shri Raju was standing near a tea stall at Udayagiri Extension which is Mr. Pratap Simha's constituency. He was killed during day light. Even during his cremation, there was violence by the so-called PDF activists. Mr. Praveen Poojary was killed in the midnight of August 14, 2016 in Coorg District of Mr. Pratap Simha's constituency. Shri Rudresh was an RSS worker. After the completion of RSS regular activity, he was murdered in broad day light on October 16, 2016 at Shivajinagar. Since he was wearing RSS ganvesh, he was killed. Shri Magali Ravi, a BJP youth leader, was killed on

November 5, 2016 near Piriyapattana, Mysore. Shri Yogesh Gowda, who was a Zila Panchayat member in my constituency, was killed. Srinivas Prasad, who used to be popularly called as Kithganahalli Vasu, was killed in his house in March, 2016 in Anekal, Bengaluru. He was another noted functionary of BJP. Shri Harish Pennur, 40, a BJP youth leader, was hacked to death on the outskirts of Bengaluru on June 1, 2017. He was killed after he was made the Vice-President of SC/ST Morcha of the party. Shri Bandi Ramesh, a local BJP leader, was killed in Bellary. Sharath Madiwala was killed about whom I was speaking just a while ago. Even after lapse of one month after his murder, not even a single arrest has been made.

The most important point to which I want to draw the attention of the House is the incident which took place in Bijapur. यह खड़गे जी को सुनना चाहिए। I wish he would listen very carefully about this incident. In Sindagi Taluk of Bijapur, Shrimati Banu was killed while she was pregnant. Madam, do you know what the incident was? The incident was that she got married to a *dalit* boy. They went to Goa. The boy did not come back. His parents were caught, tied to a tree and beaten like anything. That mob forced the father to make a telephone call to his son, who was in Goa, and ask both of them to come back. It was stated that: "come to the girl's house and we are all ready to arrange your marriage". ... (*Interruptions*) He came back, and when he came back they tried to convince him. ... (*Interruptions*)

SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA (TUMKUR): Madam, he is misleading the House. ... (*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI: Madam, he came back with his wife after six months. ... (Interruptions) What happened at that time? ... (Interruptions) The house was attacked. ... (Interruptions) Somehow, the boy tried to go to the Police Station. ... (Interruptions) In the meanwhile, the pregnant Muslim girl who got married to the dalit boy was burnt alive along with her house. ... (Interruptions) There was no arrest. ... (Interruptions) So far, no proper action is taken. ... (Interruptions) Shri Kharge, you please tell whether your Minister वे बीजापुर के मंत्री हैं, at least, he should

have gone there. ... (*Interruptions*) Except the local Bharatiya Janata Party MLA, nobody visited that *dalit*'s house. ... (*Interruptions*) They speak that they are the champions of the *dalit*. ... (*Interruptions*)

Madam, you just imagine कि अगर यह वाइस-वरसा होता तो क्या होतां अगर एक हिन्दू लड़की की मुस्लिम से शादी होती और अगर हिन्दू लोग जाकर उसे मारते तो क्या होता, यह आप कृपया सोचिए। I really pity the media also. This Bijapur incident was not even properly shown. She was killed in daylight. उनके पूरे घर को जला दिया and that pregnant lady was burnt alive. This is the situation. ... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Please conclude now.

... (Interruptions)

SHRI PRALHAD JOSHI: I would like to tell as to what is happening in Kerala. ... (*Interruptions*) Shri Kharge, I was really expecting that you ... (*Interruptions*) खड़गे जी, आप सुनिए।...(व्यवधान) मैं आपके यहां के बारे में बोल रहा हूं।...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Madam, if this happened in Bijapur, then the MP from that place should have gone there. ... (*Interruptions*) You should ask him to go. ... (*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI: In the present Communalist-led Government, 21 people have been killed. ... (*Interruptions*) Shri Kharge, I have said that your Minister should have gone there. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please conclude now.

... (*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI: In Kerala, a total of 17 people have been killed in the present situation. ... (*Interruptions*) From 2010-2016, a total of 69 political murders have taken place. ... (*Interruptions*) Madam, in the present tenure, 21 people have been killed. ... (*Interruptions*) Mr. Dhruvanarayan, please understand that you do not have the courage to speak against two of the Congress Party workers क्योंकि आप बाहर में लड़ते हैं। बाहर में कुश्ती, इधर दोस्ती - आपकी यह प्रॉब्लम हो गयी है। ... (व्यवधान)

कल-परसों मर्डर हुआ Shri Rajesh Edavakode, aged 29 years, his palm was chopped off and then he was killed. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please conclude now.

... (*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI: Madam, I am going to conclude. ... (*Interruptions*)

SHRI M.I. SHANAVAS (WAYANAD): How many ...* have killed? ... (Interruptions)

SHRI PRALHAD JOSHI: After the 17 murders, what happened to Prof. Joseph whose hands were chopped off by the so-called Communist ... *? ... (*Interruptions*) No action was taken by the then Congress-led Government also.

सौगत राय जी बहुत बातें कर रहे थे। मैं सौगत राय जी को बता रहा हूं कि वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है। सौगत राय जी, आप आ गए, बहुत अच्छा हो गया।...(व्यवधान) In West Bengal, there was an attack on BJP MP, Shri George Baker. He is a nominated MP. How Ms. Rupa Ganguly was treated and beaten up? वेस्ट बंगाल भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में क्या किया?..(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): क्या बी.जे.पी. का कोई आदमी उधर मरा?...(व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): क्या आप मारना चाहते हैं?...(व्यवधान) What are you speaking? ... (*Interruptions*) Do you want to kill? ... (*Interruptions*)

श्री प्रहलाद जोशी: बी.जे.पी. के आदमी के साथ क्या-क्या किया है वेस्ट बंगाल में, shall I tell you about it? ... (Interruptions) वेस्ट बंगाल का एक आंकड़ा मैं आपको बता दूं।...(व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY: No, we do not want to kill. ... (Interruptions)

SHRI PRALHAD JOSHI: Then, you want to kill? ... (*Interruptions*) What are you talking? ... (*Interruptions*) If nobody is killed, then it means that you have attacked the Bharatiya Janata Party office. ... (*Interruptions*) In West Bengal, on January 10th, the West Bengal State BJP Secretary, Shri Rahul Sinha, was attacked by the Trinamool Congress workers. ... (*Interruptions*)

-

^{*} Not recorded

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस.अहलुवालिया): ...(व्यवधान) मैडम, पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेकर यह कहना कि उसका आदमी मर गया है क्या?...(व्यवधान) क्या जो दूसरे लोग मर रहे हैं, वे भारतवासी नहीं हैं, क्या वे बंगाल के लोग नहीं हैं, जिनको सरेआम मारा जा रहा है? ...(व्यवधान) चाहे दार्जिलिंग हो, चाहे बशीरहाट हो, जिन निहत्थे लोगों को मारा जा रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन हैं?...(व्यवधान) उसके लिए पश्चिम बंगाल की सरकार जिम्मेदार है।...(व्यवधान) आप लोग यहां पर उसकी वकालत कर रहे हैं।...(व्यवधान) इनको पहले बताये, ऐसा पूछना कि बी.जे.पी. का आदमी मरा है क्या?...(व्यवधान) बी.जे.पी. को छोड़कर जो दूसरे आदमी हैं, क्या वे भारतीय नागरिक नहीं हैं?...(व्यवधान) क्या उनको जीने का अधिकार नहीं हैं?...(व्यवधान) क्या आप सब को मारेंगे?...(व्यवधान) आपने वहां पर क्या बचा कर रखा है?...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष: श्री प्रहलाद जोशी जी, आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आप लोग एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप न करें।

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Joshi, please conclude now.

... (Interruptions)

SHRI PRALHAD JOSHI: What happened in West Bengal? Let him understand. He wanted to know as to how many from BJP have died. Does he want BJP people should die there? What is he talking? He should give explanation to the country, not to me or to you, Madam. Communist regimes across the world killed 100 million people. Buddadeb Bhattacharya *ji*, while replying in the State Assembly, when he was Chief Minister, said that from 1977 to 1996 when the Communist Party ruled the State – let Mohd. Salim listen to this – a total of 28,000 political murders had taken place in West Bengal. ... (*Interruptions*) नहीं, नहीं आप उनको बताइए, आप उनके साथ बैठे हुए हैं।...(व्यवधान) आप उनको बताइए।...(व्यवधान) आप पूछ रहे हैं न, आपने क्या पूछा?...(व्यवधान) आप क्या मुस्लिम मुक्त भारत कर रहे हैं?...(व्यवधान) आपको क्या हो गया है?...(व्यवधान) श्री मोदी जी के आने के बाद इनके खिलाफ बोलने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है।...(व्यवधान)

Who was supporting the UPA Government? During that regime, day after day we witnessed scams. Here, in our Government, nothing is happening. आप लोग

मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।...(व्यवधान)लेकिन ऐसा नहीं होगा।...(व्यवधान) Whether one is a Hindu, a Muslim or Christian, the BJP treats them as Indians but these people try to support traitors. I am not naming anybody. मैं अभिमान से यह कह सकता हूं कि हम मुस्लिम मुक्त भी नहीं करते हैं।...(व्यवधान) जो भारत देश है, इसका ट्रेडिशन है, सेकुलर हमारे ब्लड में है।...(व्यवधान) सेकुलर इनके कारण से नहीं है।...(व्यवधान) Secularism is in the blood of the people. मैं यह बता कर अपनी बात समाप्त करता हूं कि हम मुस्लिम मुक्त भी करते हैं, हिन्दु मुक्त भी करते हैं, लेकिन हम देशद्रोही मुक्त भारत जरूर खड़ा कर देंगे।...(व्यवधान) यह हमारा वादा है और आप जो कुछ भी देशद्रोही काम कर रहे हैं...(व्यवधान) उसके लिए हम जरूर सबक सिखाएंगे।...(व्यवधान) हम हिन्दू तथा मुस्लिम में भेदभाव नहीं करेंगे।...(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका): माननीय अध्यक्ष महोदया जी, देश के सामने बहुत गंभीर समस्या है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब कोई नया प्वाइंट हो तो बोलिए, उसी आरोप-प्रत्यारोप में पूरा समय चला जाएगा। आप बोलिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बोलते जाइए, अभी ऐसा ही चलेगा।

...(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: अध्यक्ष महोदया, देश की सबसे बड़ी पंचायत में, इस मंदिर में एक अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। इसे संसद ने गंभीरता से लिया है। आपने मुझे इस विषय पर बोलने का आदेश दिया है। हम सबों को सुनते रहे हैं और अन्य लोगों की बात को भी सुनेंगे। इस बारे में सरकार के जवाब को भी सुनेंगे, लेकिन यह मुल्क किसका है? यह हम सबका है, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में भाई-भाई। यह देश किसका है?राम-रहीम के बंदों का है। ईश्वर, अल्ला तेरो नाम, सबको सन्मित दे भगवान। इसका यह देश है, लेकिन इस देश में वातावरण को बिगाड़ा जा रहा है। हम बड़ा आदर करते हैं आदरणीय हुक्मदेव बाबू का। हम लोग रांइती में उनका झंडा लेकर भी चलते थे। आज जो आदरणीय हुक्मदेव बाबू का भाषण हुआ, यह लोहियावादी का भाषण नहीं था। ...(व्यवधान) डॉ. राममनोहर लोहिया की आत्मा रोती होगी। यह भाषण मनुवादी शक्तियों का था और नागपुर वाली शक्तियों का भाषण था, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह गजब का ...(व्यवधान) आज देश की प्रतिष्ठा गिरी है। ...(व्यवधान) देश शर्मसार हुआ है, क्यों हुआ है? ...(व्यवधान) आज गांधी कहां हैं? आज गांधी चाहिए, आज लोक नायक जय प्रकाश नारायण चाहिए, आज जवाहर लाल नेहरू चाहिए, आज बंह. राम मनोहर लोहिया चाहिए। ...(व्यवधान) आज उनको आना चाहिए। ...(व्यवधान) वे आत्मा आज कहां हैं? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी ओर देख कर ही बात रखूंगा। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: वही ज्यादा अच्छा होगा।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: इसलिए कितने अंधड़ आए, कितने तूफान आए, आपका रथ किसने रोका था? देश का एक बेटा, नाम है लालू प्रसाद ने रोक कर देश में सेक्युलर के झंडे को ऊंचा किया था। ...(व्यवधान) मत भूलिये। सीतामढ़ी का दंगा हो रहा था। ...(व्यवधान) एक सीएम लालू जी थे, जिन्होंने अकेले हेलीकॉप्टर से उतर कर दंगे को रोका। ...(व्यवधान) याद कीजिए। ...(व्यवधान)

महोदया, मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। ...(व्यवधान) जो इन्सान और जानवर में अन्तर नहीं करता है, उसमें इन्सानियत नहीं है, उसमें कहीं न कहीं जल्लाद की आत्मा प्रवेश कर जाती है।

...(व्यवधान) यह हमें समझना है। हम तो कृष्णवंशी हैं। ...(व्यवधान) हम तो यादव कुल में पैदा हुए हैं। ...(व्यवधान) हमें कोई गाय पालन सिखायेगा। ...(व्यवधान) नहीं, नहीं, गौपालन नहीं सिखा पायेंगे। ...(व्यवधान) हम तो गोवर्धन पर्वत को भी उठाए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, हम दो-तीन मिनट का समय विनती करके आपसे मांगते हैं। ...(व्यवधान) हम तो गोवर्धन पर्वत को भी उठाए। ...(व्यवधान) हम लड़ते रहे। मां और गाय को आप कहते हैं, लेकिन जानना चाहते हैं कि शादी के वक्त में, श्राद्ध के वक्त अगर कोई मनुवादी को बूढ़ी गाय दे दे, तो वे गाय लेने का काम करेंगे। नहीं, वही अश्विनी चौबे हैं, क्या बूढ़ी गाय को श्राद्ध में रखेंगे, नहीं रखने का काम करेंगे। ...(व्यवधान) ये मनुवादी हैं। ...(व्यवधान) इसीलिए आज अखलाख का सवाल है, आज मंजुल अंसारी का सवाल है, आज पहलू खां का सवाल है, जुबैद का सवाल है। न हिंदू, न मुस्लिम ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदया, दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष: नो दो मिनट, एक वाक्य में।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, हम सब एक हैं। लेकिन न हम हिंदू धर्म को छोड़ेंगे, न मुस्लिम का साथ छोड़ेंगे, न सिख को छोड़ेंगे, न ईसाई को छोड़ेंगे।

माननीय अध्यक्ष: मोहम्मद असरारुल हक़, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : ...(व्यवधान) बनाकर छोड़ेंगे संघ मुक्त भारत को ...(व्यवधान) देश को बचाना है तो भाजपा को भगाना है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बोलिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

...(Interruptions)... *

^{*} Not recorded.

श्री मोहम्मद असरारुल हक़ (किशनगंज): मोहतरमा स्पीकर साहिबा, आपने मुझे मॉब लिंचिंग जैसे अहम टॉपिक पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इज्ज़त मआब, मैं आपके माध्यम से वजीरे आजम मोदी जी की खिद्मत में शुरू में यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे चौथे खलीफा हजरत-ए-अली ने एक बात कही थी कि इस कायनात को पैदा करने वाले की नाफरमानी करने वाली हुकूमत चल सकती है, लेकिन जुल्म सितम पर आंख बंद करने वाली हुकूमत नहीं चल सकती है।

इज्जत मआब हमारे वजीरे आजम बार बार यह दावा करते रहे हैं कि वह 125 करोड़ हिन्दुस्तानियों के वजीरे आजम हैं। उनके सीने में 125 करोड़ हिन्दुस्तानियों का दर्द है, मगर उनके कौलव फेल में तजाद नजर आता है उनकी कहनी और करनी में फर्क महसूस होता है। आज पूरे मुल्क में दलितों, मुसलमानों और आदिवासियों और कमजोर तबको को तशदुद व कत्लो गारतगरी का निशाना बनाया जा रहा है। हर तरफ समाज दुश्मन अनासिर और तखरीबकारों के हौसले बुलंद हैं। वह यह मानकर चल रहे हैं कि वह जिसे चाहे जदोकोब करें, जिसे चाहें मार डाले उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वह खुलेआम मुल्क के आइन और आइनी अकदार की धज्जियां उड़ा रहे हैं, यहां की जम्हूरियत और जम्हूरीकर्दों को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। मुशतईल हुजुम और विहंगम भीड़ कानून को अपने हाथ में लिए हुए अमादेरे कत्ले और गारत गड़ी है। अखलाख से लेकर जुनैद तक दर्जनों बेकसुरों को खूनी हुजूम के जरिए पीट पीट कर कत्ल किया जा चुका है और यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुल्कद अदमे तहम्मुल और सख्त गिरी की तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा है, ताअरसुब गहराता जा रहा है और आइने हिन्द की कसम खाने वाली मोदी सरकार मंजरे आम से गायब है, वह न सिर्फ खामोश तमाशाई बनी हुई है बल्कि वह बेबस नजर आ रही है, इज्जत मआब मुल्क में जारी बेगुनाहों की मारपीट और खुरेंजी पर अपनी साख की खातिर हमारे वजीरे आज़म कभी कुछ मुभम और गैर वाज़हे बयान देकर अपनी आइनी जिम्मेदारी रस्मी तौर पर निभा देते हैं। जिसमें नेक नीयती का शदीद फुकदान नजर आता है। खुद उनके काबिना के वजीर कभी-कभी अपने आइने हल्फबरदारी का भी पास न रखते हुए ऐसे इश्तेआल एंगेज और गैर-जिम्मेदाराना बयानत देते हैं जिनसे शरपसंद अनासीर के हौसले मजीद बुलंद हो जाते हैं।

वजीरे आजम की जिम्मेदारी सिर्फ बयान देने की नहीं बल्कि उनकी असल जिम्मेदारी समाज के दुश्मन अनासीर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की है। वजीरे आजम की हैसियत से एक तरफ अगर वह रिसायती हुकूमतो को हिदायत देते कि गाय के नाम पर बेगुनाह इंसानों को मारधार करने वालों को सख्त सजा दी जाए और दूसरी तरफ बीजेपी के असरदार लीडर होने की हैसियत से शरपसंद अफराद और झूठे गौरक्षकों को वार्निंग देते और उन्हें अपनी सरगर्मियां रोकने का हुक्म देते तो शायद इतनी कत्ले गारत नहीं होती। गौरक्षा के नाम से खूनी हुजूम के जरिए मारपीट और कत्ल के वाकयात पर मोदी सरकार के अब तक के तरजे अमल से जाहिर होता है कि वह उन्हें नजरअंदाज कर रही है, उसे बस लॉ एंड आर्डर के मसले

के तौर पर देख रही है जबिक हकीकत यह है कि यह वाकयात उस इंतहा पसंदना जहनीयत का नतीजा है जो न सिर्फ मुल्क की हमांगी आएनी बरतरी के लिए भी सख्त नुकसानदह साबित होंगे। इज्जत मआब आज मुल्क के मौजूदा हालात में ऐसे लोग जिनके सर पर टोपी है और जिनके चेहरे पर दाढ़ी है कहीं निकलते हुए घबराते हैं, आज बुर्का वाली माँ बहनें बाहर निकलते हुए डर जाती हैं, ट्रेनों और बसों में शरपसंद चढ़ते हैं और टोपी और बुर्के वाली पर जुमले कसते हैं, अगर कोई जवाब दे दें तो उस पर टूट पड़ते हैं। अपने ही मुल्क के अंदर और अपने ही शहरियों के साथ यह कैसा सलूक हो रहा है। ऐसा महसूस होता है कि मुल्क में कानूवा इंतजाम और इंसाफ वो खादारी और अमनो ऐहतराम जैसी कोई चीज नहीं बाकी रह गई है।

में आपके माध्यम से वजीरे आजम से मुतालबा कर रहा हूं कि आप इस खौफनाक सुरतेहाल को तब्दील करने के लिए मजबूत और मौअसीर कदम उठाइए। इस अजीम मुल्क को दुनिया में बदनाम नहीं होने दीजिए, इस मुल्क की गंगा यमुना तहजीब को तबाही से बचा लीजिए, यहां की खादारी और भाइचारा और बकाऐ बाहमी के कदीम खायत को तबाह करने वाले अनासीर को कानून के शिंकजे में लाइए और वर्ष 2014 से 2017 तक खुनी हुजूम के जरिए कत्लो गारत के जितने भी वाकयात हुए हैं उनमें मुजरिम के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, हाऊस के फ्लोर पर बताइए। इज्जत मआब, मैं मुल्क के तमाम शहरी जिनका सेक्युलरिज्म और जम्हुरियत पर यकीन है, जो हिन्दुस्तान की आइन से गहरी अकीदत रखते हैं, आजादी इंसाफ और मसवाद के अलंबरदार हैं वह मुल्क में अमन और इंतजाम की मौजूदा बिगड़ी हुई सुरतेहाल से सख्त बेचैन और रंजीदा है, उनको यह दुख सता रहा है कि गांधी का हिन्दुस्तान आखिर किस रास्ते पर जा रहा है क्या इसी हिन्दुस्तान का ख्वाब आजादी के मतवालों ने देखा था, हिन्दुस्तान की आजादी की जदोजेह्द में मुल्क के सभी तबकात ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था लेकिन मुसलमानों ने जिस जोश और जज्बात के साथ आजादी की लड़ाई लड़ी उसकी मिसाल नहीं मिलती। आज आजाद हिन्दुस्तान में दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों और कमजोर लोगों पर अर्से हयात तंग किया जा रहा है इस अफसोसनाक स्रतेहाल से मुल्क के सभी इंसाफ पसंद आवाम बेहद दुखी और सख्त नाला है। बिला शुबा मुल्क का जमीर अभी जिंदा है मोहब्बत को नफरत पर आज भी गलबा हासिल है और यह बात डंके की चोट पर कही जा सकती है कि घनी रात हो नफरतों की भी जीत की मोहब्बत के जुगनु चमकते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री भगवंत मान (संगरूर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बहुत ही संवेदनशील विषय पर बोलने का मौका दिया। यहां जो बहस दोनों पक्षों की तरफ से चल रही है, मैं सुन रहा था। जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार है, उन सूबों में कत्ल हुए हैं या मॉब लिंचिंग हुई है, उसकी सूची जारी कर दी गई, उधर से कर्नाटक, केरल, बंगाल जहां विपक्ष की सरकारें हैं, सूची जारी कर दी गई। असलियत में, केरल, कर्नाटक, दार्जिलिंग कहीं भी हो, इंसान की हत्या हुई है। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में लिखा है-

अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे।

जब भीड़ हिंसक होती है तो अल्पसंख्यक ज्यादा शिकार क्यों होते हैं? दलित, कमजोर वर्ग ही शिकार क्यों होता है? इसका मतलब है कि उस भीड़ का मास्टर माइंड कहीं और बैठा होता है। उस भीड़ का राजनीतिकरण हो चुका होता है।

पुलिस का राजनीतिकरण इस मामले में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आज छोटी-छोटी बातों के लिए धरना देना पड़ता है, सरकारी दफ्तरों का घेराव करना पड़ता है। अभी भी जंतर मंतर पर चले जाइए, हजारों लोग बैठे हैं। यहां तक कि अपने प्रियजनों की लाशों को सड़कों पर रख देते हैं कि अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक केस दर्ज नहीं होगा। केस क्यों नहीं दर्ज होता, क्योंकि पुलिस अपने राजनीतिक आकाओं की हां या न की अनुमित की इंतजार करती है, फिर कहीं जाकर प्रशासनिक या पुलिस अधिकारी आता है और केस दर्ज होता है। अगर पहले कानून अपना रास्ता अख्तियार करता तो उस भीड़ को इकट्ठा होने की जरूरत ही न पड़ती। जब भी कोई शांतिपूर्वक भीड़ धरना देती है, जैसे पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के समय बहवलकलां में हुआ था, कीर्तन करती हुई भीड़ पर गोलियां चला दी गई और एफआईआर में लिखा कि अनआइडेंटिफाइड पुलिस मैन। पुलिस को तो हर गोली का हिसाब देना पड़ता है, सब पता होता है कि कौन थे। इस तरह की बातें होती हैं।

मैं कहूंगा कि नेताओं के उकसाने वाले बयान भीड़ को उकसाते हैं। बड़े नेताओं के छोटे बयान आते हैं, बहुत बड़े कत्ल हुए हैं, दंगें हुए हैं।

> अल्लाह वालो, राम वालो अपने मज़हब को सियासत से बचा लो। एक ही रहने दो शहीदों का तिरंगा झंडा, हर रोज नए झंडे में डंडा फंसाने वालो।

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुवरी): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस मौके पर बोलने का मौका दिया। इस्लाम में सिखाया गया है, अल्लाह ताला कहता है कि सारी दुनिया, एक कीड़ा-मकौड़ा और एक इंसान मेरी फैमिली के लोग हैं, सारे मेरे बच्चे हैं, इनके साथ जो भी अच्छाई करेगा, वह मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। यह इतना जबरदस्त इश्यू है, मुझे पूरा यकीन है कि हमारे इन भाइयों में से कोई भी इस मॉब लिंचिंग में शरीक नहीं है और न ही ये दिल से चाहते हैं कि मॉब लिंचिंग हो। आज हम देख रहे हैं, अफसोस की बात है कि डिबेट ने ऐसा बना दिया कि जैसे मॉब लिंचिंग यही करा रहे हैं। हमारा दिल नहीं मानता। आज का माहौल पेश कर रहा है कि ये करा रहे हैं और ये पार्लियामेंट में सपोर्ट भी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह कहता है कि अल्लाह के घर को तोड़कर टुकड़े-टुकड़े कर दो, यह अल्लाह को पसंद है लेकिन किसी इंसान का दिल मत दुखाओ। कोई हिंदू-मुस्लिम नहीं कहता है, सारे उसके बंदे हैं। जहां भी इस किरम की घटनाएं हो रही हैं, बार-बार नाम रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, मैं अपने भाइयों से कहूंगा, इंसाफ और न्याय का दारोमदार आपके कपर है।

प्राइम मिनिस्टर जी कह चुके हैं और वे बार-बार कह रहे हैं कि इन हमलों को देखने का काम स्टेट का है। उन्होंने स्टेट के लिए जितने सख्त अल्फाज़ कहने थे, वे कह दिये। लेकिन उन स्टेट्स में आप लोग बैठे हैं और सब मिनिस्ट्रीज आपकी हैं। इसलिए आप जोर दें, ताकि लोगों में इंसाफ का नाम फैले। मोदी जी जो करना चाहते हैं, जो मुंह से कह रहे हैं, वह इंसाफ की बात दुनिया तक पहुंचे। यह आपकी जिम्मेदारी है।

अध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि इस किरम के सेंसिटिव इश्यू पर दोनों तरफ से खींचातानी अच्छी नहीं लगती। इससे मुल्क में अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। हमें मुल्क में एक अच्छा मैसेज देना चाहिए, क्योंकि हम जन-प्रतिनिधि हैं। आप अल्लाह, ईश्वर, भगवान आदि जो भी नाम लीजिए, लेकिन ऊपर एक है, जो सबको देख रहा है।

हम लाये हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना, मेरे बच्चों संभाल के। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हं।

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY (MALAPPURAM): Hon. Speaker Madam, I am very happy to speak in this House and I thank you for allowing me. I have spent so many years in the State Assembly and held various portfolios. I won the recent bye-election from Malappuram and I got more than five lakh votes from various sections of society.

It is a sad thing that we have to talk about mob lynching in this century when we should have been discussing on development, Digital India etc. Our Prime Minister talks a lot about Digital India and he travels around the globe. Suppose he goes somewhere and somebody asks him, "You are saying many things about Digital India, the 21st century and India becoming superpower but is it not a fact that mob lynching is very usual in your country?" What answer will the Prime Minister have? It is a very sad thing that mob lynching is happening in our country after 70 years of freedom. What is this discussion about? This whole discussion is about the fundamental principles that we should uphold. We have to remind ourselves the fundamental principle of secularism, the principle laid down in the Constitution of India. Mob lynching is a threat that has emerged against the values that we have always cherished.

We should look at the reasons behind cases of mob lynching. So many hon. Members have mentioned so many reasons. It is all being encouraged by the speeches made by organizations associated with the ruling party. You should examine that. We hear that from some corners, it is justified by citing other incidents. Murders are taking place in many States of the country. A section of the people, the minorities, the dalits are being targeted. So, they are feeling insecure. It has never happened in our country before. There have been Governments of Congress, the UPA and even the BJP earlier. But such a thing was not as widespread or as usual as it is now. It can happen anywhere. Some people get together and if they so wish, they target some innocent person and kill him; they do whatever they want. I do not know whether it is a right thing to mention some nation but these kinds of things which take place in some African countries should

not happen in our country. That should not happen in our country. That is very important; it is not a simple thing.

Hon. Members cited many instances of murders in some States. They may be there but mob lynching is different. A section of the people feels very insecure. That has become a real social problem now. Look at who are all the victims. Who is Mohammad Akhlaq? He is the father of a soldier. He is an engineer and he is well educated. He is in the Air Force. He is not a small person but he lost his father. His father was targeted. How will he feel? How will we feel? We should be proud of a soldier who defends our country in the forefront but his father was killed in a mob lynching incident. That was the Mohammad Akhlaq story.

The name of Junaid was mentioned by everybody. I do not want to prolong on that. He was a teenage boy. What was the incident? It was not an argument for a seat in a train. Everybody knows it but they are trying to make it like that for justifying the killing of a teenage boy. I have heard some hon. Members saying it was an argument for a seat which led to the incident. It is not true. When some of us from various political parties had gone there, his father and relatives came to see us. All of us know the incident. He was targeted just because of his attire, what he was wearing, his beard, and his cap. What was told to him? Everybody knows it. I do not want to repeat that in this august House. That is not a good thing for any one of us to hear. It has happened in a train. What will the tourists, especially the foreign tourists say about our country? They will say, 'If we go to that country, there is every possibility that when you travel, people may surround you and kill you for some reason.' That is not good for the country. It is not the way we take the country to the 21st century.

I now come to what happened in Una. ... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Do not quote every case. You have to conclude.

... (Interruptions)

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY: I am not going into the details. I am saying this for a different reason. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You do not have that much time.

... (Interruptions)

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY: Traditionally, they were in the job of skinning animals. Can we suggest something else for these people for their livelihood? As Shri Tathagat Satpathy said today when we bring reforms we should also think about how there can be a livelihood for the affected people. Here, the skinning of dead animals is the profession traditionally carried on. But one morning, you come out with a law notifying that such a thing should not be done from tomorrow onwards. In my opinion, these Thuglaq-like reforms are not at all correct. We had the demonetisation; and again this notification. You have never thought about the implications of these notifications. This has a widespread implication. It will affect your agriculture; it will affect your industry; it will affect your exports. Agriculture, exports, meat trade, jobs, and everything will be affected in that way. It has widespread implications. It is going to tell upon the economy of the country. Tomorrow we will definitely come to know that.

I am concluding, Madam. Today we know how demonetisation has affected us. All the parliamentary Committee Reports have come now. It was not a good step. It has seriously started affecting us. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Prof. Richard Hay. You also have not more than two minutes to speak.

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY: I am concluding, Madam.

HON. SPEAKER: No, you are not concluding. I have now called another Member.

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY: This notification will also affect us seriously. Something has to be done.... (*Interruptions*)

PROF. RICHARD HAY (NOMINATED): Hon. Speaker, Madam, the word 'lynch' means, a group of people kill others without legal trial. In fact it occurred on a massive scale during the partition of the country. Horror of that lynching savagely appears in our minds. Who was responsible for the partition of Bharat and lynching of millions, everyone knows. I remember distinctly how thousands of minority brethren, the Sikhs were lynched mercilessly by the agents of the then Government in power under a progrom. Indeed, now minorities are safe under the courageous leadership of Modi ji, the messiah of peace and prosperity.

Madam, mob lynching is even now taking place in my own home State Kerala. Day before yesterday in my home State, Kerala there was an attempt on the life of the BJP State President and later Shri Rajesh, a *Swayam Sewak*, was brutally lynched in the streets of the Capital city of Kerala in Thiruvananthapuram. Hon. Members are only speaking about cow vigilantism. Why not they apply their minds on sporadic violence and lynching occurring continuously in Kerala? We want peace in Kerala. Lynching people in the name of Party and politics has to be condemned.

We noticed the Governor of Kerala chiding against the hon. Chief Minister of Kerala for his negligence in maintaining law and order. In the name of ideology, hatred is unleashed in Kerala. Democracy is in peril. In 17 months 17 people were killed. If another Member of another Party propagates his Party's ideals, he is being lynched. In toto, 275 *Swayam Sewaks* were lynched in the last few decades in Kerala. It is a frightening state for women, dalits and the weak. Let us debate this worrying trend in crime against women and the weak too. Let us all join in restoring peace in Kerala.

Since cow slaughter is involved in the discussion, may I bring to the attention of this august House Article 48? I will not quote the whole Article but only mention the last part of it, which says:

"In particular, to take steps for preserving and improving the breeds and prohibiting slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle."

In the chapter on Fundamental Duties also, it is stated that we should show compassion to all creatures. But let me, Madam, tell you the fact. What is happening in Kerala?

In Kerala, I have seen cows slaughtered in the most unhygienic conditions and in the most cruel methods. The poor cow is slaughtered brutally, killed by mercilessly hammering on its head in front of the other cows kept to be slaughtered. It dies after suffering huge amount of pain. Does the country not have a conscience when some people mercilessly act against the very spirit of the Constitution?... (*Interruptions*) Where has the cardinal values of compassion and empathy slipped through?

Madam, I will talk about one more thing and then conclude. What is the history of cow slaughter in this country? You will find that only in a few handful of States cow slaughter has not been banned. Madam, 99.38 per cent of Indians live in areas where cow slaughter is prohibited. Cow slaughter has been prohibited in 84 per cent States and Union Territories, especially this happened during the Congress regime. Please note this point.... (*Interruptions*) Cow slaughter banning, in nearly half of the States, is roughly 50 years old and was enacted during the tenure of the Congress. The country must know this fact.... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You must conclude now.

Shri Asaduddin Owaisi.

PROF. RICHARD HAY: In 77 per cent or 24 States and Union Territories that prohibit cow slaughter, the offence is cognizable and in more than half of them it is non-bailable. In Kerala, it restricts cow slaughter under the Kerala Panchayat Raj (Slaughter Houses and Meat Stalls) Rules, 1964 in rural and urban areas. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Prof. Richard Hay, please sit down. Shri Asaduddin Owaisi Ji, you will also get two minutes.

श्री असादुद्दीन ओवेसी (हेदराबाद): महोदया, आपको कहने का मौका नहीं दूंगा, मैं केवल चार मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

श्री असादुद्दीन ओवेसी: अध्यक्ष महोदया, पिछले तीन सालों में मॉब लिंचिंग के जो वाक्यात हमारे मुल्क में पेश आये हैं, उनसे हमारी आँखें खून के आंसू रोती हैं, रूह तड़पती है, जिस्म कांपता है और दिल लहुलूहान होता है। मैं आपसे वाजेह तौर पर कहना चाहता हूं कि यह वाक्यात खत्म नहीं होंगे, इसलिए खत्म नहीं होंगे क्योंकि यह सरकार रिलीजन को आइडियोलॉजी के तौर पर प्रमोट कर रही है, जो हमारे संविधान के खिलाफ है। जिस दिन यह सरकार रिलीजन को या फेथ को मानेगी, आइडियोलॉजी तौर पर ये वाक्यात खत्म नहीं होंगे।

दूसरी बात मैं यह कह रहा हूं कि यह क्यों खत्म नहीं होंगे, क्योंकि जब तक बीजेपी कल्चरल, नेशनिलज्म को मानेगी, इस मुल्क में मॉब लिंचिंग होती रहेगी, दिलत और मुसलमान मारे जाते रहेंगे।...(व्यवधान) जिस दिन बीजेपी काँस्टीट्यूशनल नेशनिलज्म को अपनायेगी, मॉब लिंचिंग खत्म हो जायेगी। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार अपनी काँस्टीट्यूशनल ड्यूटी में सरासर नाकाम साबित हुई है। यह सरकार किसी की भी जान बचाने में नाकाम साबित हुई है। इन्हीं के कर्नाटक में लोग मारे गये हैं, केरल में मारे जा रहे हैं और पूरे मुल्क में इन्हीं की रियासतों में, जहां ये इक्तेदार पर हैं, मुसलमानों और दिलतों की टार्गेटिड किलिंग हो रही है। अभी अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर नज्बुल हसन नामी शख्स, जो कि इंजीनियर है, उसे रेलवे पुलिस ने पकड़ा क्योंकि वह शख्स बुर्का पहन कर ट्रेन में जा रहा था। रेलवे पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने बुर्का क्यों पहना है, तब उसने कहा कि तीन दिन पहले मुझे लोगों ने मारा था इसिलए मैंने अपने आपको मॉब लिंचिंग से बचाने के लिए बुर्का पहना है। यह वाक्या अखबार में आया है। आप इसके लिए जिम्मेदार हैं या नहीं, यह आप बता दीजिए। क्या गौरक्षा हिंदू रिलीजन का एसेंशियल प्रैक्टिस है, जिस तरह सिखों में पांच क-कार हैं, मुसलमानों में रोजा, रमज़ान, दाढ़ी है। यह निर्णय लिया जाए कि गौरक्षा हिंदू रिलीजन का एसेंशियल पार्ट है, अगर इसे आप नहीं कर सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को दीजिए। मैं आपको सुझाव दे रहा हूं।

महोदया, मैं आखिरी बात कहने जा रहा हूं। हमारे वजीरेआजम इज्राइल गए। मुझे बहुत खुशी हुई कि वजीरेआजम ने एक यतीम बच्चे को अपने करीब बुलाया। उस पर रहम किया, उस पर दस्ते शफक रखा। मैं आपके जरिए वजीरेआजम से पूछना चाहता हूं कि जिस तरह वजीरेआजम ने मोशे नामी बच्चे को,

जिसके वालिदेन को पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने जान से मार दिया था, क्या हमारे वजीरेआजम अपने घर में अख्लाक के बेटे को बुलाएंगे, जुनेद के भाई को बुलाएंगे, अयूबखान के खानदान वालों को बुलाएंगे और कर्नाटक में आपके लोगों को मारने वालों को बुलाएंगे। उन्हें बुलाकर वजीरेआजम अपने गले से लगाएं। अगर मोशे को गले से लगा सकते हैं, तो यहां पर जिन लोगों ने उन्हें मारा, वे भी टेरेरिस्ट्स से कम नहीं हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जुनेद के वाक्य में एफआईआर में लिखा गया कि उसे क्यों चाकू मारा गया। उसमें लिखा गया कि तू गाय का मांस खाने वाला है, इसलिए चाकू मारा गया। क्या किसी को तीस दिन में बेल मिल सकती है। क्या वहां आपकी सरकार नहीं है? मैडम, किसी मर्डर केस में जमानत मिलने के लिए नव्ये दिन लगते हैं। आपकी सरकार सो रही है, आप कांस्टीट्यूशन ड्यूटी में नाकाम साबित हुए हैं। अगर वजीरेआजम वाकई में सच्चाई को मानते हैं, जबानी खर्च के कायल नहीं हैं तो मैं वजीरेआजम को कहूंगा कि आपकी शेडो आर्मी को रोकिए। मैं आपके जिरए से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की पांच हजार साल की तारीख है। में अपने हिंदू भाइयों को कहना चाहता हूं कि बचा लो अपने आपको हिंदूत्व से बचा लो। हमारी लड़ाई हिंदूद्व को खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई हिंदुत्व के खिलाफ है। इस मुक्क को इससे बचाना है। यह हुकूमत हिंदुत्व को प्रमोट कर रही है और मुसलमानों तथा दिलतों की टार्गेटिड किलिंग कर रही है। यह सरकार नाकाम साबित हुई है। जब तक मोदी सरकार रहेगी, तब तक मॉब लिंचिंग चलती रहेगी।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी पार्टी से दो लोग बोल चुके हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सभी को बोलने के लिए समय दिया है। आपकी पार्टी के दो सदस्य बोल चुके हैं। आप बैठ जाएं।

माननीय मंत्री जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी नहीं अलाऊ करूँगी, फिर कभी आपको मौका मिलेगा।

...(व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू): मैडम, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, इस महत्त्वपूर्ण विषय पर आज 12 बजे से चर्चा प्रारंभ हुई और पूरे छः घंटे तक यह चर्चा चली। सभी पार्टियों के नेताओं ने, संसद-सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको फिर कभी मौका मिलेगा, लेकिन आज नहीं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको फिर कभी बोलने के लिए पाँच मिनट ज्यादा समय दे दुँगी।

...(व्यवधान)

श्री किरेन रिजीजू: मैडम, अभी तक बहुत अच्छी चर्चा हुई, शांतिपूर्वक चर्चा हुई। सभी की बातों को हम लोगों ने शांति से सुना। सरकार ने इसे नोट किया और आदरणीय खड़गे जी और सौगत राय जी ने जो नोटिस दिया, उसका शीर्षक है- 'Reported incidents of atrocities and lynching in mob violence in the country.' हिन्दी में- ''देश में अत्याचारों और भीड़ द्वारा हिंसा में जान से मारने की कथित घटनाएँ।'

इस पर जो चर्चा हुई, उस पर सरकार की ओर से पक्ष रखने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। हम लोगों ने आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुना। इसलिए सरकार के पक्ष को भी आप ध्यान से सुनिएगा। मैं विषय को बहुत लम्बा नहीं ले जाऊँगा।

हम लोग संविधान को समर्पित भाव से मानते हैं और संविधान के मतलब से ही चलते हैं। इसीलिए हम लोगों ने ओथ लिया है, चाहे प्रधानमंत्री हों, मंत्री हों, संसद के सदस्य हों, सभी ने ओथ लिया है। संविधान में जो प्रावधान हैं और उनके अनुसार जो विभिन्न कानून बने हैं, उनसे ही देश चलता है। आज जो चर्चा हुई, उसके संबंध में संविधान के पार्ट-थ्री, अनुच्छेद 246 में क्लीयरली डिफाइन किया गया है-

"...Take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter, of cows and calves and other milch and draught cattle."

इस संबंध में डायरेक्टिव्स ऑफ प्रिंसपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में राज्य सरकार को पूर्ण रूप से अधिकार दिया गया है। यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं है।

Entry 15 of the State List of the Seventh Schedule says:

"(c) preservation, protection and improvement of stock and prevention of animal diseases; veterinary training and practice;" का अधिकार भी स्टेट को दिया गया है। उसके बाद, सीआरपीसी के सेक्शन 39 में क्लीयरली डिफाइन किया गया है। If any incident relating to

cattles, bovine or milch cattles appears before any person, he must report it to the nearest Magistrate or Police Officer. Based on Section 39 of Cr.PC, the Ministry of Home Affairs had reminded... (*Interruptions*). Based on the provisions of the law, we have issued clear advisory to all the States and Union Territories of the country that mob lynching or anything related to that will not be acceptable. So, strong action must be taken... (*Interruptions*).

Madam, I cannot imagine a situation where the Prime Minister or the Union Government should take over the State Administration just because there is one incident. Is it possible? We are functioning under the provisions of the Constitution of India. There is a federal structure which is very well defined... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please address the Chair.

... (*Interruptions*)

श्री किरेन रिजीजू: मैडम, मुझे इस बात की शुरू से आशंका थी कि ये लोग राजनीतिक मुद्दे से ही इस चर्चा को लेकर आए हैं। इनको इस चर्चा में इंट्रस्ट नहीं है। जब मैं यह कोई विवादित बात नहीं कर रहा हूँ, तो फिर ये लोग क्यों ... * रहे हैं? ...(व्यवधान) जब मैं संविधान के प्रावधानों के तहत बोल रहा हूँ, तो ये बीच-बीच में उठकर जो हंगामा कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि इनको इस मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा चाहिए था। ...(व्यवधान) इन्होंने आज ये बेबुनियाद बातें कही हैं और जिस तरह इन्होंने टॉपिक से बाहर जाकर बातें की हैं, लेकिन फिर भी हमने इन्हें नहीं टोका। हमने इनकी बातों को ध्यान से सुना।

आज जब मैं संविधान के अंतर्गत आने वाले प्रावधानों का उल्लेख कर रहा हूँ, तब भी इनको तकलीफ हो रही है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि यदि आपको इसे सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा ही बनाना है, तो फिर आपने इसके लिए सदन में अलग से चर्चा के लिए समय क्यों माँगा? जब आपने चर्चा के लिए समय माँगा है, तो आपको उसे सुनना चाहिए और उसके जवाब के लिए तैयार रहना चाहिए।

मैडम, मैं एक-दो बातें बताना चाहता हूँ। ...(व्यवधान) सब से पहले जब मैं एट्रोसिटीज़ की बात करता हूँ।...(व्यवधान) जब देशवासियों के पास इसके आँकड़े पहुँचेंगे, तो वे इन लोगों की पोल खोलेंगे ...(व्यवधान) आज जो यह मुद्दा उठाया गया है, इसमें सब ... * होंगे, क्योंकि हमारी सरकार ने जो किया

_

^{*} Not recorded.

है, उसे हम यहाँ एक तथ्य के आधार पर बोल रहे हैं। इन्होंने प्रधान मंत्री जी को बदनाम करने के लिए एक डिज़ाइन बनाया है और पूरे देश में एक हव्वा खड़ा करने की कोशिश की है। ऐसी कोशिशों को जनता समय-समय पर जवाब देती आई है।

मैडम, हम जब विपक्ष में थे, तब इन्होंने यहाँ सत्ता में बैठकर पूरे देश को एक अलग ही दृश्य दिखाया था। ...(व्यवधान) उसमें उन्होंने सैकुलिरज्म के नाम पर देश के साथ ऐसा मजाक किया ...(व्यवधान) मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। सब से पहले मैं आँकड़े देना चाहता हूँ। जब सन् 2014 में हम सत्ता में नहीं आए थे ...(व्यवधान) यह मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में हमारी सरकार नहीं आई थी, केंद्र में हमारी सरकार नहीं आई थी ...(व्यवधान) समय की कुछ घटनाएं मैं आपको बताना चाहता हूँ। ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम, हम सदन का बहिकार कर रहे हैं।

17.58 Hours

(Shri Mallikarjun Kharge, Shri Mohammed Salim and some other hon. Members then left the House)

श्री किरेन रिजीजू: आपको उसमें मॉब लिंचिंग नहीं दिखाई दिया था?...(व्यवधान) 2014 में वेस्ट बंगाल की घटना ...(व्यवधान) उसके बाद जनवरी में महाराष्ट्र ...(व्यवधान) गाँव में जो घटना हुई ...(व्यवधान) ये शुरू से यही चाहते हैं...(व्यवधान) ये भागने वाले हैं। ये बहाने बना रहे हैं। इनमें सच्चाई सुनने की ताकत नहीं है। इसलिए जब इस सदन में सच्चाई बताई जा रही है, ये हंगामा कर के वॉक-आउट का ड्रामा कर रहे हैं। ...(व्यवधान) सदन का समय बर्बाद किया है। सारे सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया है और जब हम जवाब देने के लिए खड़े हैं, तो ये ड्रामा कर रहे हैं। ...(व्यवधान) मैडम हमारे सत्ता में आने से पहले महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले ...(व्यवधान) दूसरे गाँव का बताता हूँ। ...(व्यवधान) गाँव में 17 मार्च, 2014 को जलगाँव जिले में जो घटना हुई, उसमें बहुत हिंदू-मुस्लिमों के बीच दंगा हुआ। उसमें बीफ कैरी कर के ले जाने का कोई इंसीडेंट था ...(व्यवधान) उसके बाद महाराष्ट्र के जलगाँव जिले के रमानंद नगर में टेम्पो में मीट ले जा रहे थे। उसके कारण वहाँ दंगा हुआ था।

18.00 hours

उसके बाद वर्ष 2014 में महाराष्ट्र में 5 अप्रैल को तापी टोल नाके पर कैटल ट्रैफीकिंग के नाम पर घटना हुई थी। मैंने आपको एक-दो उदाहरण दिए हैं। हम वर्ष 2010 से सब कुछ आपको बताएंगे और उससे पहले की घटनाओं के बारे में भी बताएंगे तो ये लोग जनता के सामने अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहेंगे।...(व्यवधान) हमारी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने साफ-साफ शब्दों में कहा है...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : छः बज गए हैं। अगर आप सभी की अनुमित हो तो हम मंत्री जी के जवाब देने तक सदन का समय बढा देते हैं।

श्री किरेन रिजीजू: महोदया, प्रधानमंत्री जी ने पब्लिक मीटिंग में, ऑल पॉलीटिकल पार्टीज़ की मीटिंग में और सोशल मीडिया के माध्यम से भी क्लीयर-कट कहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को कोट करता हूं-

"Some anti-social elements have incited violence in the name of cow protection. Those engaged in disturbing the harmony in the country are trying to take advantage of the situation. It has an impact on the image of the nation. The State Governments must deal sternly against such anti-social elements."

इसके अलावा भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ बातें कहीं हैं। मैंने यहां बताया कि मॉब लिंचिंग, कैटल स्मगलिंग और बीफ के नाम पर इस देश में जितनी घटनाएं हुई हैं, जिनके बारे में मैंने यहां बताया है, मैं और भी तथ्य यहां रख सकता हूं। उस समय के प्रधानमंत्री या आपके नेतृत्व ने कभी इन चीजों को कंडेम किया है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको कंडेम किया है और राज्य सरकारों से कहा है कि कदम उठाने चाहिए। आपके प्रधानमंत्री ने इस पर कभी कोई शब्द नहीं कहा। क्या आपने इसको उस समय इश्यू बनाया? आपने समय देखकर इसको इश्यु बनाया। आपने एट्रोसिटीज़ के नाम पर, दलितों और मुसलमानों का नाम लेकर आपने वोट बैंक की राजनीति की है। हमारे सत्ता में आने से पहले के और बाद के सारे तथ्य हमारे पास हैं, हमारे पास फिगर्स हैं। मेरे पास आपकी सरकार के समय की फिगर्स भी हैं और हमारी सरकार के समय की भी हैं। इन फिगर्स को हमने नहीं बनाया है। मैं दलितों की बात करना चाहता हूं कि इस देश में काफी सालों से एक ट्रैंड चल रहा है। There is a trend which is not created by any Government. एट्रोसिटीज़ के मामले में उत्तर प्रदेश वर्ष 2016 के रिकार्ड के मुताबिक नंबर एक पर रहा है। हमारी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां वर्ष 2017 में आयी है। वर्ष 2016 तक के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है, नंबर दो पर बिहार है, नंबर तीन पर राजस्थान है, नंबर चार पर मध्य प्रदेश है और नंबर पांच पर आंध्र प्रदेश है। हमारे सत्ता में आने से यह फिगर्स नहीं बदली हैं। इन राज्यों में घटनाएं वही रही हैं, चाहे वहां सरकार मायावती जी की रही है या मुलायम जी की रही है या अखिलेश जी की रही है, लेकिन फिगर्स वही रही हैं। इस तरह से अन्य राज्यों में भी है, सरकार बदलने से फिगर्स नहीं बदले हैं। इन घटनाओं का एक ट्रैंड काफी सालों से चलता आया है।

महोदया, 153ए और 153बी के तहत जो कम्युनल एंगल दिया जा रहा है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। कांग्रेस और कम्यूनिस्ट पार्टी के एमपीज़ चले गए हैं, अगर वह इसको सुनते तो अच्छा होता। आपने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद यह घटनाएं शुरू हुई हैं, पहले ऐसी घटनाएं नहीं होती थीं।

केरल में वर्ष 2014 से सबसे ज्यादा कम्युनल वॉयलेंस हुआ है। सेक्शन 153, 153ए और 153बी के तहत जो केस दर्ज हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा घटनाएं केरल में हुई हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इंसीडेंट्स केरल में हुए हैं। अब केरल के लोग कैसे जवाब देंगे, एम.पी. लोग तो भाग गए हैं। उनकी राज्य सरकार को जवाब देना चाहिए। उसके बाद वर्ष 2015 में सबसे ज्यादा कम्युनल वॉयलेंस के नाम पर जो क्लेशेस हुए हैं, वे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुए हैं, दूसरे नम्बर पर तेलंगाना और तीसरे नम्बर पर कर्नाटक में हुए हैं। कर्नाटक के हमारे खड़गे जी और अन्य सदस्य चले गए हैं। वर्ष 2016 में ये घटनाएं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में और दूसरे नम्बर पर सबसे ज्यादा घटनाएं पश्चिम बंगाल में हुईं। ...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: यह सरासर झूठ है।

श्री किरेन रिजीजू: ये फीगर है। मैं आपको दूंगा।...(व्यवधान) पश्चिम बंगाल में हुआ है।...(व्यवधान) तीसरे नम्बर पर केरल में हुई हैं। ये फीगर हमारी नहीं है। ये ऑफीशियल फीगर है। मैडम, यह फीगर्स राज्य सरकार के द्वारा ही मिलती हैं। हम अपने-आप दर्ज नहीं करते हैं। इसलिए अगर सौगत राय दादा इस फीगर को डिसप्यूट करते हैं इसका मतलब यह कि वह अपनी सरकार की फीगर को डिसप्यूट कर रहे हैं।

मैडम, जिन घटनाओं के लिए केंद्र सरकार को ब्लेम करने की कोशिश की गई है। एक नोटिफिकेशन जारी हुई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया हुआ है। मद्रास हाई कोर्ट ने उसको स्टे किया है। जिसको बाद में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ऑल ओवर कंट्री में स्टे दिया गया है। इसलिए सबजूडिस होने के कारण मैं उस विषय में ज्यादा विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं। आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर काम करने के लिए अच्छे सुझाव देने के बजाय खामख्वाह बार-बार प्रधान मंत्री जी को टार्गेट करके व केंद्र सरकार को टार्गेट करके आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि क्या प्रधान मंत्री जी पूरे देश के फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़कर स्टेट गवर्नमेंट को अपने हाथ में ले लें। ये नहीं हो सकता है। हम एक सिस्टम के तहत चल रहे हैं। जब भी जरूरत पड़ती है और होम मिनिस्ट्री को लगता है कि इंटरवीन करना चाहिए, एडवाइजरी जारी करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, तब समय-समय पर हमारा राज्य सरकार के साथ तालमेल रहा है। हमारे विरेष्ठ मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने जरूरत पड़ने पर टेलीफोन से मीटिंग कॉल करके राज्य के साथ संपर्क किया। हमारे गृह मंत्रालय के विरेष्ठ अधिकारी समय-समय पर राज्य सरकारों से तालमेल बनाकर काम करते हैं। स्टेट का एपरेटस और सेंट्रल की जो मशीनरी है, उसमें कोई विरोधाभास है। राज्य सरकार की जो मशीनरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, उनमें तालमेल है।

मैं दो-तीन केस के बारे में बताना चाहता हूं। केसेज़ तो बहुत हुए है, कहानियां भी बहुत हैं। लेकिन जो खड़गे जी ने पूछा कि हम लोगों ने कार्रवाई क्या की। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि हमारी निगरानी में बहुत स्विफ्ट एक्शन होता है। मै राज्य सरकार के लिए, बिहार के बारे में बोल रहा हूं कि इतना

क्विक एक्शन हमने पहले कभी नहीं देखा। राजस्थान में जो घटना हुई। राजस्थान में 200 लोगों का जमावड़ा हुआ और वहां पर एक घटना हुई। आप लोगों ने मोहम्मद पहलू खान की घटना का जो जिक्र किया।...(व्यवधान) हमने तुरंत, बिना विलम्ब किए एफ.आई.आर. लॉज कराई और 5 लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल में डाला गया। उसके बाद हरियाणा के पलवल, फरीदाबाद में 23.06.2017 को जो घटना हुई, उसमें चार मुसलमान भाईयों को मारने की जो घटना सामने आई। उसके तुरंत बाद कार्रवाई हुई और उसमें चार लोगों को अरेस्ट किया गया।...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: उनको बेल मिल गई।...(व्यवधान)

श्री किरेन रिजीजू: आप चाहते हैं कि कोर्ट को हम ले लें...(व्यवधान) इतने विरष्ठ नेता होते हुए...(व्यवधान) इतने विरष्ठ सांसद होते हुए वह चाहते हैं कि ज्यूडिशियरी का काम भी सरकार ले ले। बेल किसको देनी है या नहीं देनी है, क्या वह भी सरकार तय करेगी। ...(व्यवधान) मुझे ताज्जुब होता है कि इतना विरिठ नेता भी स्लिप हो सकता है और गलत बात बोल सकता है।...(व्यवधान) आप ऐसे बात मत कीजिए।

मैडम, झारखंड की घटना की जो बात है, 27 जून को झारखंड में 55 वर्ष के एक मुस्लिम डेयरी ऑनर मौहम्मद उरमान अंसारी के साथ मॉब द्वारा आग लगाने की हुई थी, पुलिस ने तुरंत उस पर कार्रवाई की और उसमें हमने जो हिसाब लिया है, रिपोर्ट ली और देखी है, राज्य सरकार की तरफ से कार्रवाई करने में कोई कमी नहीं है।

उसके बाद झारखंड में अलीमुद्दीन अली असगर की दूसरी घटना हुई। उसमें एफ.आई.आर. लॉज हुई और सात लोगों को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र के नागपुर की घटना का आपमें से काफी लोगों ने जिक्र किया, उसमें चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले जिन घटनाओं को मैंने जिक्र किया, आप लोगों को ताज्जुब होगा, अगर मैं सारे के सारे तथ्य यहां रखूंगा तो आप लोगों को खुद को शर्मिंदगी महसूस होगी कि आप लोगों ने इस मुद्दे को यहां उठाकर हम पर उंगली उठाने का काम किया। हमने कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का जो काम किया है, उसके मुकाबले में उतना स्विफ्ट कोई नहीं कर सकता है...(व्यवधान) हम जो भी कहते हैं, तथ्य के आधार पर कहते हैं...(व्यवधान) सौगत जी, जब हाउस से बाहर मिलते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं।...(व्यवधान) लेकिन यहां आप ऐसा बिहेव करते हैं कि मैं आपका नाम भी भूल जाता हूं। सौगत दादा, आप हाउस से बाहर जब भी मिलते हैं तो आप इतना अच्छा व्यवहार करते हैं, इतने लर्नेड, एक जैंटलमैन जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन सदन में आते हैं तो कांग्रेस के लोगों से मिलकर आप क्यों बिगड़ जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। आप एक जानकार आदमी हैं, आप एक अनजान की तरह बात मत कीजिए।

स्पीकर मैडम, हर राज्य ने अपने-अपने तौर पर संविधान के मुताबिक कानून बनाये हैं। अभी तक 24 States and 5 Union Territories have framed their own laws on banning or restricting the slaughter of animals and their progenies.

प्रो. सौगत राय: क्या अरुणाचल प्रदेश में ऐसा हुआ?

श्री किरेन रिजीजू: अभी बताता हूं। ...(व्यवधान) मैं नाम बता सकता हूं। उसके बाद अभी तक पांच राज्यों ने और एक केन्द्र शासित प्रदेश ने इस विषय को लेकर कोई कानून नहीं बनाया है ...(व्यवधान) बंगाल ने कानून बनाया, वह उस कानून के मुताबिक काम करे। आप अपने मुख्य मंत्री जी को बोलिये, आप वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें जो कार्रवाई करनी है, उसके तहत कीजिए। ये जो पांच राज्य हैं, जिनमें केरल भी है, पांच राज्य और एक यूनियन टैरिटरी, जिन्होंने कानून नहीं बनाया, वे अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं, क्योंकि वह संविधान के दायरे में हैं। कानून किस तरीके से बनाना है, वह उनके ऊपर है।

मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि हर राज्य का कानून एक-दूसरे से भिन्न है। लॉ के जो प्रोविजंस हैं, वे सारे राज्यों के समान नहीं हैं और उसके तहत जैसे वे कार्रवाई करना चाहते हैं, कर सकते हैं। उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि क्लियर कट डायेरिक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पालिसी के माध्यम से और जो स्टेट-सैंटर लिस्ट का सब्जैक्ट के मुताबिक बाइफर्केशन और आर्टिकल 246 पार्ट-3 में जो पावर दी गई है, लेजिस्लेचर के पास एब्सोल्यूट पावर है, उसके तहत हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन जब देश में एक छवि खराब होती है, माहौल खराब होता है तो हम होम मिनिस्ट्री के माध्यम से जरूर एडवाइजरी जारी करते हैं और हम रिपोर्ट लेते हैं।

मैडम, आज इस चर्चा के दौरान काफी एलिगेशंस लगाए गए और काफी बातों को घुमा-फिराकर हमारे ऊपर आरोप लगाने की कोशिश की गई है। मैंने कहा है कि इस चर्चा में दो बिंदु हैं, एक तो एट्रोसिटीज़ है, जिस पर मॉब लिंचिंग या दिलतों के ऊपर अत्याचार, मुसलमानों के ऊपर या गरीबों के ऊपर या एक कम्युनल क्लैशिस होता है तो अलग-अलग किस्मों की घटनाओं के ऊपर एट्रोसिटीज़ एण्ड मॉब लिंचिंग को ले कर के चर्चा आपने की है। काफी दिनों से आपने 'Not in My Name' कर के एक कैंपेन चलाया। कभी इण्डिया गेट पर कुछ लोगों से तालमेल कर के वहां कैण्डल जला कर प्रोटेस्ट करवाते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि Mob lynching is a one of the worst form of crime. कोई भी इसका समर्थन कर नहीं सकता है। इसलिए प्रधान मंत्री जी ने दो टूक क्लियर शब्दों में इस बात को कहा है, कड़े शब्दों में निंदा की है और कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। मैं यह चाहता हूँ और सरकार यह चाहती है कि चाहे वह घटना बंगाल में हो, चाहे केरल में, चाहे दिल्ली में, चाहे राजस्थान में हो, हर जगह जब-जब यह घटना होती है, उसका कंडेमनेशन यूनिवर्सिली होना चाहिए था। जब आपके राज्य में घटना

होती है तो आप चाहते हैं कि इसकी चर्चा न हो। जो एक बीमारी सिलेक्टिव एमनीशिया आज-कल हो गई है, उसके मुताबिक आप चुन-चुन कर कुछ मुद्दे उठाने की कोशिश क्यों करते हैं। इससे पहले आपने इस देश में एक माहौल खड़ा किया, उसका नाम था इनटॉलरेंस यानि असिहष्णुता के नाम से एक चर्चा शुरू की गई। लेकिन जनता द्वारा उसका जवाब देने के बाद वह चर्चा बंद हो गई। फिर आप कोई दूसरा मुद्दा तलाशने लगे। फिर आपने अवार्ड वापसी की चर्चा शुरू की। जब सारे अवॉर्ड वापस करने वालों की पोल खुल गयी तो फिर आपने एक दूसरा टॉपिक ढूंढ़ना शुरू कर दिया। फिर आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर जो देश को गाली देने का काम किया। मैं आज भी कहता हूँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से अगर देश को गाली देंगे तो हम आपको माफ नहीं करेंगे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब यह नहीं है कि आप भारत माता को गाली दो। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपकी लिबर्टी होती है। आप अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में बात कीजिए। कांग्रेस के नेताओं ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में जा कर कुछ लोगों के साथ बैठ कर, भारत तोड़ो नारा लगाने वालों के साथ बैठने का भी काम किया है। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में मेजोरिटी लोग देशभक्त ही हैं। सब वहां पढ़ने जाते हैं। लेकिन वहां का माहौल कुछ लोग ही खराब करते हैं। इसलिए हम जेएनयू को पूरा का पूरा ब्लेम नहीं कर सकते हैं।

उसके बाद जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे, यहां आम आदमी पार्टी के हमारे साथी बैठे हैं, तब चर्च को अटैक कर के माहौल खराब करने की कोशिश की गई। मैं खुद ताज्जुब हो गया। चार-पांच दिन तक टी.वी. पर एक ही न्यूज़ चलती रही कि दिल्ली में सारे चर्चों को तोड़ा जा रहा है। मैं बहुत चिंतित हुआ, हमारे ईसाई भाइयों के साथ बैठक हुई। मैंने कहा कि हम इस पर तुरंत कार्यवाही करेंगे। राजनाथ जी से मिले, राजनाथ जी ने भी बैठक बुलाई। मैंने तुरंत दिल्ली पुलिस किमश्नर को बोला कि यह क्या बात है कि मीडिया चार-पांच दिन से दिखा रहा है कि दिल्ली में सारे चर्चों को ढूंढ़-ढूंढ़ कर तोड़ा जा रहा है, आप रिपोर्ट दीजिए। हमने सभी धर्मों की रिपोर्ट मांगी, जब रिपोर्ट सामने आई तब पता चला, मैं कम से कम एक साल की घटनाओं के बारे में बता रहा हूँ। तीन सौ से ज्यादा मंदिरों के साथ, यहां मंदिरों का मतलब, मंदिर के अंदर और बाहर उससे जुड़ी हुई घटनाएं हुईं, कम से कम तीस से ज्यादा सिखों के गुरुद्वारों से जुड़ी हुई घटनाएं हुईं और 40-50 से ज्यादा घटनाएं मस्जिदों और उनसे जुड़ी हुई घटनाएं हुईं। चर्च की केवल चार घटनाएं सामने आईं। मैंने कहा कि चूंकि टीवी पर सिर्फ चर्च की ही घटनाओं के बारे में ही दिखा रहे हैं तो चर्च की चार घटनाओं का बताइए कि कैसे हुईं। तब उसमें पता चला कि संयोजित तरीके से, किसी मांब ने चर्च पर कोई भी अटैक नहीं किया है।

एक चोरी का मामला सामने आया और एक यह मामला यह सामने आया कि कोई वहाँ खेल रहे थे तो क्रिकेट बॉल जाकर कहीं खिड़की में लगा। एक केस में सचमुच में भगवान जीसस की मूर्ति को तोड़ा

गया, तो पुलिस की रिपोर्ट हमने मँगवायी, पता चला कि कोई चोरी के इरादे से गया था, तो उसे चोट पहुँची। चोट थोड़ी पहुँची या ज्यादा पहुँची, हमें इसका दुख है। चाहे वह हिन्दू का मन्दिर हो, चाहे क्रिश्चियन का चर्च हो, अगर इसको मुद्दा बनाना है, तो यह मुद्दा बनाना चाहिए कि हमारे धर्म स्थानों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। देश भर में जो आपने एक ऐसा माहौल खड़ा किया और विश्व भर में, आपने कहा कि हिन्दुस्तान की छिव को खराब करने की कोशिश की, हिन्दुस्तान की छिव को सबसे खराब, सबसे बर्बाद करने की कोशिश आप लोगों ने किया है। पूरी दुनिया में भारत की ऐसी तस्वीर पेश की कि यहाँ क्रिश्चियंस मिशनरीज को और चर्चों को जलाया जाता है, तोड़ा जाता है, मारा जाता है। ऐसी छिव आपने पेश की, जबिक ऐसी कुछ घटनाएँ नहीं हुईं। कुछ बातें हैं, मैं कांग्रेस के दोस्तों को याद दिलाना चाहता हूँ। अभी वे भाग गये हैं, लेकिन बाद में में उनको बताऊँगा। वे चले गये, लेकिन मैं उन बातों को बताऊँगा।

महोदया, इन्दिरा जी के शासन के समय में यहाँ होम मिनिस्ट्री से कुछ ऑर्डर पास हुआ। उस ऑर्डर के मुताबिक मेरे प्रदेश, आपने मेरे प्रदेश का जिक्र किया, अरूणाचल प्रदेश में एक स्टैन्डिंग ऑर्डर पास किया कि वहाँ कोई भी क्रिश्चियन मिशनरीज, कोई भी पैस्टर, कोई भी फादर, कोई भी हो, क्रिश्चियन के नाम से अरूणाचल प्रदेश में अगर एन्टर करता है, तो उसको अरेस्ट होना चाहिए। यह ऑर्डर कांग्रेस के समय में पास हुआ। मदर टेरेसा जब अरूणाचल प्रदेश जाना चाह रही थीं, उनको मना किया कि आप कहीं भी जा सकती हैं, लेकिन अरूणाचल प्रदेश नहीं जा सकती हैं। यह ऑर्डर कांग्रेस के समय में पास हुआ। अभी वहाँ हम लोगों को बदनाम करते हैं कि बीजेपी आने के बाद सबको हिन्दू बनायेंगे, क्रिश्चियंस का प्रॉसिक्यूशन हो रहा है। आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद अरूणाचल प्रदेश में एक भी इसाई को, हमारे क्रिश्चियंस भाई-बहनों का एक भी प्रॉसिक्यूशन हुआ है, तो मैं पद से इस्तीफा दे दूँगा। कांग्रेस को यह जवाब देना पड़ेगा, हजारों लोगों को जो जेल में डाला, उनका घर जला दिया गया, क्रिश्चियंस की मिशनरीज को, फंकशनरीज को जो टॉर्चर किया और उस समय घर जला दिया गया, क्या उसके लिए कभी कांग्रेस मॉफी मॉंगेगी? आपका जो कारनामा है, आपकी जो करतूत है, उसको तो आप छुपाकर रखते हैं और जब इस सरकार के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं है, आज से तीन साल पहले भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था। प्रधानमंत्री, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के आने के बाद भ्रष्टाचार का इश्यू हमारी केन्द्र सरकार की डिक्शनरी से खत्म हो गया। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो आप इनटॉलरेंस, अवार्ड वापसी और आज आपने मॉब लिंचिंग के नाम से छः घंटे इस सदन में बहस लेकर आने का काम किया। हम भागने वाले नहीं हैं।...(व्यवधान) हम तो वॉक आउट भी नहीं करते हैं।

मैडम, आपको अच्छे से मालूम है कि हम जब यहाँ वर्ष 2004 से अपोजीशन में एमपी थे, हम जब प्रोटेस्ट करते भी थे, तो हम बहुत ही शालीनता से प्रोटेस्ट करते थे। चेयर से हम लोग बाहर नहीं जाते थे, जबकि हमारे नंबर में ज्यादा फर्क नहीं था। हमारा 137 था, कांग्रेस का 145 था, करीब-करीब बराबर नंबर

था, फिर भी हम लोग जबरदस्ती करके यहाँ नहीं आते थे और स्पीकर के ऊपर कागज नहीं फेंकते थे। हम लोग डेमोक्रैंटिकली डिसिप्लिन के साथ बहस में हिस्सा लेते थे। आप लोग हमको कैंसे ठोकते थे, आपके एक विरंठ मंत्री ने कहा कि हम सारे लोगों को मीटिंग में बुलायेंगे, बीजेपी को नहीं बुलायेंगे। हम लोग इलेक्टेड एमपी थे, रेकग्नाइज्ड अपोजीशन पार्टी थे, फिर भी आप लोगों ने इस तरह के वाक्य का इस्तेमाल किया है। यह देश बहुत बड़ा है।

मैडम, मुझे कितने मिनट और बोलना है?

माननीय अध्यक्ष : आपको जवाब देना है।

...(व्यवधान)

श्री किरेन रिजीजू: मैडम, लगभग 1.3 लाख बिलियन के इस देश में स्टेट्स हैं, यूनियन टेरेटरीज हैं, वहाँ काफी घटनायें हुई हैं। जो गलत घटनायें हुई हैं, हम सब को मिलकर उनका खण्डन करना चाहिए। इसमें पार्टी की बात नहीं आनी चाहिए। इस देश में अगर कोई गलत घटना हुई है तो देश के लिए वह दुखद बात है। इसमें कोई पार्टीबाजी की बात नहीं होनी चाहिए। किसी भी राज्य में अगर कोई भी घटना होती है, कोई भी वॉयलैंस होती है, हमारी सरकार में नरेन्द्र मोदी जी के प्रधान मंत्री बनने के बाद कहीं कोई घटना हुई और हमने सहायता देने से मना किया या भेदभाव किया हो तो आप बताइए। हम चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखें। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जैक्ट है और हर राज्य सरकार उसको बनाए रखे, हम यह चाहते हैं। उसके लिए जो भी मदद और सहायता केन्द्र सरकार से चाहिए, हमने कभी मना नहीं किया, लेकिन आप बार-बार हम पर आरोप लगाते हैं कि हमने इस देश के माहौल को खराब किया है।

अध्यक्ष महोदया, देश का माहौल कैसे खराब होता है? देश का माहौल क्या भारत माता की जय लगाने से खराब होता है या भारत के टुकड़े करो, ऐसा बोलने से खराब होता है? देश की छिव या देश का माहौल कब खराब होता है – जब अफज़ल गुरु को फाँसी देने का समर्थन लोग करते हैं, तब माहौल खराब होता है या अफज़ल गुरु का समर्थन करने वाले लोगों की वजह से देश का माहौल खराब होता है? जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो आर्मी को सैल्यूट करने से देश की छिव खराब होती है या आर्मी से सुबूत मांगने का काम लोग करते हैं, तब हमारे देश की छिव खराब होती है? हम जब आर्मी को इज्ज़त देते हैं, तब छिव खराब होती है या ... * कहने से देश की छिव खराब होती है? देश की छिव खराब करने का काम कौन कर रहा है? हमारी एक करतूत बताइए जिससे हमारे देश को शर्मिंदगी का बोझ उठाना पड़ रहा हो? कोई एक तो बताइए।

^{*} Not recorded

अध्यक्ष महोदया, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अंत में सारे देश को इस सदन के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ। हमारे प्रधान मंत्री पहले दिन से अपनी इंटैंशन क्लियर करके चले हैं। देश संविधान से चलता है और सरकार की इंटैंशन क्लियर होनी चाहिए। जब हमारे नेता ने हमारी सरकार के लिए क्लियर इंटैंशन कह दिया कि इस देश में जो भी प्रॉबलम है, सामूहिक रूप से इसका समाधान होना चाहिए और विकास ही एकमात्र सॉल्यूशन है, फिर हम बार-बार इस देश में जो अलग-अलग तरीके से इश्यू बनाकर सदन का समय खराब करने और देश की छवि खराब करने की कोशिश की जाती है, यह बंद होनी चाहिए।

जब प्रधान मंत्री की ओर से किसी बात की अपील की जाती है तो उसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए। जब प्रधान मंत्री ने अपील की है तो वह हमारे लिए भी है, राज्य सरकारों के लिए भी है और देश की सब जनता और सब नागरिकों के लिए है। उसको इज्ज़त देनी चाहिए। देश दुनिया में आज प्रधान मंत्री जी का गुण गाया जा रहा है। अध्यक्ष जी, ऐसा समय बार-बार नहीं आता है कि किसी देश को ऐसा प्रधान मंत्री मिले। ऐसा मौका इतिहास में हर देश के नसीब में बार-बार मिलता नहीं है। अब यह हमारा समय है। विश्व में जब हिन्दुस्तान का नाम इतना रोशन हो रहा है, हमारे प्रधान मंत्री को विश्व के सब लोग इज्ज़त दे रहे हैं, ऐसे समय में हमारे प्रधान मंत्री की छिव को, हमारी सरकार की छिव को बरबाद करके आप देश की छिव को खराब कर रहे हैं। आप यह बात मत भूलिये। ... (व्यवधान) मैं आपको एक चेतावनी देकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। ... (व्यवधान) मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझिए।

माननीय अध्यक्ष: चेतावनी मत बोलो।

श्री किरेन रिजीजू: आप मेरी बात को पूरा सुन लीजिए। ...(व्यवधान) आप जितनी बार यह मुद्दा उठा रहे हैं, आप उतनी बार ही अपने आप बेनकाब हो रहे हैं। देश और जनता के सामने आपके अंदर की असलियत सामने आ रही है। क्योंकि आप इस तरह की गलत बात के जितने भी इश्यू उठाते हैं, भारतीय जनता पार्टी उतनी ज्यादा मज़बूत होकर उभरकर आ रही है। क्यों? अगर आपकी बातों में दम होता, आप जो प्रधान मंत्री को बदनाम कर रहे हैं, उसमें अगर दम होता तो जनता का इतना समर्थन प्रधान मंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को क्यों मिल रहा है? ...(व्यवधान) इसिलए इस बात पर चेतावनी मैं नहीं दे रहा हूँ, जनता की ओर से मैं दे रहा हूँ। ...(व्यवधान) मेरी तरफ से तो मैं सलाह दे सकता हूँ। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से इनको सलाह दे सकता हूँ कि आप हमको जितना बदनाम करेंगे, उतना ही आप खुद बदनाम हो जाएँगे। हमारे ऊपर आप एक उंगली दिखाएंगे, तो चार उंगली आपकी तरफ पड़ती हैं। आप यह चीज़ मत भूलिए।

आज यहां इतनी अच्छी चर्चा हुई, बहुत अच्छे माहौल में चर्चा हुई। खड़गे जी और कुछ लोगों ने गलत बातें कही हैं, फिर भी चूंकि मैं उनसे छोटा हूं तो मैं गाली-गलौज नहीं कर सकता, मैं उन्हें इज्ज़त

देता हूं। इसलिए, जितने सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया, हमारी ओर से वरिष्ठ रामविलास पासवान जी ने भी चर्चा में भाग लिया, इंटरवेंशन किया, सबको मैं धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष जी, आपने बहुत पेशेंटली सबकी बात सुनी, उन्हें अपनी बात कहने का मौका दिया। हुक्मदेव जी ने हमारी पार्टी की ओर से अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से रखा। सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष: अच्छी हिन्दी बोलने के लिए हम भी आपको बधाई देते हैं।

अब यह सभा मंगलवार 01 अगस्त को सुबह 11 बजे पुनः मिलने के लिए स्थगित की जाती है।

18.31 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday 1st August, 2017/10, Shravana, 1939 (Saka).